



★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

मतदाता जानकारी पुस्तिका

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

PATRICE Y. LATTIMORE, सिटी क्लर्क द्वारा संकलित

★ आम नगरपालिका चुनाव ★
मंगलवार, 3 नवंबर 2026

**चुनाव संबंधी जानकारीयों के लिए कृपया
1-888-873-1000 पर कॉल करें**

**सिटी ऑफ़ Los Angeles मतदाता जानकारी अंग्रेजी के साथ-
साथ निम्नलिखित भाषाओं में भी प्रदान करता है:**

**Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար
զանգահարեք 1-888-873-1000 հեռախոսահամարով:**

**要索取本手册的中文版・
請致電 1-888-873-1000**

**برای تهیه‌ی نسخه‌ای از این جزوه به زبان فارسی، با شماره تلفن
1-888-873-1000 تماس بگیرید**

**हिन्दी में इस पैम्फलेट की प्रति प्राप्त करने के लिए,
1-888-873-1000 पर फोन करें**

**このパンフレットの日本語版をご希望の方は、
1-888-873-1000までお電話ください。**

**ដើម្បីទទួលបានឯកសារចម្លងមួយច្បាប់ពីកូនសៀវភៅនេះជាភាសាខ្មែរ
សូមហៅទូរស័ព្ទលេខ 1-888-873-1000**

**이 팸플릿을 한국어로 원하시면 다음 전화번호로
연락하십시오. 1-888-873-1000**

**Для получения копии данной брошюры на русском
языке позвоните по номеру 1-888-873-1000.**

**Para obtener una copia de este folleto en español,
llame al 1-888-873-1000**

**Para makakuha ng kopya ng pamplet na ito sa Tagalog,
tumawag sa 1-888-873-1000**

**เพื่อขอสำเนาจุลสารนี้ในภาษาไทย โปรดโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข
1-888-873-1000**

**Muốn có một tập sách này bằng tiếng Việt, hãy gọi số
1-888-873-1000**

विषय सूची

	पृष्ठ
मतपत्र का सारांश	3-10
मतपत्र विधेयक, तर्क, और पाठ	
प्रस्ताव TE	11
चार्टर संशोधन LA	17
चार्टर संशोधन PL	36
चार्टर संशोधन EE	45
चार्टर संशोधन PRK	58
चार्टर संशोधन PRT	65
चार्टर संशोधन SC	71
पहल अध्यादेश FD	88

मतदाता जानकारी

Los Angeles के काउंटी के रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउंटी क्लर्क, सिटी ऑफ़ Los Angeles नगरपालिका चुनाव के प्रशासक हैं।

इस पुस्तिका में केवल 3 नवंबर 2026 को होने वाले आम नगरपालिका चुनाव के लिए सिटी/LAUSD के मतपत्र विधेयकों से संबंधित जानकारी दी गई है।

मतदान केन्द्रों जैसी चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए, कृपया LA काउंटी से (800) 815-2666 पर संपर्क करें या www.lavote.gov पर उनकी वेबसाइट पर जाएं।

अगले 8 पृष्ठों में सिटी/LAUSD के मतपत्र विधेयकों का सरलीकृत संस्करण है। प्रत्येक विधेयक का पूरा पाठ, अन्य जानकारी के साथ मतपत्र सारांश के बाद मुद्रित किया जाता है (विषय सूची पृष्ठ देखें)।

शीर्षक:

जनवरी 2025 के अग्रिकांड के पीड़ितों के लिए संपत्ति स्थानांतरण कर में छूट।

विषय:

क्या Palisades अग्रिकांड में क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई आवासीय संपत्तियों के लिए, जिन्हें आग लगने की तारीख से पांच साल के भीतर बेचा गया हो, शहर के बेघरता और आवास समाधान कर (प्रस्ताव ULA) से एक बार की छूट प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश अपनाया जाना चाहिए?

स्थिति:

2022 में, मतदाताओं ने प्रस्ताव ULA को मंजूरी दी, जो 5 मिलियन डॉलर (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित) से अधिक की संपत्ति की बिक्री पर एक विशेष दस्तावेजी हस्तांतरण कर है, जिसका उपयोग किफायती आवास और किरायेदार सहायता कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के लिए किया जाएगा। 7 जनवरी, 2025 को शुरू हुई Palisades अग्रिकांड ने कई आवासीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया या नष्ट कर दिया, जिनमें घर और आवासीय इकाइयां शामिल हैं। आग से क्षतिग्रस्त संपत्तियां जो 5 मिलियन डॉलर (मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित) से अधिक में बेची गई हैं या बेची जाएंगी, उन पर प्रस्ताव ULA कर लागू होगा।

प्रस्ताव:

इस विधेयक के तहत, Palisades अग्रिकांड से क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई \$5 मिलियन (मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित) से अधिक मूल्य की आवासीय संपत्तियों की बिक्री या स्थानांतरण को प्रस्ताव ULA के कर से छूट दी जाएगी। यदि 7 जनवरी 2025 और 6 जनवरी 2030 के बीच किसी क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई आवासीय संपत्ति को उस मालिक द्वारा बेचा या स्थानांतरित किया जाता है, जिसका नाम Palisades अग्रिकांड होने की तिथि को दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में बिक्री या स्थानांतरण प्रस्ताव ULA के कर से एकमुश्त धनवापसी या छूट के लिए पात्र होगा।

एक हाँ वोट का मतलब है:

आप चाहते हैं कि Palisades अग्रिकांड से क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई 5 मिलियन डॉलर (मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित) से अधिक की आवासीय संपत्तियों की बिक्री, यदि आग लगने की तारीख से पांच साल के भीतर बेची जाती है, तो प्रस्ताव ULA के कर से एकमुश्त धनवापसी या छूट के लिए पात्र हो।

एक नहीं वोट का मतलब है:

आप नहीं चाहते हैं कि Palisades अग्रिकांड से क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई 5 मिलियन डॉलर (मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित) से अधिक की आवासीय संपत्तियों की बिक्री, यदि आग लगने की तारीख से पांच साल के भीतर बेची जाती है, तो प्रस्ताव ULA के कर से एकमुश्त धनवापसी या छूट के लिए पात्र हो।

इस विधेयक का पूरा पाठ पृष्ठ 15 पर शुरू होता है।

शीर्षक:

शहर का बुनियादी ढांचा, बजट, वित्त और अनुबंध।

विषय:

क्या सिटी चार्टर में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं ताकि: नगर के लिए एक पूंजीगत अवसंरचना योजना और दो वर्षीय बजट चक्र स्थापित की जा सके; लोक निर्माण निदेशक (निदेशक) के अधिकार को बढ़ाया जा सके और लोक निर्माण बोर्ड (बोर्ड) को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने की अनुमति दी जा सके; शहर को व्यावसायिक उद्यमों में संलग्न होने और शहर के स्वामित्व वाली संपत्ति को गिरवी रखने से रोकने वाले प्रतिबंधों को हटाया जा सके; और कुछ अनुबंध नियमों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया जा सके?

स्थिति:

वर्तमान चार्टर में: एक वर्षीय बजट चक्र स्थापित किया गया है; शहर को अपनी संपत्ति गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है; वाणिज्यिक कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है; यह प्रावधान किया गया है कि लोक निर्माण विभाग का प्रबंधन एक पूर्णकालिक बोर्ड द्वारा किया जाएगा और एक निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी; पूंजीगत अवसंरचना योजना की आवश्यकता नहीं है; और अनुबंधों के आवंटन को विनियमित किया गया है।

प्रस्ताव:

यह विधेयक:

- दो साल का बजट चक्र स्थापित करेगा, जिसे अध्यादेश द्वारा समायोजित किया जा सकता है;
- शहर की वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न होने या शहर के स्वामित्व वाली संपत्ति को गिरवी रखने की क्षमता पर लगे प्रतिबंधों को हटा देगा;
- लोक निर्माण विभाग के प्रशासन के लिए निदेशक के अधिकार का विस्तार करेगा और अध्यादेश द्वारा बोर्ड में परिवर्तन या उसे समाप्त करने की अनुमति देगा;
- शहर को पूंजीगत अवसंरचना योजना स्थापित करना आवश्यक करेगा;
- शहर के प्रतिस्पर्धी बोली अनुबंध नियमों से कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को छूट देगा; और
- शहर को अध्यादेश द्वारा तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटियों को माफ करने की अनुमति देगा, और बोलीदाताओं को अनुबंध बोलियों के मूल्यांकन से पहले नैतिकता फॉर्म पर अन्य त्रुटियों या कमियों को ठीक करने की अनुमति देगा।

एक हॉट वोट का मतलब है:

आप चाहते हैं कि शहर की अवसंरचना, बजट, वित्त और अनुबंध के संबंध में ऊपर वर्णित परिवर्तनों को करने के लिए चार्टर में संशोधन किया जाए।

एक नहीं वोट का मतलब है:

आप नहीं चाहते हैं कि शहर की अवसंरचना, बजट, वित्त और अनुबंध के संबंध में ऊपर वर्णित परिवर्तनों को करने के लिए चार्टर में संशोधन किया जाए।

इस विधेयक का पूरा पाठ पृष्ठ 23 पर शुरू होता है।

शीर्षक:

शहरी नियोजन विभाग।

विषय:

क्या सिटी चार्टर में निम्नलिखित संशोधन किए जाने चाहिए: क्षेत्रीय नियोजन आयोगों के स्थान पर एक पड़ोस अपील आयोग की स्थापना करना; कुछ नियोजन निर्णयों की समीक्षा और अनुमोदन के तरीके में परिवर्तन करना; अर्ध-न्यायिक आवेदनों के लिए नगर नियोजन विभाग के अधिकार को स्पष्ट करना; अध्यादेश द्वारा तल क्षेत्र विनियमों में परिवर्तन की अनुमति देना; और संबंधित परिवर्तन करना?

स्थिति:

यह चार्टर नगर नियोजन विभाग, नगर नियोजन और क्षेत्र नियोजन आयोग, नियोजन निदेशक, ज़ोनिंग प्रशासन कार्यालय, नगर परिषद और मेयर सहित नियोजन और भूमि उपयोग में प्रमुख निर्णयकर्ताओं की शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है।

प्रस्ताव:

यह विधेयक:

- सात क्षेत्रीय योजना आयोगों को कम से कम सात सदस्यों वाले एक ही पड़ोस अपील आयोग (NAC) से प्रतिस्थापित करेगा;
- नवगठित NAC को प्रशासनिक अपीलों की सुनवाई करने और पूर्व के निर्णयकर्ताओं के प्रति सम्मान दिखाए बिना उन अपीलों पर नए सिरे से विचार करने तथा अध्यादेश द्वारा निर्धारित अन्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करेगा;
- नगर परिषद को योजना और भूमि उपयोग संबंधी मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियात्मक और समयसीमा संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित करेगा;
- चार्टर में यह निर्दिष्ट करेगा कि नगर नियोजन विभाग अध्यादेश द्वारा अधिकृत और नियोजन निदेशक द्वारा नियुक्त नामित नगर नियोजन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए गए अर्ध-न्यायिक समीक्षा के लिए जिम्मेदार है;
- कुछ भूमि उपयोग अनुमोदनों और प्रत्यायोजित विधायी प्राधिकरण से संबंधित अनुभागों को हटा देगा;
- यह प्रावधान करेगा कि यदि नगर परिषद पूर्व अनुमोदनों के 75 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं करती है तो सामान्य योजना संशोधनों को अनुमोदित कर दिया जाएगा; और
- नगर परिषद को अध्यादेश द्वारा वर्तमान तल क्षेत्र संबंधी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार देगा।

एक हॉ वोट का मतलब है:

आप नगर नियोजन विभाग के संबंध में उपरोक्त परिवर्तनों के साथ चार्टर में संशोधन करना चाहते हैं।

एक नहीं वोट का मतलब है:

आप नगर नियोजन विभाग के संबंध में उपरोक्त परिवर्तनों के साथ चार्टर में संशोधन नहीं करना चाहते हैं।

इस विधेयक का पूरा पाठ पृष्ठ 40 पर शुरू होता है।

शीर्षक:

शहर की नैतिकता, चुनाव और शासन व्यवस्था।

विषय:

क्या सिटी चार्टर में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं ताकि: पुलिस विभाग के महानिरीक्षक और अग्निशमन विभाग के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता को मजबूत बनाया जा सके; कार्यालय छोड़ने के बाद नीतिशास्त्र आयुक्तों को कुछ निर्वाचित पदों के लिए पांच वर्षों तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सके; चुनाव प्रचार वित्त संबंधी उल्लंघनों के लिए दंड बढ़ाया जा सके; नगर परिषद की बैठक को वर्तमान में अनिवार्य प्रति सप्ताह तीन दिनों के बजाय कम से कम साप्ताहिक रूप से अनिवार्य बनाया जा सके; जनमत संग्रह याचिका पर आवश्यक हस्ताक्षरों की संख्या में वृद्धि की जा सके; और नैतिकता, चुनाव और शासन से संबंधित अन्य परिवर्तन किया जा सके?

स्थिति:

सिटी चार्टर शहर सरकार की संरचना, शक्तियां और जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है।

प्रस्ताव:

इस विधेयक से निम्नलिखित परिवर्तन होंगे:

- नीति आयोग के कार्यकारी निदेशक और आयुक्तों को अपने पद छोड़ने के बाद पांच साल तक शहर या Los Angeles शिक्षा बोर्ड के कार्यालयों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाएगा;
- चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन अधिकतम मौद्रिक दंड बढ़ाकर \$15,000 किया जाएगा, (जिसे मुद्रास्फीति के अनुसार प्रतिवर्ष समायोजित किया जाएगा) या गलत तरीके से रिपोर्ट की गई अथवा अवैध रूप से दी गई, खर्च की गई, प्रदान की गई या प्राप्त की गई राशि के तीन गुना के बराबर, इनमें से जो भी अधिक हो, वह दंड लगाया जाएगा;
- जनमत संग्रह याचिकाओं के लिए आवश्यक हस्ताक्षरों की संख्या को पिछले मेयर चुनाव में हुए मतदान के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा;
- पुलिस विभाग के महानिरीक्षक और अग्निशमन विभाग के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की जांच या लेखापरीक्षा शुरू करने और संचालित करने की स्वतंत्रता को मजबूत किया जाएगा;
- नगर परिषद को सप्ताह में तीन दिन के बजाय कम से कम साप्ताहिक रूप से बैठक करने की आवश्यकता किया जाएगा और बोर्ड की कार्यवाहियों पर वीटो लगाने के लिए समय संबंधी आवश्यकताओं में संबंधित परिवर्तन किया जाएगा;
- पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग के लिए शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित भाषा को स्पष्ट किया जाएगा; और
- पड़ोस परिषद के हितधारक की परिभाषा को अध्यादेश द्वारा परिभाषित करने की अनुमति दी जाएगी।

एक हॉ वोट का मतलब है:

आप चाहते हैं कि संविधान में संशोधन करके नैतिकता, चुनाव और शासन के संबंध में ऊपर वर्णित परिवर्तन किए जाएं।

एक नहीं वोट का मतलब है:

आप संविधान में संशोधन नहीं चाहते हैं ताकि नैतिकता, चुनाव और शासन के संबंध में ऊपर वर्णित परिवर्तन नहीं किए जाएं।

इस विधेयक का पूरा पाठ पृष्ठ 50 पर शुरू होता है।

शीर्षक:

शहरी मनोरंजन एवं पार्क विभाग का बजट।

विषय:

क्या सिटी चार्टर में संशोधन करके मनोरंजन और पार्क विभाग को आवंटित न्यूनतम बजट को दस वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर वर्तमान न्यूनतम बजट आवंटन का दोगुना किया जाना चाहिए, जिसमें राजकोषीय आपात स्थितियों के लिए अपवाद शामिल हों?

स्थिति:

इस चार्टर में सामान्य निधि से मनोरंजन और पार्कों के लिए न्यूनतम बजट निर्धारित किया गया है। यह न्यूनतम बजट शहर के करों के लिए निर्धारित सभी संपत्तियों के निर्धारित मूल्य के 0.0325% के बराबर की राशि है। सिटी चार्टर में निर्धारित वर्तमान आवंटन प्रतिशत की दर और उससे प्राप्त बजट आवंटन बढ़ती आबादी, विस्तारित पार्क व्यवस्था तथा श्रम की बढ़ती लागत के अनुरूप नहीं बढ़ पाए हैं। इसके परिणामस्वरूप समय के साथ मनोरंजन एवं पार्क संबंधी सेवाओं में कमी आई है।

प्रस्ताव:

इस विधेयक से मनोरंजन और पार्कों के लिए आवंटित सामान्य कोष की न्यूनतम राशि में वृद्धि होगी। यह प्रतिशत वर्तमान 0.0325% से धीरे-धीरे बढ़ाकर शहर के करों के लिए निर्धारित सभी संपत्तियों के निर्धारित मूल्य का 0.065% किया जाएगा। यह वृद्धि दस वर्षों की अवधि में लागू की जाएगी। इस विधेयक से कोई नया कर नहीं लगेगा और न ही इससे शहर के राजस्व में कोई अतिरिक्त वृद्धि होगी। इससे मनोरंजन एवं पार्कों को सामान्य कोष से अधिक धनराशि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

इस बड़ी हुई धनराशि से मनोरंजन और पार्क सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाने, पार्कों में समानता की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और मनोरंजन और पार्क विभाग को संचालन और कार्यक्रमों की लागत को वहन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान, नगर परिषद इस बड़ी हुई धनराशि को एक निश्चित राशि तक कम कर सकती है। हालाँकि, मनोरंजन एवं पार्कों का न्यूनतम बजट आवंटन शहर के करों के लिए निर्धारित सभी संपत्तियों के निर्धारित मूल्य के वर्तमान 0.0325% से कम नहीं किया जा सकेगा।

एक हॉ वोट का मतलब है:

आप मनोरंजन और पार्क विभाग के न्यूनतम बजट को दस वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें वित्तीय आपात स्थितियों के लिए अपवाद होंगे।

एक नहीं वोट का मतलब है:

आप मनोरंजन और पार्क विभाग के न्यूनतम बजट में वृद्धि नहीं करना चाहते हैं।

इस विधेयक का पूरा पाठ पृष्ठ 63 पर शुरू होता है।

शीर्षक:

शहर के हवाई अड्डे, बंदरगाह और जल एवं विद्युत विभाग।

विषय:

क्या सिटी चार्टर में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि: बंदरगाह विभाग को तटवर्ती सार्वजनिक पहुंच परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करना अनिवार्य हो; Los Angeles के बंदरगाह के कुछ पट्टों और समझौतों के लिए कार्यबल पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देना अनिवार्य हो; कुछ पट्टों की अधिकतम अवधि बढ़ाई जाए; और हवाई अड्डा आयोग की संरचना से जुड़ी आवश्यकताओं में बदलाव किया जाए?

स्थिति:

इस चार्टर के तहत नगर परिषद को हवाई अड्डा विभाग (LAWA) और जल एवं विद्युत विभाग (DWP) के लिए 50 वर्ष तक और बंदरगाह विभाग के लिए 66 वर्ष तक के पट्टों को मंजूरी देने का अधिकार है।

इस चार्टर के तहत सात सदस्यीय हवाई अड्डा आयुक्त बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसमें Los Angeles अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (LAX) के आसपास के क्षेत्र से एक सदस्य और Van Nuys हवाई अड्डे (VNY) के आसपास के क्षेत्र से एक सदस्य शामिल होगा।

इस चार्टर के तहत बंदरगाह आयुक्त बोर्ड को बंदरगाह जिला का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। राज्य कानून के तहत कई बंदरगाह विकास परियोजनाओं के लिए तटीय विकास परमिट की आवश्यकता होती है।

प्रस्ताव:

यह विधेयक:

- नगर परिषद को LAWA और DWP के लिए 66 वर्षों तक के पट्टे को अधिकृत करने की अनुमति देगा;
- हवाई अड्डा आयुक्त बोर्ड के तीन सदस्यों का LAX के आसपास के क्षेत्र से और दो सदस्यों का VNY के आसपास के क्षेत्र से होना अनिवार्य करेगा;
- बंदरगाह विभाग को अपनी परिचालन आय का कुछ हिस्सा तटवर्ती सार्वजनिक पहुंच परियोजनाओं के लिए उपयोग करना आवश्यक करेगा; और
- Los Angeles बंदरगाह पर प्रस्तावित कुछ पट्टों और तटीय विकास परमिट की आवश्यकता वाले विकास कार्यों के आवेदकों को प्रस्तावित परियोजना से जुड़े रोजगार स्तरों पर पड़ने वाले प्रभावों का खुलासा करना अनिवार्य करेगा।

एक हाँ वोट का मतलब है:

आप चाहते हैं कि चार्टर में संशोधन करके शहर के हवाई अड्डों, बंदरगाह और जल एवं विद्युत विभागों के संबंध में ऊपर वर्णित परिवर्तन किए जाएं।

एक नहीं वोट का मतलब है:

आप नहीं चाहते हैं कि चार्टर में संशोधन करके शहर के हवाई अड्डों, बंदरगाह और जल एवं विद्युत विभागों के संबंध में ऊपर वर्णित परिवर्तन किए जाएं।

इस विधेयक का पूरा पाठ पृष्ठ 69 पर शुरू होता है।

शीर्षक:

शिक्षा बोर्ड के चुनावों से संबंधित चुनावी वित्त के नियम।

विषय:

क्या Los Angeles सिटी चार्टर में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा बोर्ड के चुनावों के लिए चुनावी वित्त के नियमों को स्पष्ट किया जा सके और अध्यादेश द्वारा इन नियमों में परिवर्तनों की अनुमति दी जा सके?

स्थिति:

इस चार्टर में शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार वित्त संबंधी नियम शामिल हैं। इस चार्टर में मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार वित्त संबंधी नियम भी शामिल हैं। नियमों के ये दोनों समूह काफी हद तक समान हैं, लेकिन चार्टर के अलग-अलग हिस्सों में हैं।

प्रस्ताव:

इस विधेयक के तहत बार-बार दोहराई जाने वाली भाषा को हटा दिया जाएगा और कुछ अपवादों को छोड़कर, मेयर पद के उम्मीदवारों पर लागू होने वाले अभियान वित्त संबंधी नियम शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों पर भी लागू होंगे। इस विधेयक से नगर परिषद को अध्यादेश के माध्यम से अतिरिक्त परिवर्तन अपनाने की अनुमति भी मिल जाएगी।

एक हाँ वोट का मतलब है:

आप चार्टर से दोहराव वाली भाषा को हटाना चाहते हैं, शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए अभियान वित्त नियमों को स्पष्ट करना चाहते हैं, और नगर परिषद को अध्यादेश द्वारा अतिरिक्त परिवर्तन अपनाने की अनुमति देना चाहते हैं।

एक नहीं वोट का मतलब है:

आप चार्टर से दोहराव वाली भाषा को हटाना नहीं चाहते, शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए अभियान वित्त नियमों को स्पष्ट करना नहीं चाहते, या नगर परिषद को अध्यादेश द्वारा अतिरिक्त परिवर्तन अपनाने की अनुमति नहीं देना चाहते।

इस विधेयक का पूरा पाठ पृष्ठ 74 पर शुरू होता है।

शीर्षक:

LOS ANGELES अग्निशमन विभाग के लिए धन की व्यवस्था आधे प्रतिशत बिक्री कर के माध्यम से की जाएगी।

विषय:

सिटी ऑफ़ Los Angeles में आधा प्रतिशत (0.5%) बिक्री कर स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश अपनाया जाना चाहिए ताकि Los Angeles अग्निशमन विभाग के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सके, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती, वाहन और उपकरण, अग्निशमन केंद्र, झाड़ियों की सफाई और अग्निशमन विभाग की अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं? इस कर से प्रतिवर्ष लगभग 345 मिलियन डॉलर की आय होगी और इसके लिए वार्षिक लेखापरीक्षा और एक नागरिक निगरानी समिति की आवश्यकता होगी।

स्थिति:

Los Angeles अग्निशमन विभाग (LAFD) को शहर की बजट प्रक्रिया के माध्यम से हर साल धनराशि प्राप्त होती है। लगभग सारा धन शहर के सामान्य कोष के माध्यम से आता है, जिसके संसाधन सीमित हैं और उसे शहर के अधिकांश विभागों का समर्थन करने के साथ-साथ कई परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं को संतुलित करना होता है।

प्रस्ताव:

यह विधेयक नागरिकों द्वारा प्रायोजित एक पहल याचिका के माध्यम से मतपत्र के लिए योग्य घोषित किया गया। इस विधेयक के तहत 0.5% का बिक्री कर लगाया जाएगा जिससे LAFD के समर्थन के लिए समर्पित अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। इस कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा:

- दमकलकर्मी, पैरामेडिक और नागरिक कर्मचारियों की भर्ती;
- दमकल गाड़ियां, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, उपकरण और आपातकालीन संचार प्रणाली;
- झाड़ियों की सफाई और जंगल की आग से निपटने की तैयारी; और
- दमकल स्टेशनों और आपातकालीन चिकित्सा सेवा सुविधाओं का रखरखाव, प्रतिस्थापन और निर्माण।

इस विधेयक के तहत एक नागरिक निगरानी समिति की स्थापना की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग अध्यादेश के अनुसार किया जाए। यह कर तभी लगाया जा सकता है जब शहर ऐतिहासिक निधि स्तरों के आधार पर LAFD के लिए सामान्य निधि व्यय का न्यूनतम स्तर बनाए रखे।

एक हाँ वोट का मतलब है:

आप Los Angeles अग्निशमन विभाग के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए 0.5% बिक्री कर स्थापित करना चाहते हैं।

एक नहीं वोट का मतलब है:

आप Los Angeles अग्निशमन विभाग के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए 0.5% बिक्री कर स्थापित नहीं करना चाहते हैं।

इस विधेयक का पूरा पाठ पृष्ठ 99 पर शुरू होता है।

क्या एक ऐसा अध्यादेश अपनाया जाए, जिसके तहत पैलिसेड्स में लगी आग में क्षतिग्रस्त या पूरी तरह नष्ट हुए आवासीय संपत्तियों को, यदि आग लगने की तारीख से पाँच साल के भीतर बेचा जाता है, तो उन पर सिटी के विशेष दस्तावेजी स्थानांतरण कर (प्रस्ताव ULA) से एक बार के लिए छूट दी जाए?

निष्पक्ष सारांश

SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

सिटी ऑफ़ Los Angeles अचल संपत्ति की बिक्री या स्थानांतरण पर 0.45 प्रतिशत का दस्तावेजी स्थानांतरण कर लगाता है। 2022 में, मतदाताओं ने बेघरता और आवास समाधान कर (प्रस्ताव ULA) को मंजूरी दी, जो अचल संपत्ति की बिक्री या स्थानांतरण पर एक अतिरिक्त विशेष दस्तावेजी स्थानांतरण कर है। प्रस्ताव ULA ने \$5 मिलियन से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री या स्थानांतरण पर चार प्रतिशत कर और \$10 मिलियन या उससे अधिक की बिक्री या हस्तांतरण पर 5.5 प्रतिशत कर निर्धारित किया। कर के दायरे में आने वाली संपत्ति की बिक्री की सीमा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सालाना समायोजित किया जाता है और वर्तमान में यह सीमा \$5.4 मिलियन और \$10.9 मिलियन है। सरकारी संस्थाओं, योग्य किरायेदार आवास संगठनों और कुछ गैर-लाभकारी संगठनों को इस कर से छूट प्राप्त है।

प्रस्ताव ULA कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग किरायेदार आवास और किरायेदार सहायता कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। किरायेदार आवास कार्यक्रम किरायेदार आवासों के निर्माण और पुनर्वास के लिए धन उपलब्ध कराता है। बेघरपन निवारण कार्यक्रम विभिन्न किरायेदार सहायता गतिविधियों को वित्त पोषित करता है, जैसे कि बेदखली के मामलों में वित्तीय सहायता या कानूनी सहायता। राजस्व का आठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कार्यक्रम के संचालन, रिपोर्टिंग, अनुपालन और कार्यान्वयन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

7 जनवरी 2025 को Palisades अग्निकांड की घटना हुई। Los Angeles भवन निर्माण एवं सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, Palisades अग्निकांड के कारण लगभग 5,620 इमारतें क्षतिग्रस्त और नष्ट हो गईं, जिनमें से अनुमानित 5,495 आवासीय इमारतें थीं। यदि इनमें से कोई भी संपत्ति \$5 मिलियन (मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित) से अधिक में बेची या स्थानांतरित की जाती है, तो लेनदेन पर प्रस्ताव ULA का कर लागू होगा।

इस विधेयक के तहत, Palisades अग्निकांड से क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई \$5 मिलियन (मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित) से अधिक मूल्य की आवासीय संपत्तियों की बिक्री या स्थानांतरण को प्रस्ताव ULA के कर से छूट दी जाएगी। क्षति या विनाश का सत्यापन भवन निर्माण एवं सुरक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। यदि 7 जनवरी 2025 और 6 जनवरी 2030 के बीच किसी क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई आवासीय संपत्ति को उस मालिक द्वारा बेचा या स्थानांतरित किया जाता है, जिसका नाम Palisades अग्निकांड होने की तिथि को दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में बिक्री या स्थानांतरण प्रस्ताव ULA के कर से एकमुश्त धनवापसी या छूट के लिए पात्र होगा।

वित्त निदेशक को इस विधेयक के प्रभावी होने की तिथि से पहले प्रस्ताव ULA के चुकाए गए किसी भी कर के लिए पात्र दावों पर कर की राशि वापस करने का अधिकार होगा।

इस विधेयक से Palisades अग्रिकांड से प्रभावित संपत्ति मालिकों को वित्तीय राहत मिलेगी। इस विधेयक से प्रस्ताव ULA के कर से उत्पन्न होने वाले राजस्व में कमी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप किफायती आवास और किरायेदार सहायता कार्यक्रमों के लिए धन में कमी होगी।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण

MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

यह विधेयक 2025 की Palisades अग्रिकांड में क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए आवासीय संपत्तियों की बिक्री पर एक बार के लिए प्रस्ताव यूनाइटेड टू हाउस LA (ULA) दस्तावेज़ी स्थानांतरण कर से छूट प्रदान करेगा, यदि इन संपत्तियों की बिक्री 7 जनवरी 2025 से 6 जनवरी 2030 के बीच हुई हो। इस छूट से शहर के सामान्य कोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हाउस LA के कोष के राजस्व में कमी आएगी, जो किफायती आवास निर्माण और बेघरता निवारण कार्यक्रमों को वित्त पोषित करता है। जनवरी 2030 तक ULA के राजस्व में अनुमानित कमी \$35 मिलियन से \$66 मिलियन के बीच होगी। यह अनुमान Palisades में पात्र लेनदेन पर भुगतान किए गए औसत ULA कर, जुलाई 2026 तक बिक्री के लिए सूचीबद्ध पुनर्निर्मित घरों की संख्या और आग लगने के बाद खाली भूखंडों की बिक्री पर आधारित है। ऊपरी अनुमान में यह मान लिया गया है कि लेन-देन की औसत संख्या दोगुनी हो जाएगी। राजस्व की वास्तविक हानि छूट की अवधि समाप्त होने से पहले बेची गई कुल पात्र आवासीय संपत्तियों की संख्या पर निर्भर करेगी।

Los Angeles के मतदाताओं ने बेघरपन और आवास संकट से निपटने के लिए विधेयक ULA को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कभी भी उन आपदा पीड़ितों को दंडित करना नहीं था, जिन्होंने घोषित आपदा में अपना सब कुछ खो दिया था।

जब आग, भूकंप या अन्य किसी आपदा से कोई घर या पूरा समुदाय नष्ट हो जाता है, तो पीड़ितों के पास अक्सर खर्चों का भुगतान करने, स्थानांतरित होने, सामान को पुनर्स्थापित करने या आर्थिक रूप से उबरने के लिए अपनी संपत्ति बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। जब वे पहले ही बिना किसी गलती के सब कुछ खो चुके हैं - तो उनसे ULA अचल संपत्ति कर का भुगतान करने की मांग करना - पहले से ही भयावह स्थिति को और बदतर बना देता है।

बीमा कंपनियों के साथ अकल्पनीय कठिनाइयों, आसमान छूती पुनर्निर्माण लागत और अनिश्चित समय-सीमा से जूझने के बाद, आग से प्रभावित कई लोग एक असंभव विकल्प के सामने खड़े हैं: पुनर्निर्माण के लिए ऐसे खर्च उठाएँ जिन्हें वे वहन नहीं कर सकते या जिस संपत्ति को उन्होंने खो दिया है उसे बेच दें। जिन परिस्थितियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, उनके लिए उन्हें ULA कर के तहत और अधिक दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

आपदा पीड़ितों को कर राहत प्रदान करना निष्पक्षता, करुणा और व्यावहारिक समझ की बात है। यह ULA के मूल उद्देश्य को बनाए रखते हुए यह मान्यता देता है कि विनाशकारी क्षति झेलने वाले पीड़ितों को सहायता और लचीलेपन का अधिकार है।

यह विधेयक न तो ULA को निरस्त करता है और न ही निवेशकों या सट्टेबाजों के लिए कोई खामी पैदा करता है। बल्कि, सीमित दायरे वाला यह विधेयक 7 जनवरी, 2025 की आग में क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई आवासीय संपत्तियों, जिनमें बहुमंजिला इमारतें भी शामिल हैं, के मालिकों को एक सीमित, एक बार की छूट प्रदान करता है।

जैसा कि Los Angeles के लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है, आपदाएँ किसी भी इलाके में आ सकती हैं। जब किसी आपदा की घोषणा की जाती है, तो हमारी प्रतिक्रिया लोगों को उबरने में मदद करना होनी चाहिए, न कि सबसे बुरे समय में उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना।

आपदा पीड़ितों की मदद करना किसी दलगत राजनीति का मुद्दा नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि Los Angeles अपने निवासियों के सबसे कठिन समय में उनके साथ खड़ा है।

हाँ में एक मतदान आपदा राहत में वित्तीय बाधाओं को दूर करते हुए ULA के उद्देश्य को बरकरार रखता है।

प्रस्ताव TE के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

TRACI PARK
परिषद सदस्य, 11वाँ जिला
City of Los Angeles

MARQUEECE HARRIS-DAWSON
परिषद अध्यक्ष, 8वाँ जिला
City of Los Angeles

BEN ALLEN
राज्य सभासद
State of California

NICK MELVOIN
स्कूल बोर्ड सदस्य
Los Angeles Unified School District

WESTERN STATES REGIONAL COUNCIL OF
CARPENTERS
Favian Guillen
कार्यकारी सचिव कोषाध्यक्ष

KAREN BASS
मेयर
City of Los Angeles

MONICA RODRIGUEZ
परिषद सदस्य, 7वाँ जिला
City of Los Angeles

JACQUI ERWIN
विधानसभा सदस्य
State of California

LA/OC BUILDING & CONSTRUCTION TRADES
COUNCIL
Ernesto Medrano
कार्यकारी सचिव

PACIFIC PALISADES COMMUNITY COUNCIL
Allison Holdorff Polhill
अध्यक्ष

इस विधेयक के विरुद्ध कोई तर्क दाखिल नहीं किया गया था।

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

नगरपालिका संहिता या मौजूदा नगरपालिका संहिता के अनुभागों में जोड़े गए नए प्रावधान या भाषा को दर्शाया गया है। रेखांकित टाइप में दिखाया गया है; नगर पालिका संहिता या मौजूदा नगर पालिका संहिता अनुभागों से मिटाए गए शब्द को स्ट्राइकआउट टाइप में दिखाया गया है।

प्रस्ताव TE

प्रस्तावित मतपत्र विधेयक का पाठ

धारा 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles की नगरपालिका संहिता में बेघरता और आवास समाधान कर से छूट के संबंध में एक नई धारा 21.9.17 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

धारा 21.9.17. छूट – पैलिसेड्स आग (Palisades Fire)

(a) इस संहिता की धारा 21.9.2 की उप-धारा (b) द्वारा लगाया गया बेघर और आवास समाधान कर किसी भी विअनुच्छेद, लिखत या अनुच्छेदन के संबंध में लागू नहीं होगा जिसके द्वारा सिटी ऑफ़ Los Angeles में बेची गई कोई भी भूमि, मकान या अन्य अचल संपत्ति क्रेता या खरीदार, या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रदान, असाइन, स्थानांतरित या अन्यथा अवगत कराया या निहित किया जा सकता है, अगर हस्तांतरिती ऐसा है:

(1) सिटी ऑफ़ Los Angeles के भीतर बेची गई भूमि, मकान या अन्य अचल संपत्ति जनवरी 2025 में Palisades आग से क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई आवासीय संपत्ति है;

(2) उपधारा (a)(1) में वर्णित आवासीय संपत्ति की क्षति या विनाश का सत्यापन भवन एवं सुरक्षा विभाग द्वारा किया जाता है;

(3) अनुदानकर्ता, असाइनकर्ता या हस्तांतरणकर्ता धारा (a)(1) में वर्णित आवासीय संपत्ति का स्वामी या स्वामीगण है;

(4) उपधारा (a)(3) के अंतर्गत वर्णित अनुदानकर्ता, असाइनकर्ता या हस्तांतरणकर्ता 7 जनवरी, 2025 को उपधारा (a)(1) में वर्णित आवासीय संपत्ति का स्वामी या स्वामी थे;

(5) उपधारा (a)(1) में वर्णित संपत्ति को पहले इस धारा के तहत छूट प्राप्त नहीं हुई थी; और

(6) उपधारा (a)(1) में वर्णित संपत्ति अन्यथा इस संहिता की धारा 21.9.2 की उपधारा (a) से छूट प्राप्त नहीं है।

(b) “क्षतिग्रस्त” शब्द का वही अर्थ होगा जो इस संहिता की धारा 16.03 में दिया गया है।

(c) उपधारा (a) 7 जनवरी, 2025 से 6 जनवरी, 2030 तक प्रभावी रहेगी।

(d) वित्त निदेशक को धारा 21.9.2 के उपधारा (b) के अनुसार लगाए गए किसी भी बेघरता और आवास समाधान कर के लिए पात्र दावों पर धनवापसी जारी करने के लिए अधिकृत और सशक्त किया गया है, जो इस धारा के प्रभावी होने की तिथि से पहले भुगतान किया गया था, इस संहिता की धारा 21.9.10 में प्रदान किए गए तरीके से। इस संहिता की धारा 21.9.10 द्वारा वर्णित धनवापसी के संबंध में निर्धारित कोई भी समय सीमा इस धारा के प्रभावी होने की तिथि तक लागू नहीं होगी।

धारा 2. विच्छेदनीयता। अगर इस अध्यादेश या इसके किसी भी भाग की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश या अनुप्रयोग को सक्षम न्याय सीमा के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, तो इस अध्यादेश की शेष धाराएँ, उपधाराएँ, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस अध्यादेश के

प्रावधान विच्छेदनीय हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाता यह घोषणा करते हैं कि यदि इस अध्यादेश की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग को असंवैधानिक या अमान्य घोषित नहीं किया गया होता, तो वे इसकी सभी धाराओं, उपधाराओं, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों, भागों और अनुप्रयोगों को पारित कर देते।

क्या सिटी चार्टर में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं ताकि: नगर के लिए एक पूंजीगत अवसंरचना योजना और दो वर्षीय बजट चक्र स्थापित की जा सके; लोक निर्माण निदेशक के अधिकार को बढ़ाया जा सके और लोक निर्माण बोर्ड को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने की अनुमति दी जा सके; शहर को व्यावसायिक उद्यमों में संलग्न होने और शहर के स्वामित्व वाली संपत्ति को गिरवी रखने से रोकने वाले प्रतिबंधों को हटाया जा सके; और कुछ अनुबंध नियमों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया जा सके?

निष्पक्ष सारांश

SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

Los Angeles सिटी चार्टर (चार्टर) में शहर द्वारा अपने बजट, अनुबंध, शहर के स्वामित्व वाली संपत्ति और लोक निर्माण विभाग के प्रबंधन के लिए नियम शामिल हैं। इस विधेयक के तहत चार्टर में संशोधन किया जाएगा ताकि निम्नलिखित नियमों में परिवर्तन किए जा सकें:

- दो वर्षीय बजट: वर्तमान में, शहर को हर साल बजट पारित करना अनिवार्य है। इस विधेयक से शहर का बजट चक्र दो साल का हो जाएगा, जब तक कि अध्यादेश द्वारा कोई अन्य बजट चक्र लागू न किया जाए। साथ ही, यह उस तिथि में भी बदलाव करेगा, जिस तक मेयर को प्रस्तावित बजट प्रस्तुत करना होगा। इस विधेयक के तहत मेयर को 1 अप्रैल तक नगर परिषद (परिषद) के समक्ष प्रस्तावित दो वर्षीय बजट प्रस्तुत करना होगा। परिषद के पास प्रस्तावित दो वर्षीय बजट को मंजूरी देने या उसमें संशोधन करने के लिए 1 जून तक का समय होगा। परिषद में होने वाले परिवर्तन मेयर के वीटो और परिषद द्वारा निरस्त किए जाने के अधिकार के अधीन होंगे, जैसा कि चार्टर में निर्दिष्ट है। दो वर्षीय चक्र के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, परिषद आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में आवंटित राशि को 1 जून को या उससे पहले एक प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित करेगी, जो मेयर के वीटो और परिषद द्वारा वीटो को निरस्त करने संबंधी प्रावधानों के अधीन होगा।
- पूंजीगत अवसंरचना योजना (CIP): वर्तमान में, शहर के अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पूंजीगत योजना रखना अनिवार्य नहीं है। इस विधेयक के तहत शहर को अध्यादेश द्वारा एक CIP निर्धारित करना होगा। इस अध्यादेश में CIP के दायरे, समयसीमा, निधि और रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं को शामिल किया जाएगा। परियोजनाओं में शहर की सड़कों, पार्कों, पुलों और इमारतों का निर्माण या सुधार शामिल हो सकता है।
- प्रतिस्पर्धी बोली: वर्तमान में, चार्टर के अनुसार शहर को प्रतिस्पर्धी अनुबंध बोली के नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि योग्य व्यवसायों को सबसे कम लागत पर अनुबंध प्रदान करना। इस विधेयक के तहत सॉफ्टवेयर निर्माता से प्राप्त सॉफ्टवेयर सेवाओं या रखरखाव के अनुबंधों के लिए इन नियमों में एक अपवाद जोड़ा गया है। इस विधेयक के तहत शहर को अध्यादेश द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत अनुबंधों के लिए नियमों में अपवाद बनाने की अनुमति भी दी गई है, जो शहर की सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य या संरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- लोक निर्माण विभाग (विभाग) का प्रशासन: वर्तमान में, चार्टर के तहत एक पूर्णकालिक लोक निर्माण बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना की गई है, जिसे विभाग की देखरेख के लिए कई व्यूरो प्रमुखों और लोक निर्माण निदेशक (निदेशक) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस विधेयक से निदेशक की शक्तियाँ और कर्तव्य बढ़ जाएँगे, जिनमें शामिल हैं: लोक निर्माण परियोजनाओं

के निर्माण का प्रत्यक्ष प्रबंधन करना, जिसमें संपत्ति का पट्टा या उसकी खरीदारी शामिल है; परिषद की मंजूरी के अधीन, भूमि अधिग्रहण की शक्ति का प्रयोग करना; अनुबंध के प्रशासन की देखरेख करना; सड़क निर्माण परमिट जारी करना; और विभाग के लिए परिचालन बजट की सिफारिश करना। इसके विपरीत, बोर्ड के कुछ अधिकार निदेशक को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे, लेकिन बोर्ड अपने कुछ कर्तव्यों को बरकरार रखेगा, जैसे: अनुबंध दिए जाने की स्वीकृति देना; अध्यादेश द्वारा अधिकृत सुनवाई करना; निदेशक के परामर्श से लोक निर्माण परियोजनाओं के विनिर्देशों को मंजूरी देना; और निदेशक, मेयर और परिषद को लोक निर्माण योजनाओं के बारे में सिफारिशें करना। इस विधेयक में परिषद को अध्यादेश द्वारा बोर्ड में परिवर्तन करने या उसे समाप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह विधेयक व्यूरो प्रमुखों के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदनाम को समाप्त करता है, जो निदेशक की प्रस्तावित शक्तियों और कर्तव्यों के अनुरूप है।

- व्यापार का संचालन: वर्तमान में, चार्टर शहर को शहर के स्वामित्व वाली संपत्ति को गिरवी रखने से रोकता है और शहर को विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक या औद्योगिक व्यवसाय संचालित करने से रोकता है। इस विधेयक से इन प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा, जिससे शहर को शहर के स्वामित्व वाली संपत्तियों का उपयोग करने और वाणिज्यिक या औद्योगिक व्यवसायों में संलग्न होने की अनुमति मिल जाएगी।
- अनुबंध प्रपत्र: वर्तमान में, जब बाहरी कंपनियाँ नगर निगम के ठेकों के लिए बोली लगाती हैं, तो उन्हें विशिष्ट प्रपत्र जमा करने होते हैं। इस विधेयक से शहर को अध्यादेश के माध्यम से किसी अनुबंध प्रस्ताव का मूल्यांकन करने से पहले मामूली तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटियों को माफ करने या उन्हें ठीक करने की अनुमति देने का अधिकार मिल जाएगा। हालाँकि, नैतिकता संबंधी प्रपत्रों में पाई गई गंभीर त्रुटियों को माफ नहीं किया जा सकता है और उन्हें पूरी तरह से ठीक किया जाना होगा।

यदि मतदाताओं के बहुमत से इस विधेयक मंजूरी मिल जाती है तो यह प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण

MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

इस विधेयक के तहत एक पूंजीगत अवसंरचना योजना निर्धारित की गई है, शहर को दो वर्षीय बजट चक्र में स्थानांतरित किया गया है, लोक निर्माण निदेशक के अधिकार का विस्तार किया गया है और शहर को व्यावसायिक उद्यमों में संलग्न होने, शहर की संपत्ति को गिरवी रखने और अनुबंध प्रक्रियाओं को संशोधित करने की अनुमति दी गई है। **दो वर्षीय बजट चक्र में परिवर्तन करने और पूंजीगत अवसंरचना योजना निर्धारित करने के लिए बजट और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और विषयगत मामलों के विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिए अनुमानित \$4 मिलियन से \$6 मिलियन की एकमुश्त लागत की आवश्यकता होगी।** यह धनराशि सामान्य कोष से आएगी, जिसे बजट प्रक्रिया के माध्यम से मेयर और नगर परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इस विधेयक के दो घटकों, जैसे कि परियोजना प्रबंधन, के लिए चल रहे खर्चों को मौजूदा संसाधनों के पुनर्गठन के माध्यम से वहन किया जाएगा। चार्टर के शेष संशोधनों के वित्तीय और राजस्व प्रभावों का—जिनमें अनुबंध परिवर्तन, संपत्ति गिरवी रखना और व्यावसायिक उद्यम शामिल हैं—इस समय मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

बेहतर बुनियादी सेवाएँ देने, जर्जर हो रहे बुनियादी ढाँचे को तेजी से दुरुस्त करने और करदाताओं के पैसों का अधिक समझदारी से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विधेयक LA पर हॉ का मतदान करें।

Los Angeles अबों डॉलर के जरूरी बुनियादी ढाँचे की मरम्मत का काम नहीं कर सकता और न ही अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है, जब तक उसके पास यह स्पष्ट योजना न हो कि क्या-क्या काम करना है, उसमें कितना खर्च आएगा और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी।

Los Angeles के निवासी देख रहे हैं कि जब शहर भविष्य की योजना बनाने में विफल रहता है तो क्या होता है। शहर को सड़कों की दोबारा मरम्मत करने, फुटपाथों और स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने और लगातार होने वाले रखरखाव के कामों को पूरा करने में वर्षों लग जाते हैं। अक्सर समस्याओं के और गंभीर तथा उन्हें ठीक करना अधिक महँगा हो जाने तक इंतज़ार किया जाता है।

विधेयक LA इस समस्या को हल करता है। इसके लिए Los Angeles को पहले से योजना बनानी होगी। यह लंबे समय के लिए बुनियादी ढाँचे की योजना तैयार करता है, ताकि शहर मरम्मत के कामों को प्राथमिकता दे सके, समस्याओं के अधिक महँगे होने से पहले उनका रखरखाव कर सके और काम पूरा करने की स्पष्ट जिम्मेदारी तय करते हुए परियोजनाओं को आगे बढ़ा सके।

इसके लिए दो साल का बजट बनाना भी आवश्यक है ताकि शहर के नेता आज निर्णय लेते समय भविष्य की लागतों पर भी विचार कर सकें। और यह उन पुराने चार्टर प्रतिबंधों को हटाता है जो Los Angeles के लिए कुशलतापूर्वक काम करना और करदाताओं के पैसे का बेहतर उपयोग करना मुश्किल बनाते हैं।

विधेयक LA से रातोंरात हर गड्ढा भर नहीं जाएगा। लेकिन बेहतर सड़कें, फुटपाथ, बुनियादी ढाँचा और शहरी सेवाएँ बेहतर योजना, स्पष्ट जवाबदेही और बेहतर तरीके से बजट बनाने से शुरू होती हैं।

हमने शहर के बजट की गहन जाँच-पड़ताल करने, कार्यक्रमों का लेखापरीक्षण करने, विभागों की निगरानी करने और बेहतर बुनियादी ढाँचे के लिए संघर्ष करने में कई साल बिताए हैं। हमने स्वयं देखा है कि किन चीजों से रुकावट आती है। हमारा मानना है कि ये सुधार Los Angeles को यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बेहतर परिणाम देने में मदद करेंगे।

विधेयक LA पर हॉ में मतदान करें।

चार्टर संशोधन LA के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

KENNETH MEJIA

नियंत्रक

City of Los Angeles

BOB BLUMENFIELD

LA नगर परिषद सदस्य

City of Los Angeles

RON GALPERIN

पूर्व शहरी नियंत्रक

City of Los Angeles

MICHAEL SCHNEIDER

CEO

Streets For All

KATY YAROSLAVSKY

LA नगर परिषद सदस्य

City of Los Angeles

JESSICA MEANEY

कार्यकारी निदेशक

Investing in Place

DAVID LEVITUS

CEO

LA Forward

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर संशोधन LA के विरुद्ध तर्क

ऐसे समय में, जब Los Angeles में बार-बार भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और सिटी हॉल पर जनता का भरोसा कमजोर हुआ है, हमें स्वतंत्र निगरानी खत्म करने के बजाय पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना चाहिए।

यदि अनुमोदित हो जाता है, तो चार्टर संशोधन LA नगर परिषद को लोक निर्माण बोर्ड को समाप्त करने और उसकी शक्तियों को एक ही व्यक्ति के अधीन समेकित करने का अधिकार देगा। इस बोर्ड की स्थापना शहर के अनुबंधों की स्वतंत्र समीक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी और सार्वजनिक बैठकों में लिए गए निर्णय California के खुले बैठक से जुड़े कानूनों के अधीन थे। इस महत्वपूर्ण नियंत्रण और संतुलन को हटाने से सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए करदाताओं के अरबों डॉलर के उपयोग पर सार्वजनिक निगरानी कम हो जाएगी और जवाबदेही कमजोर हो जाएगी।

इस चार्टर संशोधन के समर्थक पूंजी सुधार योजना जैसे सुधारों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन यह बदलाव चार्टर में संशोधन किए बिना भी लागू किया जा सकता है।

Los Angeles को अधिक पारदर्शिता, अधिक निगरानी और दुर्व्यवहार के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, न कि कम सुरक्षा उपायों की।

चार्टर संशोधन LA पर 'नहीं' में मतदान करें।

चार्टर संशोधन LA के विरुद्ध तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

MONICA RODRIGUEZ

Los Angeles नगर महिला पार्षद, जिला 7

City of Los Angeles

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर संशोधन LA के विरुद्ध तर्क का खंडन

विपक्ष की एक बात तो सही है: Los Angeles पीढ़ियों से अपने बुनियादी ढांचे की देखरेख के लिए इसी बिखरी हुई व्यवस्था पर निर्भर रहा है। जिम्मेदारी कई अधिकारियों, आयोगों, एजेंसियों और विभागों में बंटी हुई है। Los Angeles के निवासी जर्जर सड़कों, टूटे-फूटे फुटपाथों और बुझी हुई स्ट्रीटलाइटों के रूप में इसके परिणाम देख रहे हैं।

विधेयक LA इस हालात को बदलता है। इसके तहत पूरे शहर के लिए एक दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचा कार्यक्रम और दो-वर्षीय बजट व्यवस्था अनिवार्य होगी, ताकि Los Angeles स्पष्ट प्राथमिकताएँ तय कर सके, जरूरी परियोजनाओं की पहचान कर सके और समय के साथ उनके वित्तपोषण की योजना बना सके।

इसके अलावा, एक निदेशक को लोक निर्माण कार्यों के समन्वय और उस योजना को लागू करने का दायित्व भी सौंपा गया है। निदेशक मेयर और नगर परिषद को रिपोर्ट करता है और स्वतंत्र रूप से निर्वाचित शहरी नियंत्रक की निगरानी के अधीन रहता है। Los Angeles के निवासियों को पता चलेगा कि सड़कों की मरम्मत, फुटपाथों की सुधार, स्ट्रीटलाइटों की मरम्मत और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कौन जिम्मेदार है।

जवाबदेही का अर्थ है एक स्पष्ट योजना, स्पष्ट जिम्मेदारी और कड़ी निगरानी।

चार्टर संशोधन LA के विरुद्ध तर्क के खंडन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

KENNETH MEJIA

नियंत्रक

City of Los Angeles

KATY YAROSLAVSKY

LA नगर परिषद सदस्य

City of Los Angeles

BOB BLUMENFIELD

LA नगर परिषद सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष

City of Los Angeles

JESSICA MEANEY

कार्यकारी निदेशक

Investing in Place

RON GALPERIN

पूर्व शहरी नियंत्रक

DAVID LEVITUS

CEO

LA Forward

MICHAEL SCHNEIDER

CEO

Streets For All

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर या चार्टर के मौजूदा अनुभागों में जोड़े गए नए प्रावधानों या भाषा को रेखांकित करके दिखाया गया है; चार्टर या चार्टर के मौजूदा अनुभागों से मिटाए गए शब्दों को कट कर दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन LA
(शहर का बुनियादी ढांचा, बजट, वित्त और अनुबंध)

प्रस्तावित मतपत्र विधेयक का पाठ

धारा 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 104 की उपधारा (a) को निम्नानुसार निरस्त किया जाता है:

(a) [निरस्त किया गया।] **संपत्ति का मिस्वी रखना**। शहर को किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी संपत्ति मिस्वी रखने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वह मिस्वी रखी गई संपत्ति खरीद सकता है।

धारा 2. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 104 की उपधारा (g) को निम्नानुसार निरस्त किया जाता है:

(g) [निरस्त किया गया।] **व्यावसायिक उद्यम**। शहर किसी भी पूर्ण रूप से वाणिज्यिक या औद्योगिक उद्यम में संलग्न नहीं होगा, सिवाय सवालिया मुद्दे पर मतदान करने वाले शहर के मतदाताओं के बहुमत मतदान के अलावा, जब तक कि चार्टर के प्रभावी होने के समय शहर द्वारा उद्यम को पहले से ही अन्यथा संलग्न न कर लिया गया हो, या जब तक कि इस उद्यम में संलग्न होने को चार्टर में कहीं और विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो। इस उपधारा में दिया गया कोई भी प्रावधान शहर को भोज्य पदार्थों और माल की खुदरा बिक्री में सीधे तौर पर संलग्न होने से नहीं रोकेगा, जब वे छूटें शहर के परिचालनों और उद्देश्यों के अनुरूप हों और उनका समर्थन करती हों।

धारा 3. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 231 की उपधारा (g) को, जो शहर के बजट तथा मेयर की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(g) चार्टर के अनुच्छेद III के अनुसार मेयर का प्रस्तावित वार्षिक-बजट तैयार करना और उसे विचार के लिए परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना;

धारा 4. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 291 की उपधारा (b) को, जो शहर के बजट तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(b) मेयर द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार वार्षिक-बजट तैयार करने में सहायता करना;

धारा 5. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 310 को, जो शहर के बजट से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 310. बजट चक्र; वित्तीय वर्ष।

(a) शहर दो लगातार वित्तीय वर्षों से युक्त द्विवार्षिक बजट चक्र के आधार पर कार्य करेगा, जब तक कि अध्यादेश द्वारा कोई अन्य बजट चक्र निर्धारित न किया जाए।

(b) शहर का प्रत्येक वित्तीय वर्ष, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बजट चक्र में वह वित्तीय वर्ष कब आता है, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को शुरू होगा और अगले वर्ष 30 जून को समाप्त होगा।

(c) बहुवर्षीय बजट चक्र के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, परिषद प्रस्ताव द्वारा, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 1 जून को या उससे पहले उस वित्तीय वर्ष के बजट में विनियोजित की जाने वाली राशि निर्धारित करेगी। यह

प्रस्ताव मेयर के वीटो के अधीन होगा और मेयर के वीटो को परिषद के दो-तिहाई मत द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

धारा 6. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 311 को, जो शहर के बजट से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 311. मेयर को बजट का अनुमानित विवरण; बजट प्राथमिकताओं का विवरण।

(a) मेयर द्वारा निर्धारित समय पर, लेकिन प्रत्येक-वर्ष के प्रत्येक-बजट चक्र से पूर्व 1 जनवरी तक, किसी भी विभाग या कार्यालय, या शहर की अन्य सरकारी गतिविधि के प्रमुख पद पर प्रत्येक बोर्ड या अधिकारी, उन विभागों के अलावा जो अपने स्वयं के निधियों पर नियंत्रण रखते हैं, परिषद और प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक शहर के प्रशासनिक अधिकारी को प्रतियों के साथ, मेयर को, मेयर द्वारा निर्धारित फॉर्मों और तरीके से, अपने विभागों और कार्यालयों के उचित संचालन के लिए अगले बजट चक्र वित्तीय-वर्ष के लिए आवश्यक धनराशि का एक विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करेंगे। इन अनुमानों में एकसमान बजट वर्गीकरण शामिल होंगे और निष्पादित किए जाने वाले कार्यों और ऐसे निष्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया होगा। अनुमानों के साथ सारांश, समय-सारणियाँ और सहायक आंकड़े संलग्न किए जाएंगे। कोई विभाग प्रमुख या अधिकारी जो पिछले बजट चक्र के वर्ष-की-विनियोजित धनराशि से अधिक का अनुरोध कर रहा हो, उसे यह बताना होगा कि किस वर्गीकरण में वृद्धि की आवश्यकता है और प्रत्येक वर्गीकरण के लिए तत्काल आवश्यकता के क्रम को अंकित करना होगा। किसी अधिकारी या विभाग के अध्यक्ष के साथ परामर्श के बाद, मेयर विभाग, कार्यालय या गतिविधि के लिए अधिकतम राशि के आधार पर संशोधित अनुमान तैयार करने के निर्देश के साथ अनुमान को वापस भेज सकता है, वह अधिकतम राशि मेयर द्वारा निर्धारित की जाएगी, या आगे की योग्यता के साथ, जैसा कि मेयर निर्धारित करेगा। अधिकारी या विभाग के अध्यक्ष संशोधित अनुमान को मेयर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और उसकी एक प्रतिलिपि परिषद को और शहर के प्रशासनिक अधिकारी को भी भेजी जाएगी और भेजने की यह तिथि मेयर द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(b) प्रत्येक बजट चक्र से पूर्व 1 फ़रवरी को या उससे पहले, मेयर अगले बजट चक्र के वित्तीय-वर्ष के लिए अपनी बजट प्राथमिकताएँ प्रकाशित करेंगे, ताकि जनता की टिप्पणियाँ प्राप्त की जा सकें।

(c) प्रत्येक बजट चक्र से पूर्व, प्रत्येक-वर्ष 1 मार्च को या उससे पहले नियंत्रक परिषद को और प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक शहर के प्रशासनिक अधिकारी को एक प्रतिलिपि के साथ, मेयर को उस धनराशि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसका नियंत्रक अनुमान लगाता है कि ब्याज और ढूँढते हुए निधियों के लिए और शहर या विशेष ज़िलों के सभी बकाया बंधक ऋणग्रस्तता और अन्य वैध दायित्वों के लिए आवश्यक होगा, और जुर्मानों, लाइसेंसों और अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व का अनुमान भी प्रस्तुत करेगा।

धारा 7. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 312 को, जो शहर के बजट से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 312. मेयर का प्रस्तावित बजट।

प्रत्येक बजट चक्र से पूर्व, प्रत्येक-वर्ष 1 अप्रैल 20 अप्रैल-को, जैसा लागू हो, मेयर आगामी बजट चक्र वित्तीय-वर्ष के लिए एक बजट परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें संक्षेप और विस्तृत रूप से निम्नलिखित का उल्लेख होगा:

(a) आगामी बजट चक्र वित्तीय-वर्ष के लिए शहर की सरकार के काम संबंधी आवश्यक कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यक व्ययों और विनियोजनों का अनुमान, जिसमें शहर तथा विशेष ज़िलों के बंधक ऋणग्रस्तता पर देय ब्याज और ढूँढते हुए निधियों अथवा मूलधन के भुगतान भी शामिल होंगे;

(b) बजट प्रस्तुत किए जाने के समय प्रभावी कानूनों के अंतर्गत तथा बजट में शामिल राजस्व संबंधी प्रस्ताव, यदि कोई हों, के अंतर्गत आगामी बजट चक्रवित्तीय-वर्ष के दौरान शहर को प्राप्त होने वाली आय का विस्तृत अनुमान;

(c) शहर की सरकार के पिछले पूर्ण हो चुके बजट चक्रवित्तीय-वर्ष के दौरान हुए व्यय और प्राप्तियाँ;

(d) वर्तमान बजट चक्रवित्तीय-वर्ष के दौरान शहर की सरकार के व्यय और प्राप्तियों का अनुमान;

(e) वार्षिक, स्थायी या अन्य विनियोजनों की वह राशि, जिसमें पूर्ववर्ती बजट चक्रवित्तीय-वर्ष के विनियोजनों की शेष राशियाँ भी शामिल हैं, जो वर्तमान बजट चक्रवित्तीय-वर्ष के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध हैं, उक्त वर्ष की 30 जून की स्थिति के अनुसार;

(f) निम्नलिखित के संतुलित विवरण:

(1) पिछले पूर्ण हो चुके बजट चक्रवित्तीय-वर्ष के अंत में राजकोष की स्थिति;

(2) वर्तमान बजट चक्रवित्तीय-वर्ष में राजकोष की अनुमानित स्थिति; और

(3) यदि बजट में निहित वित्तीय प्रस्तावों को अपनाया जाता है, तो आगामी बजट चक्रवित्तीय-वर्ष के अंत में राजकोष की अनुमानित स्थिति।

(g) शहर के बॉण्ड, नोट तथा अन्य वैध दायित्वों से संबंधित सभी आवश्यक तथ्य;

(h) शहर की सरकार की वित्तीय स्थिति को व्यावहारिक रूप से पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए आवश्यक या वांछनीय अन्य वित्तीय विवरण और आंकड़े;

(i) एक अनिविनियोजित शेष राशि, जो आगामी बजट चक्रवित्तीय-वर्ष में बाद में उत्पन्न होने वाली आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनियोजन के लिए उपलब्ध रहेगी; और

(j) आरक्षित कोष के संसाधनों का एक विवरण, जिसे आगामी बजट चक्रवित्तीय-वर्ष में आगे ले जाया जाएगा, ताकि आगामी बजट चक्रवित्तीय-वर्ष के उस हिस्से के लिए, करों की प्राप्ति से पहले, नगर की नकद आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, या चार्टर में किए गए प्रावधान के अनुसार अनिविनियोजित शेष राशि के लिए विनियोजन किया जा सके।

धारा 8. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 313 को, जो शहर के बजट से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 313. बजट पर परिषद का विचार-विमर्श।

मेयर द्वारा प्रस्तुत बजट प्राप्त होने के बाद और बजट पर कार्रवाई करने से पहले, परिषद एक अधिसूचित जन सुनवाई आयोजित करेगी। प्रत्येक बजट चक्र से पूर्व 1 जून को या उससे पहले, परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी:

(a) मेयर द्वारा प्रस्तुत बजट को अनुमोदित करेगी; या

(b) बजट में किसी मद को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकृत करके, या किसी मद को बढ़ाकर या घटाकर, या नए मद जोड़कर संशोधन करेगी, और परिषद द्वारा संशोधित बजट को मेयर को वापस करेगी। इस धारा के अंतर्गत परिषद द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई उसके सदस्यों के बहुमत मत से की जाएगी।

यदि परिषद इस धारा में दिए गए प्रावधान के अनुसार बजट को मेयर को वापस करने में विफल रहती है, तो मेयर द्वारा परिषद को प्रस्तुत किया गया बजट सिटी क्लर्क द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसके बाद आगामी बजट चक्रवित्तीय-वर्ष के लिए शहर का सामान्य बजट बन जाएगा।

धारा 9. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 315 को, जो शहर के बजट से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 315. मेयर के वीडो संदेश पर परिषद का विचार-विमर्श; अंतिम रूप से स्वीकृत बजट।

मेयर द्वारा बजट पर वीडो का संदेश प्राप्त होने पर, परिषद के पास शनिवार, रविवार और क़ानूनी छुट्टियों को छोड़कर पाँच दिन का समय होगा, जिसके भीतर वह बजट के किसी भी मद या मदों से संबंधित मेयर की कार्रवाई को रद्द कर सकती है। बजट की कोई भी मद या मदें जिन्हें मेयर द्वारा वीडो कर दिया गया हो या अन्यथा परिवर्तित कर दिया गया हो, और जिन्हें परिषद के सभी सदस्यों के दो-तिहाई मतों से, मेयर की आपत्तियों के बावजूद पुनः अपनाया न गया हो या परिषद द्वारा मूल रूप से अपनाई गई राशि और मेयर द्वारा परिवर्तित राशि के बीच की राशि में परिवर्तित न किया गया हो, वे मेयर द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार ही बनी रहेंगी।

यदि मेयर ने किसी मद पर लागू होने वाले किसी विवरण या सीमा में कोई परिवर्तन किया है, तो परिषद, इस धारा के अनुसार अपनी कार्रवाई में, उस विवरण या सीमा को बदलने के लिए तब तक कोई शक्ति नहीं रखेगी जब तक कि उसे उस स्थिति में बहाल न कर दिया जाए जिसमें उसे मूल रूप से परिषद द्वारा अपनाया गया था।

परिषद की पाँच-दिन की अवधि समाप्त होने पर यदि परिषद बहुमत से ऐसा निर्देश देती है, तो उस दिन की अवधि के भीतर, या उससे पहले, मेयर द्वारा प्रस्तुत बजट, और परिषद द्वारा बाद में किए गए संशोधनों की सीमा तक, आगामी बजट चक्रवित्तीय-वर्ष के लिए शहर का सामान्य बजट बन जाएगा और इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे तुरंत सिटी क्लर्क को भेज दिया जाएगा, जिस पर सिटी क्लर्क के हस्ताक्षर होंगे और इसे नियंत्रक के कार्यालय में दर्ज किया जाएगा।

धारा 10. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 320 को, जो शहर के बजट से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 320. व्यय कार्यक्रम।

शहर के सामान्य बजट में प्रावधानित प्रत्येक कार्यालय और विभाग तथा पुस्तकालय एवं मनोरंजन और पार्क विभागों को, जहाँ तक उन्हें सामान्य कोष से किए गए विनियोजनों द्वारा सहायता प्राप्त होती है, चार्टर, अध्यादेश और अन्य लागू क़ानून के अन्य प्रावधानों में निर्धारित तरीके से, आगामी बजट चक्रवित्तीय-वर्ष के दौरान अपने संचालन के लिए विनियोजित धनराशि व्यय करने का अधिकार होगा; किंतु ऐसा व्यय केवल नियोजित व्ययों के एक ऐसे कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा, जिसे क़ानून के अनुसार तैयार, दाखिल और समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। शहर की सरकार का कोई भी विभाग, ब्यूरो, या कार्यालय उसके लिए विनियोजित धनराशि से अधिक खर्च नहीं करेगा या देनदारियाँ नहीं उठाएगा।

धारा 11. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर में एक नई धारा 323 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

धारा 323. पूंजीगत अवसंरचना योजना का निर्धारण।

चार्टर की आवश्यकताओं के अनुरूप, अध्यादेश द्वारा एक पूंजीगत अवसंरचना योजना निर्धारित की जाएगी। इस अध्यादेश के तहत योजना के लिए शासन व्यवस्था के साथ-साथ योजना का दायरा, समयसीमा, पूंजी नियोजन प्रक्रिया, योजना में किसी परियोजना को शामिल करने के मानदंड, रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ और बजट प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

धारा 12. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 341 को, जो शहर के बजट और स्थानांतरण से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 341. आरक्षित निधि से स्थानांतरण; अविनियोजित शेष राशि से विनियोजन।

वर्षिक-बजट को अपनाए जाने के बाद, वर्षिक-बजट की किसी भी विनियोजित मद की पूरी या आंशिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरक्षित निधि से स्थानांतरण किया जा सकता है, अथवा सामान्य कोष या अविनियोजित शेष राशि में स्थानांतरण किया जा सकता है। बजट पारित होने के बाद, ये स्थानांतरण और अविनियोजित शेष राशि से कोई भी विनियोजन निम्नानुसार किया जा सकता है:

(a) मेयर की अनुशंसा पर, परिषद के बहुमत मत से अनुमोदित;

(b) परिषद के बहुमत से मतदान करने पर, मेयर एक अनुमोदन के अधीन या परिषद द्वारा मेयर के वीटो को दो-तिहाई मतों से पारित करने पर।

यदि किसी स्थानांतरण या विनियोग संबंधी आदेश को प्रस्तुत किए जाने के दस दिनों के भीतर मेयर द्वारा परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखित आपत्तियों सहित सिटी क्लर्क को वापस नहीं किया जाता है, तो वह आदेश प्रभावी हो जाएगा और वैध होगा, ऐसा मानते हुए कि जैसे मेयर ने उसे अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया हो।

धारा 13. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 343 की उपधाराओं (a) और (b) को, जो शहर के बजट और स्थानांतरण से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(a) **अपने स्वयं के कोषों को नियंत्रित नहीं करने वाले विभाग।** जिस विभाग का अपने स्वयं के कोष पर नियंत्रण नहीं है, उसका अध्यक्ष विभाग के बजट में आवंटित मदों में से किसी एक से दूसरे मद में या किसी नए मद में, जिसे वर्षिक-बजट अपनाने के बाद बनाया गया हो, राशि स्थानांतरित करने के लिए मेयर को लिखित आवेदन कर सकता है। मेयर के अनुमोदन पर, नियंत्रक स्थानांतरण करेगा, लेकिन पैंतीस हजार डॉलर (\$35,000) या अध्यादेश द्वारा निर्धारित किसी अन्य राशि से अधिक को परिषद के बहुमत से अनुमोदित किए बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। उपरोक्त के बावजूद, परिषद के बजट के भीतर स्थानांतरण के लिए, परिषद के अध्यक्ष को स्थानांतरण को अनुमोदित करने का अधिकार होगा।

(b) **अपने स्वयं के कोषों को नियंत्रित करने वाले विभाग।** अपने स्वयं की निधियों पर नियंत्रण रखने वाले किसी भी विभाग का महाप्रबंधक, विभाग के वर्षिक-बजट में एक मद से दूसरी मद में राशि के स्थानांतरण के लिए या वर्षिक-बजट को अपनाए जाने के बाद बनाई गई किसी नई मद में राशि के स्थानांतरण के लिए, विभाग के नियंत्रण और प्रबंधन का दायित्व रखने वाले बोर्ड को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है। बोर्ड के अनुमोदन पर नियंत्रक स्थानांतरण करेगा, लेकिन पैंतीस हजार डॉलर (\$35,000) से अधिक की राशि या अध्यादेश द्वारा निर्धारित अन्य राशि का स्थानांतरण मेयर द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किए बिना नहीं किया जाएगा।

धारा 14. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 371 की उपधारा (e) को, जो अनुबंधों की प्रतिस्पर्धात्मक निविदा से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(e) **अपवाद।** इस धारा के प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(1) ऐसे अनुबंध, जिनमें प्रतिफल का उचित अनुमान अध्यादेश द्वारा निर्दिष्ट राशि से कम हो।

(2) संविदा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ऐसे अनुबंध जो पेशेवर, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, तकनीकी, या अन्य विशेष सेवाएँ देने के लिए अस्थायी और आकस्मिक प्रकृति की हों और जिनके लिए संविदा प्राधिकारी को लगता है कि प्रतिस्पर्धी बोली लगाना व्यावहारिक या लाभप्रद नहीं है।

(3) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा प्रदान किए गए पेटेंट अधिकारों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित अनुबंध।

(4) परिषद के बहुमत से अनुमोदित होने पर, अचल संपत्ति को पट्टेदार के रूप में पट्टे पर लेने या अचल संपत्ति की खरीद से संबंधित अनुबंध।

(5) ऐसे अनुबंध, जिनके अंतर्गत मरम्मत, परिवर्तन, कार्य या सुधार किए जाने हों और जिन्हें संविदा प्राधिकारी या बोर्ड अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति ने लिखित रूप में जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति की सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक घोषित किया हो। इस घोषणा में अत्यावश्यकता के कारणों का उल्लेख किया जाएगा और इसे परिषद या उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा अनुमोदित करना अनिवार्य होगा। अनुमोदन इस धारा की एक या अधिक आवश्यकताओं के अनुपालन की शर्त पर दिया जा सकता है।

(6) युद्धकाल या संघीय, राज्य या स्थानीय कानून के अनुसार घोषित राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय आपातकाल के दौरान किए गए ऐसे अनुबंध, जिनके संबंध में परिषद दो-तिहाई मत से अपनाए गए और मेयर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के माध्यम से इस धारा के किसी एक या सभी प्रतिबंधों को अथवा विशिष्ट बोर्डों, अधिकारियों या कर्मचारियों पर उनकी प्रयोज्यता को निलंबित करती है।

(7) उपकरण या सॉफ्टवेयर के निर्माता या उसके अनन्य एजेंट से उपकरणों की मरम्मत या उनके पुर्जों के लिए, अथवा सॉफ्टवेयर की सर्विस या रखरखाव के लिए किए गए अनुबंध।

(8) अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सहकारी व्यवस्था के लिए किए गए ऐसे अनुबंध, जिनके अंतर्गत उन एजेंसियों के क्रय अनुबंधों तथा पेशेवर, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ या तकनीकी सेवा अनुबंधों और उनसे संबंधित किसी भी कार्यान्वयन समझौते का उपयोग किया जाता है, भले ही ऐसे अनुबंध और कार्यान्वयन समझौते प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से न किए गए हों।

(9) चार्टर को अपनाए जाने की तारीख तक Olvera स्ट्रीट पर मौजूद व्यापारियों के साथ किए जाने वाले नए दीर्घकालिक रियायत समझौते, जिन पर El Pueblo de Los Angeles ऐतिहासिक स्मारक के प्रशासन के लिए जिम्मेदार शहरी विभाग द्वारा मोलभाव की गई हो।

(10) धारा 1022 की आवश्यकताओं के अधीन, ऐसे अनुबंध, जिनमें अनुबंध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पेशेवर, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, तकनीकी या अन्य विशेष सेवाओं के निष्पादन से संबंधित अनुबंध भी शामिल हैं, जहाँ अनुबंध प्राधिकारी यह पाता हो कि प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया का उपयोग अव्यावहारिक या असंभव होगा, या जहाँ न्यायाधीशों द्वारा लिए गए फैसले (कॉमन लॉ) के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक निविदा संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करना अन्यथा आवश्यक नहीं है।

(11) अध्यादेश द्वारा निर्धारित योग्यता मानकों को पूरा करने वाले विक्रेताओं के साथ किए गए ऐसे अनुबंध, जो महत्वपूर्ण अवसंरचना के डिजाइन, विकास, खरीद या सेवा-रखरखाव के लिए हों। इसमें ऐसी परिसंपत्तियाँ, प्रणालियाँ और नेटवर्क शामिल होंगे, चाहे वे फिजिकल हों या वर्चुअल, जो शहर के लिए इतने महत्वपूर्ण हों कि उनके निष्क्रिय हो जाने या नष्ट हो जाने से सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा, या इनमें से किसी भी संयोजन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

धारा 15. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 470 की उपधारा (c) के उपखंड (12) के उपपैरा (H) को, जो अभियान योगदान की सीमाएँ और प्रकटीकरणों से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(H) इस प्रावधान के अधीन आने वाले प्रत्येक अनुबंध की निविदा में इस उपखंड के निषेधों की सूचना शामिल होगी। इस धारा के अधीन आने वाले किसी अनुबंध के लिए बोली या प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, बोलीदाता या प्रस्तावक को एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें उसके प्रमुख व्यक्तियों, कम से कम \$100,000 मूल्य के उपानुबंध करने वाले उपठेकेदारों और उन उपठेकेदारों के प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए गए हों। साथ ही,

उसे यह प्रमाणित करना होगा कि वह इस उपखंड के प्रतिबंधों का पालन करेगा और अपने प्रमुख व्यक्तियों तथा उपठेकेदारों को इन प्रतिबंधों की जानकारी देगा; तथा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी। संविदा प्राधिकारी के विवेक पर, इस प्रावधान के अधीन किसी भी फॉर्म को भरने में किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक दोष को मामूली या महत्वहीन मानकर माफ किया जा सकता है, या अध्यादेश द्वारा आगे प्रदान किए गए अनुसार उसका निवारण किया जा सकता है। नीति आयोग द्वारा अपेक्षित महत्वपूर्ण जानकारी में किसी त्रुटि या चूक को माफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अध्यादेश द्वारा आगे प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार, बोली या प्रस्ताव के मूल्यांकन या स्कोरिंग से पहले इसे ठीक किया जा सकता है।

धारा 16. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 507 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 507. मुख्य प्रशासनिक अधिकारीगण।

निर्वाचित पदों को छोड़कर, चार्टर द्वारा स्थापित या अध्यादेश द्वारा गठित प्रत्येक विभाग और कार्यालय, तथा लोक निर्माण विभाग के अनुबंध प्रशासन, इंजीनियरिंग, स्वच्छता, सड़क प्रकाश व्यवस्था और सड़क सेवाओं के प्रत्येक ब्यूरो में एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। आयुक्त बोर्ड के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन आने वाले विभागों में, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी विभाग के मामलों को संभालता है। आयुक्त बोर्ड के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन न आने वाले विभागों और कार्यालयों में, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पास विभाग या कार्यालय के सभी कार्यों का पूर्ण प्रभार और नियंत्रण होता है। चार्टर और Los Angeles के प्रशासनिक संहिता में अन्यत्र, मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास महाप्रबंधक और निदेशक सहित विभिन्न पदनाम हो सकते हैं।

धारा 17. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 509 की उपधारा (e) को, जो शहर के बजट और विभागों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(e) प्रत्येक बजट चक्र वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले विभाग के बोर्ड को एक वार्षिक विभागीय बजट की अनुशंसा करना, जिसमें विभाग या ब्यूरो की अनुमानित आय और व्यय शामिल हों और जो जहाँ तक व्यावहारिक हो, शहर के सामान्य बजट के संबंध में अनुच्छेद III में निर्धारित प्रारूपों और तिथियों के अनुरूप हो;

धारा 18. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 510 की उपधारा (g) को, जो शहर के बजट और विभागों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(g) प्रत्येक बजट चक्र वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले विभाग की अनुमानित आय और व्यय को शामिल करते हुए एक वार्षिक एक बजट प्रस्तुत करना, जिसमें, यदि आयुक्त बोर्ड द्वारा कोई निर्देश दिए गए हों, तो उनके अनुसार बोर्ड के कार्यों के उचित संचालन के लिए आवश्यक धनराशि भी शामिल हो;

धारा 19. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 511 की उपधारा (b) को, जो शहर के बजट और विभागों के बोर्ड की ज़िम्मेदारियों से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(b) प्रत्येक बजट चक्र वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले, विभाग का एक वार्षिक एक बजट अपनाना और विभाग के बजट के लिए वार्षिक एक विनियोजन करना, जिसमें विभाग की अनुमानित आय और व्यय भी शामिल हों। विभागीय बजट यथासंभव अनुच्छेद III में शहर के सामान्य बजट के लिए निर्धारित प्रारूपों और समय-सीमाओं के अनुरूप होगा। प्रत्येक विभागीय बजट में एक राशि होगी जिसे अप्रयुक्त शेष राशि के रूप में जाना जाएगा, जो राशि आगामी बजट चक्र वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए बोर्ड द्वारा विनियोजन के लिए उपलब्ध होगी। बजट पारित होने पर उसकी एक प्रति, और

बाद में पारित किए गए प्रत्येक प्रस्ताव की एक प्रति, जिसमें अप्रयुक्त शेष राशि से विनियोग किया गया हो, तुरंत मेयर और नियंत्रक के पास दाखिल की जाएगी। विभाग द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा और न ही कोई वित्तीय दायित्व लिया जाएगा, सिवाय इसके कि वह विभाग के वार्षिक-बजट के विनियोजन, या वार्षिक-बजट को अपनाए जाने के बाद किए गए विनियोजनों द्वारा अधिकृत हो, या जैसा कि चार्टर में अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

धारा 20. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 572 की उपधारा (d) को, जो शहर के बजट और पुलिस आयुक्त बोर्ड के कार्यकारी निदेशक की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(d) प्रत्येक बजट चक्र वित्तीय-वर्ष के शुरू होने से पहले पुलिस आयुक्त बोर्ड को एक ऐसा बजट प्रस्तावित करना, जिसमें बोर्ड और उसके कर्मचारियों की अनुमानित आय और व्यय शामिल हों और जो जहाँ तक व्यावहारिक हो, शहर के सामान्य बजट के संबंध में चार्टर में निर्धारित प्रारूपों और तिथियों के अनुरूप हो;

धारा 21. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 574 की उपधारा (e) को, जो शहर के बजट और पुलिस प्रमुख की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(e) प्रत्येक बजट चक्र के वित्तीय-वर्ष के शुरू होने से पहले पुलिस आयुक्त बोर्ड को विभाग के अनुमानित राजस्व और व्यय को शामिल करते हुए एक वार्षिक-एक विभागीय बजट प्रस्तावित करना, जिसमें कार्यकारी निदेशक के नियंत्रण में आने वाले अनुमानित राजस्व और व्यय शामिल न हों, और जो जहाँ तक व्यावहारिक हो, शहर के सामान्य बजट के लिए चार्टर में निर्धारित प्रारूपों और तिथियों के अनुरूप हो;

धारा 22. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 581 को, जो लोक निर्माण बोर्ड से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 581. लोक निर्माण बोर्ड।

लोक निर्माण बोर्ड के सदस्य अपना पूरा समय अपने पद के कर्तव्यों के लिए समर्पित करेंगे, जब तक कि अध्यादेश द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। धारा 514 के होते हुए भी, नगर परिषद, परिषद के दो-तिहाई मतों से पारित अध्यादेश द्वारा, मेयर के वीटो के अधीन रहते हुए या मेयर के वीटो पर परिषद के तीन-चौथाई मतों से पारित अध्यादेश द्वारा, लोक निर्माण बोर्ड की संरचना या अस्तित्व में कोई भी परिवर्तन कर सकती है, साथ ही साथ इसकी शक्तियों और कर्तव्यों में कोई भी वृद्धि या कमी कर सकती है। चार्टर और लागू अध्यादेशों और कानून के अधीन रहते हुए, बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे:

(a) लोक निर्माण विभाग के लिए नीति निर्धारित करना और उसका प्रबंधन करना;

(b) प्रस्तावों या बोलियों के लिए अनुरोधों की जांच, विचार और तैयारी तथा आवश्यक बॉण्ड की राशि के विज्ञापन और निर्धारण के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित करना, जैसा कि धारा 370 से 378 तथा संबंधित अध्यादेशों द्वारा किसी भी काम या सुधार के लिए प्रदान किया गया है;

(c) अनुबंधों के आवंटन को मंजूरी देना;

(d) लागू कानून के अनुसार काम शुरू करने और पूरा करने का समय निर्धारित करना;

(e) परिषद के प्राधिकरण के अधीन रहते हुए, लोक निर्माण की परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए शहर की ओर से संपत्ति पट्टे पर देना या खरीदना;

(e)(f) धारा 580 में निर्दिष्ट कार्यों के लिए अनुबंध देने और शहर से संबंधित किसी सार्वजनिक स्थान, मार्ग या संपत्ति में प्रस्तावित परिवर्तन या सुधार से संबंधित लाभ, क्षति और लागत का निर्धारण करने तथा

क्षति और लागत को कवर करने के लिए संपत्ति पर मूल्यांकन करने और वसूलने से संबंधित कानून द्वारा प्रदत्त या परिषद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करना;

(l)(g) विभाग के कार्य से संबंधित अध्यादेश द्वारा अधिकृत सुनवाई करना और अपीलों पर सुनवाई करना, जिसमें विशेष मूल्यांकन से संबंधित सुनवाई भी शामिल है;

(g)(h) अपनी पहल पर या शिकायत मिलने पर, विभागीय कार्यों और कर्मचारियों के कृत्यों की जांच करना और निष्कर्षों की रिपोर्ट लोक निर्माण निदेशक, मेयर और परिषद को देना;

(h)(i) लोक निर्माण निदेशक के परामर्श से, लोक निर्माण की परियोजनाओं के लिए विनिर्देशों को मंजूरी देना;

(j) पूरी हो चुकी लोक निर्माण की परियोजनाओं को स्वीकार करना, बशर्ते कि बोर्ड लोक निर्माण निदेशक को एक लाख डॉलर (\$100,000) से कम या बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य राशि से कम की परियोजनाओं को स्वीकार करने का अधिकार सौंप सकता है;

(l)(k) लोक निर्माण निदेशक, मेयर, और परिषद को लोक निर्माण की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में सिफारिशें करना; और

(l)(l) हर वर्ष जुलाई के दूसरे सप्ताह में होने वाली परिषद की बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें बॉण्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, उस राशि को किन उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया है, खर्च की गई राशि, प्रत्येक बॉण्ड के फंड में शेष राशि तथा ऐसी अन्य जानकारी और सुझाव शामिल हों जिन्हें वह उचित समझे।

लोक निर्माण बोर्ड को ऐसे सभी निर्माण और रखरखाव कार्य करने तथा यहाँ उल्लिखित किसी भी उद्देश्य को अपने नियंत्रण में उपलब्ध और ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी कोष से पूरा करने का अधिकार होगा; बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी परिषद की किसी भी कार्य या सुधार का आदेश देने तथा उसके भुगतान का तरीका निर्धारित करने की शक्ति को कम करने के रूप में नहीं समझा जाएगा, हालांकि ऐसा कार्य या सुधार लोक निर्माण बोर्ड के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में किया जाएगा।

धारा 23. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 582 को, जो लोक निर्माण निदेशक से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 582. लोक निर्माण निदेशक

लोक निर्माण विभाग का एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा, जिसे लोक निर्माण निदेशक के रूप में जाना जाएगा, जिसकी नियुक्ति और बर्खास्तगी धारा 508 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। धारा 509 में निर्धारित शक्तियों और कर्तव्यों के बजाय के अलावा, निदेशक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे:

(a) बोर्ड द्वारा अपनाए गए सभी आदेशों, नियमों और विनियमों को लागू करना;

(b) अनुबंधों का प्रशासन करना;

(c) बोर्ड द्वारा अधिकृत निर्माण एवं रखरखाव के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन करना;

(d) निदेशक को बोर्ड या अध्यादेश द्वारा सौंपे गए अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक निर्माण के अनुबंधों को मंजूरी देना;

(e) सड़कों पर अतिक्रमण संबंधी परमिट और शहर के मार्गाधिकारों के अस्थायी उपयोग के लिए आवश्यक अन्य परमिट जारी करना;

(f) परिषद की मंजूरी के अधीन, अनिवार्य अधिग्रहण की शक्ति का प्रयोग करना तथा लोक निर्माण परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए शहर की ओर से संपत्ति को पट्टे पर लेना या खरीदना बोर्ड को लोक निर्माण की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में सिफारिशें करना;

(g) बोर्ड, मेयर और परिषद को लोक निर्माण की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सिफारिशें करना, जहाँ प्रासंगिक हो, वहाँ बोर्ड से प्राप्त प्रतिक्रिया को शामिल करना;

(h)(g) विभागीय लेखांकन और प्रबंधन-कर्मचारी सेवाओं से संबंधित कार्यों की निगरानी करना, जिसमें इन कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार विभाग के किसी भी व्यूरो की निगरानी भी शामिल है, तथा इन कार्यों को करने वाले कर्मचारियों को निर्देश देना, नियुक्त करना, सेवा से हटाना, निलंबित करना और स्थानांतरित करना, ये सभी कार्य चार्टर के नागरिक सेवा संबंधी प्रावधानों के अधीन होंगे;

(i) सार्वजनिक मार्ग, जमीनी परिवहन, शहर के स्वामित्व वाली इमारतों और सार्वजनिक स्थानों सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, शहरव्यापी पूंजीगत अवसंरचना नियोजन के कार्य का समर्थन करना;

(j) अध्यादेश द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, विभाग और किसी भी व्यूरो के लिए प्रौद्योगिकी प्रणालियों की खरीदारी और कार्यान्वयन की देखरेख करना;

(k) पूरी हो चुकी लोक निर्माण की परियोजनाओं को स्वीकार करना और मरम्मत की उचित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना पूर्ण होने के समय संचालन और रखरखाव के लिए धन की सिफारिश करना;

(l)(h) प्रत्येक बजट चक्र वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले मेयर और परिषद बोर्ड को विभाग की अनुमानित आय और व्यय को सम्मिलित करने वाला एक वार्षिक एक विभागीय बजट प्रस्तावित करना, जो जहाँ तक व्यावहारिक हो, शहर के सामान्य बजट के संबंध में अनुच्छेद III में निर्धारित प्रारूपों और तिथियों के अनुरूप हो; और

(m)(f) बोर्ड और मेयर के समक्ष विभाग के कार्य पर नियमित रूप से लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जैसा कि मेयर या बोर्ड द्वारा अनुरोध किया गया हो; और

(n) निर्माण एवं रखरखाव की देखरेख करना तथा निदेशक के नियंत्रण में उपलब्ध और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपलब्ध किसी भी निधि से इसमें उल्लिखित किसी भी प्रयोजन को पूरा करना; बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी परिषद की किसी भी कार्य या सुधार का आदेश देने तथा उसके भुगतान का तरीका निर्धारित करने की शक्ति को कम करने के रूप में नहीं समझा जाएगा, यद्यपि ऐसा कार्य या सुधार लोक निर्माण निदेशक के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में बोर्ड के निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

धारा 24. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 610 को, जो नगर के बजट और स्वायत्त विभागों से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 610. ऋण जवाबदेही और पूंजीगत सुधार योजना।

प्रत्येक दो वर्ष में अपने वार्षिक बजट को प्रस्तुत करने के साथ, प्रत्येक स्वायत्त विभाग को मेयर, परिषद, और नियंत्रक के समक्ष ऋण जवाबदेही तथा प्रमुख पूंजीगत सुधार योजना प्रस्तुत करनी होगी।

धारा 25. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 683 की उपधारा (c) को, जो शहर के बजट और लोक जवाबदेही कार्यालय के कार्यकारी निदेशक से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(c) कार्यकारी निदेशक (1) सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, लेकिन बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन नहीं होगा; (2) OPA (लोक जवाबदेही कार्यालय) के सभी कार्यों का पूर्ण प्रभार और नियंत्रण रखेगा; (3) इससे जुड़े मामलों के उचित प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा; (4) चार्टर के लोक सेवा संबंधी प्रावधानों के अधीन,

इसके सभी कर्मचारियों को नियुक्त, सेवा से मुक्त, निलंबित या स्थानांतरित करेगा; (5) चार्टर के सलोक सेवा संबंधी प्रावधानों के अधीन, OPA के कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के संबंध में निर्देश जारी करेगा; (6) प्रत्येक बजट चक्र वित्तीय-वर्ष के शुरू होने से पहले और अध्यादेश द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार, OPA के अनुमानित व्ययों को शामिल करते हुए प्रस्तावित वार्षिक बजट नगर प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा; (7) बजट में किए गए विनियोजनों या बजट अपनाए जाने के बाद किए गए विनियोजनों के प्रावधानों के अनुसार OPA की धनराशि खर्च करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के अनुबंध देना भी शामिल है; और (8) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

धारा 26. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 684 को, जो शहर के बजट और जल एवं विद्युत आयुक्त बोर्ड से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 684. बजट को सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए नगर परिषद को प्रस्तुत करना।

जल एवं विद्युत आयुक्त बोर्ड आगामी बजट चक्र वित्तीय-वर्ष के लिए एक प्रारंभिक बजट, सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, प्रत्येक बजट चक्र से पूर्व हस्त-वर्ष 31 मार्च तक, और किसी भी स्थिति में उससे बाद नहीं, नगर परिषद को प्रस्तुत करेगा तथा उसी वर्ष 31 मई तक 31 मार्च के बाद प्राप्त अतिरिक्त जानकारी के आधार पर प्रारंभिक बजट को अपडेट करेगा, जिसमें राजस्व और व्यय के अनुमानों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी भी शामिल होगी, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होगी। यह धास्स 1 जुलाई 2011 से प्रभावी होगी।

धारा 27. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 1001 की उपधारा (a) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 1001. छूट।

निम्नलिखित में से प्रत्येक पद को इस अनुच्छेद के प्रावधानों से छूट प्राप्त है:

(a) छूट प्राप्त पद।

(1) जनता द्वारा निर्वाचित सभी पदाधिकारी।

(2) आयुक्त बोर्ड के सभी सदस्य।

(3) शहर के सभी विभागों और कार्यालयों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा किसी भी लोक निर्माण विभाग के व्यूरो के निदेशक, जिनमें अनुबंध प्रशासन, इंजीनियरिंग, स्वच्छता, सड़क प्रकाश-व्यवस्था और सड़क सेवाओं के व्यूरो शामिल हैं।

(4) शहर के प्रत्येक कार्यालय या विभाग में सहायक महाप्रबंधक या उप निदेशक के वर्ग में दो पद, तथा किसी भी लोक निर्माण विभाग के व्यूरो में सहायक निदेशक के वर्ग में दो पद, जिनमें अनुबंध प्रशासन, इंजीनियरिंग, स्वच्छता, सड़क प्रकाश-व्यवस्था और सड़क सेवाएँ शामिल हैं, और नियंत्रक के कार्यालय में उप नियंत्रक के वर्ग में दो पद।

(5) सभी पुलिस उप प्रमुख।

(6) सभी उप अग्निशमन प्रमुख।

(7) मेयर के कार्यालय में पद।

(8) परिषद द्वारा परिषद के सदस्यों को उनके कर्तव्यों के पालन में सहायता करने के उद्देश्य से स्थापित पद, लिपिकीय कर्मियों को छोड़कर।

(9) शहरी वकील के कार्यालय में सभी पद।

- (10) जल एवं विद्युत विभाग के मुख्य वित्तीय अधिकारी।
- (11) पुलिस आयुक्त बोर्ड के कार्यकारी निदेशक।
- (12) पुलिस विभाग के महानिरीक्षक।
- (13) शहर के नैतिकता आयोग के कार्यकारी निदेशक और सभी कर्मों।
- (14) शहरी प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में सभी सहायक निदेशक।
- (15) बंदरगाह विभाग के यातायात प्रबंधक और बंदरगाह वार्डन।
- (16) क्रॉसिंग गार्ड।
- (17) धारा 1040 के अधीन सभी चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक।
- (18) चुनाव के सभी अधिकारी।
- (19) शहरी क्लर्क द्वारा विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति, जिन्हें चार्टर की धारा 405 के प्रावधानों द्वारा किसी भी चुनाव के संचालन में सहायता करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- (20) चार्टर द्वारा अन्यत्र विशेष रूप से छूट प्राप्त पद।

धारा 28. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 1160 की उपधारा (a) को, जो शहर के बजट और Los Angeles सिटी कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्रणाली से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(a) **बजट का प्रेषण।** बोर्ड प्रत्येक वर्ष-मेयर और नियंत्रक को आगामी बजट चक्र के लिए एक बजट तैयार करके प्रस्तुत करेगा, जिसमें सेवानिवृत्ति निधि के रखरखाव की अनुमानित लागत का विवरण दिया जाएगा। बजट में निम्नलिखित मदों को अलग-अलग शामिल किया जाएगा:

(1) *शहर का योगदान।* सेवानिवृत्ति प्रणाली के सभी सदस्यों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर राशि, जो प्रतिशत अंतिम वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए गए प्रतिशत के समान होगा, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि यह उन विभागों के सदस्यों के लिए आवश्यक प्रतिशत है जिनकी कोई पूर्व सेवा नहीं है।

(2) *अवित्तपोषित देनदारियों का परिसमापन।* सिस्टम द्वारा ली गई किसी भी संचित अवित्तपोषित देनदारियों को 30 वर्षों तक की अवधि में निपटाने के लिए पर्याप्त राशि।

(3) *प्रशासनिक व्यय।* नगर परिषद के विवेकानुसार, प्रणाली के प्रशासनिक व्यय।

धारा 29. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 1210 की उपधारा (a) को, जो शहर के बजट और Los Angeles अग्रिशन एवं पुलिस पेंशन योजना से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(a) **वार्षिक बजट को अपनाना।** अग्रिशन एवं पुलिस पेंशन आयुक्त बोर्ड प्रत्येक बजट चक्र वर्ष के लिए एक बजट अपनाएगा, जिसमें अग्रिशन एवं पुलिस पेंशन योजना के प्रत्येक टियर के प्रशासनिक व्यय का विवरण दिया जाएगा। बजट को सार्वजनिक बैठक में अपनाया जाएगा। परिषद के विवेकानुसार, प्रशासनिक व्यय, जिसमें निवेश प्रबंधन व्यय शामिल है, योजना की परिसंपत्तियों से भुगतान किया जा सकता है।

धारा 30. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 1210 की उपधारा (b) के पहले पैराग्राफ़ को, जो शहर के बजट और Los Angeles अग्निशमन एवं पुलिस पेंशन योजना से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(b) **बजट की अलग-अलग मदें।** बोर्ड प्रत्येक वर्ष मेयर, परिषद और नियंत्रक को आगामी बजट चक्र के लिए एक बजट तैयार करके प्रस्तुत करेगा, जिसमें अग्निशमन एवं पुलिस पेंशन योजना के रखरखाव की अनुमानित लागत का विवरण दिया जाएगा। बजट में निम्नलिखित में से प्रत्येक मद को अलग-अलग शामिल किया जाएगा, चाहे वह मद धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या:

धारा 31. विच्छेदनीयता। अगर इस चार्टर संशोधन या इसके किसी भी भाग की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश या अनुप्रयोग को सक्षम न्याय सीमा के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, तो चार्टर संशोधन की शेष धाराएं, उपधाराएं, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस चार्टर संशोधन के प्रावधान विच्छेदनीय हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाता यह घोषणा करते हैं कि यदि इस चार्टर संशोधन की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग को असंवैधानिक या अमान्य घोषित नहीं किया गया होता, तो वे इसकी सभी धाराओं, उपधाराओं, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों, भागों और अनुप्रयोगों को पारित कर देते।

क्या सिटी चार्टर में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं ताकि: क्षेत्रीय नियोजन आयोगों की जगह नेबरहुड अपीलस आयोग बनाया जाए और नेबरहुड अपीलस आयोग तथा शहरी नियोजन आयोग के फैसलों की नगर परिषद द्वारा समीक्षा करने की प्रक्रिया तय की जा सके; कुछ योजना संबंधी फैसलों पर नगर परिषद की कार्रवाई के समय और प्रक्रिया में बदलाव किया जा सके; नियोजन विभाग को अर्ध-न्यायिक समीक्षा से जुड़े आवेदनों की जांच करने, उन पर सुनवाई करने और फैसला लेने का अधिकार दिया जा सके; और फ्लोर एरिया से जुड़े नियमों में अध्यादेश द्वारा बदलाव करने की अनुमति दी जाए?

निष्पक्ष सारांश

SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

यह विधेयक शहर की योजना और भूमि उपयोग प्रबंधन से संबंधित परिवर्तन प्रस्तावित करता है। इस विधेयक के तहत सिटी चार्टर (चार्टर) में नगर नियोजन विभाग और नियोजन निदेशक के अधिकार और कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया जाएगा, साथ ही नियोजन और भूमि उपयोग संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिए नगर परिषद के अधिकार में संशोधन किया जाएगा और सात क्षेत्रीय नियोजन आयोगों के स्थान पर एक नया पड़ोस अपील आयोग गठित किया जाएगा।

शहर अपने चार्टर (शहर का संविधान) और अध्यादेशों (शहर के कानूनों) के माध्यम से नियोजन और भूमि उपयोग को नियंत्रित करता है। यह चार्टर एक मूलभूत दस्तावेज है जो प्रमुख निर्णयकर्ताओं की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, जिनमें नगर नियोजन विभाग, नगर नियोजन आयोग, क्षेत्रीय नियोजन आयोग, नियोजन निदेशक, क्षेत्र निर्धारण प्रशासन कार्यालय, नगर परिषद और मेयर शामिल हैं। इस चार्टर में सामान्य योजना संशोधनों, क्षेत्र निर्धारण में परिवर्तनों, भिन्नताओं, सशर्त उपयोग परमिटों और इसी तरह की अर्ध-न्यायिक स्वीकृतियों सहित कुछ भूमि उपयोग अधिकारों के लिए प्रक्रियाओं और अपील के अधिकारों को भी निर्धारित किया गया है।

यह विधेयक:

- सात क्षेत्रीय नियोजन आयोगों (APCs) और उनके 35 आयुक्तों को एक नए पड़ोस अपील आयोग (NAC) से प्रतिस्थापित करेगा, जिसमें कम से कम सात सदस्य होंगे, जो अध्यादेश द्वारा निर्धारित भौगोलिक या अन्य प्रतिनिधित्व से संबंधित योग्यता आवश्यकताओं के अधीन होंगे, और NAC को प्रशासनिक अपीलों की सुनवाई करने और उन अपीलों पर नए सिरे से और पहले के निर्णयकर्ताओं के प्रति सम्मान दिखाए बिना विचार करने की शक्ति प्रदान करेगा। इससे APC प्रणाली समाप्त हो जाएगी जो जुलाई 2000 में वर्तमान चार्टर के प्रभावी होने के बाद से लागू है और शहर को एक ऐसी निगरानी और निर्णय लेने वाली संरचना में वापस लाया जाएगा जो 2000 से पहले मौजूद संरचना के समान होगी, जिसमें एक एकल, पांच सदस्यीय अर्ध-न्यायिक निकाय, क्षेत्र निर्धारण अपील बोर्ड शामिल था।
- नगर नियोजन विभाग और नियोजन निदेशक की जिम्मेदारियों को चार्टर में निर्दिष्ट करेगा, इसके लिए क्षेत्र निर्धारण प्रशासन कार्यालय संबंधी चार्टर के अनुभाग में संशोधन करेगा ताकि विभाग को अर्ध-न्यायिक आवेदनों पर अधिकार प्रदान किया जा सके और नियोजन निदेशक को अध्यादेश द्वारा अधिकृत अर्ध-न्यायिक समीक्षा के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए क्षेत्र

निर्धारण प्रशासन कार्यालय के बाहर के कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया जा सके।

- चार्टर के उन अनुभागों को हटा देगा जो नियोजन संबंधी सामान्य संशोधनों, क्षेत्र निर्धारण में परिवर्तनों, भिन्नताओं, सशर्त उपयोग परमिटों और इसी तरह की अर्ध-न्यायिक स्वीकृतियों सहित कुछ भूमि उपयोग अधिकारों के लिए प्रक्रियाओं और अपील अधिकारों को स्थापित करते हैं, और विधायी प्राधिकरण के प्रत्यायोजन को भी हटा देगा, जिससे ऐसे मामलों को अध्यादेश द्वारा शासित करने के लिए अधिकृत किया जा सके।
- नगर परिषद द्वारा नियोजन और भूमि उपयोग संबंधी मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन करेगा। यह विधेयक: (1) नगर परिषद द्वारा अधिकार क्षेत्र का दावा करने के बाद, पुनर्विचार के लिए नगर परिषद के समक्ष मामले की सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए नगर नियोजन आयोग या पड़ोस अपील आयोग को 30 दिन की समय सीमा निर्धारित करेगा; (2) पुनर्विचार के लिए आयोगों की कार्रवाई को अंतिम मतदान के लिए नगर परिषद को संदर्भित करना अनिवार्य करेगा; और (3) नगर परिषद को 21 दिनों के भीतर कार्रवाई करना अनिवार्य करेगा अन्यथा आयोग की कार्रवाई निर्णायक हो जाएगी। नियोजन और भूमि उपयोग के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र का दावा करने के लिए नगर परिषद का अधिकार अद्वितीय है क्योंकि अधिकार क्षेत्र का दावा करने पर परिषद अंतर्निहित आयोग के स्थान पर कार्य करने की क्षमता रखती है।
- यदि मेयर और नगर नियोजन आयोग द्वारा अनुमोदन के 75 दिनों के भीतर नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो नियोजन संबंधी सामान्य संशोधनों को स्वतः ही अनुमोदित मान लिया जाएगा। यह विधेयक: (1) शहर के वर्तमान कानून को प्रतिस्थापित करेगा जो नगर परिषद द्वारा मामले पर कार्रवाई न करने पर नियोजन संबंधी सामान्य संशोधन की स्वतः अस्वीकृति का प्रावधान करता है, और (2) नगर परिषद द्वारा कार्रवाई करने के लिए 75 दिन की समय सीमा को, जो पहले से ही शहर के कानून में उल्लिखित है, चार्टर में संहिताबद्ध करेगा।
- इसके तहत नगर परिषद को अध्यादेश द्वारा तल क्षेत्र संबंधी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार दिया जाएगा। वर्तमान चार्टर के अनुसार, किसी स्थल के निर्माण योग्य क्षेत्र के 13 गुना तल क्षेत्र की सीमा निर्धारित है।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण

MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

इस विधेयक के तहत सात क्षेत्रीय नियोजन आयोगों के स्थान पर एक पड़ोस अपील आयोग स्थापित किया जाएगा; पड़ोस अपील आयोग और नगर नियोजन आयोग के निर्णयों की नगर परिषद द्वारा समीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी; योजना संबंधी कुछ निर्णयों पर नगर परिषद की कार्रवाई की समय-सीमा और प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा; योजना विभाग को अर्ध-न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदनों की जाँच करने, उन पर सुनवाई करने और उनका निर्णय करने का अधिकार दिया जाएगा; तथा नगर परिषद को अध्यादेश द्वारा तल क्षेत्र संबंधी विनियमों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया जाएगा। इस विधेयक से राजस्व पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। आयोग के कर्मचारियों और संसाधनों के लिए वार्षिक प्रशासनिक लागत में \$360,000 की कमी होने का अनुमान है, जो \$1.1 मिलियन से घटकर \$740,000 हो जाएगी। लागत में कमी से योजना संबंधी मामलों की प्रक्रिया के लिए विशेष कोष पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसे सामान्य कोष से उपदान दिया जाता है।

Los Angeles ने ऐसी नियोजन प्रणाली के दुष्परिणाम देखे हैं, जिसमें भूमि उपयोग से जुड़े व्यक्तिगत फैसले राजनीति में उलझ सकते हैं। जब नियम स्पष्ट नहीं होते या फैसले राजनीतिक विवेक पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होते हैं, तो इससे विशेष हित रखने वाले समूहों को अपने लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार पाने के अवसर मिलते हैं और सिटी हॉल के प्रति जनता का भरोसा कमजोर होता है।

विधेयक PL इस स्थिति को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विधेयक PL, स्पष्ट नियम स्थापित करके, अधिक सुसंगत प्रक्रियाएँ अपनाकर और नियोजन संबंधी निर्णय लेने के तरीके के लिए अधिक जवाबदेही तय करके Los Angeles की नियोजन प्रणाली का आधुनिकीकरण करता है।

इस विधेयक के तहत मौजूदा क्षेत्रीय योजना आयोगों के स्थान पर एक पड़ोस अपील आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे योजना संबंधी अपीलों की सुनवाई के लिए शहरव्यापी स्तर पर अधिक सुसंगत प्रक्रिया तैयार होगी। यह नगर परिषद द्वारा पड़ोस अपील आयोग और नगर योजना आयोग के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए और भी स्पष्ट प्रक्रियाएँ स्थापित करता है और कुछ नियोजन मामलों पर परिषद की कार्यवाई के लिए प्रक्रिया और समयसीमा में सुधार करता है।

विधेयक PL योजना विभाग के पेशेवर कर्मचारियों को उचित अर्ध-न्यायिक आवेदनों की जाँच करने, सुनवाई करने और निर्णय लेने का अधिकार भी देता है। इससे योजना संबंधी नियमित फैसलों की प्रक्रिया सरल और तेज़ बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही सार्वजनिक समीक्षा और निगरानी के रास्ते भी खुले रहेंगे। यह अध्यादेश के जरिए इमारतों की घनत्व सीमा में बदलाव की अनुमति भी देता है, जिससे Los Angeles को बदलती आवास, विकास और पड़ोस की जरूरतों के अनुसार प्रतिक्रिया देने में अधिक लचीलापन मिलेगा।

इन सुधारों से हमारी नियोजन प्रणाली को समझना आसान हो जाएगा और किसी भी निवासी के लिए इसका उपयोग करना अधिक कुशल हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकार की स्पष्ट रेखाएँ और सुसंगत प्रक्रियाएँ किसी भी व्यक्ति के लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार का लाभ उठाने हेतु प्रणाली में हेरफेर करना कठिन बना देती हैं।

विधेयक PL सार्वजनिक भागीदारी और निगरानी को बनाए रखते हुए एक ऐसी नियोजन प्रणाली का निर्माण करता है जो अधिक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और जवाबदेह हो।

Los Angeles के निवासियों को यह जानने का अधिकार है कि योजना संबंधी निर्णय कौन लेता है, वे निर्णय कैसे लिए जाते हैं, और यह कि सभी एक ही नियमों का पालन करते हैं।

योजना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें। पारदर्शिता बढ़ाएँ। जवाबदेही को मजबूत करें। भ्रष्टाचार से लड़ें।

विधेयक PL पर हाँ में मतदान करें।

चार्टर संशोधन PL के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

RAYMOND MEZA

चेयर

Charter Reform Commission

ROY SAMAN

अध्यक्ष

Engineers & Architects Association

इस विधेयक के विरुद्ध कोई तर्क दाखिल नहीं किया गया था।

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर या चार्टर के मौजूदा अनुभागों में जोड़े गए नए प्रावधानों या भाषा को रेखांकित करके दिखाया गया है; चार्टर या चार्टर के मौजूदा अनुभागों से मिटाए गए शब्दों को कट कर दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन PL (शहरी योजना विभाग)

प्रस्तावित मतपत्र विधेयक का पाठ

धारा 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 104 की उपधारा (e) को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(e) **फर्श क्षेत्र प्रतिबंध।** किसी भी भवन-स्थल पर स्थित सभी भवनों का कुल फर्श क्षेत्रफल उस स्थल के निर्माण योग्य क्षेत्रफल के 13 गुना से अधिक नहीं चाहिए, जब तक कि परिषद द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो; निर्माण योग्य क्षेत्रफल का निर्धारण अध्यादेश द्वारा किया जाएगा। परिषद अध्यादेश द्वारा इस उपधारा के प्रावधानों को परिभाषित और लागू कर सकती है तथा भवनों या संरचनाओं के कुल फर्श क्षेत्रफल, निर्माण योग्य क्षेत्रफल और ऊँचाई अथवा आकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती है तथा उनका विनियमन कर सकती है।

धारा 2. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 245 की उपधारा (e), जो बोर्ड के कार्यों पर नगर परिषद के वीटो के संबंध में है, को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(e) **शहरी योजना आयोग और पड़ोस अपील आयोग क्षेत्रीय-सोजन-असोमेंकी कार्रवाईयों के लिए अपवाद।** परिषद की शक्ति शहरी योजना आयोग या पड़ोस अपील आयोग क्षेत्रीय-सोजन-असोमेंकी के कार्यों पर वीटो करने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इस धारा में निर्धारित समय-सीमाओं और अन्य प्रतिबंधों के अधीन, किसी विषय को अपने समक्ष लाने के लिए मतदान करने के बाद, उस विषय पर कार्रवाई करने का वही अधिकार परिषद को प्राप्त होगा, जो मूलतः शहरी योजना आयोग या पड़ोस अपील आयोग क्षेत्रीय-सोजन-असोमेंकी के पास था। यदि परिषद इस मामले को वीटो कर देती है और इसे वापस भेज देती है, तो शहरी योजना आयोग या पड़ोस अपील आयोग के पास इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने और सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए 30 दिन का समय होगा। पुनर्विचार के लिए वापस भेजे गए मामले पर शहरी योजना आयोग या पड़ोस अपील आयोग द्वारा की गई कार्रवाई को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि परिषद द्वारा उस मामले पर अंतिम द्वितीय मतदान किया जा सके। मामले को अंतिम द्वितीय मतदान के लिए प्रस्तुत किए जाने पर, परिषद को उस मामले पर कार्रवाई करने का वही अधिकार प्राप्त होगा, जो मूलतः शहरी योजना आयोग या पड़ोस अपील आयोग के पास था, और परिषद को उक्त प्रस्तुति की तिथि से 21 कैलेंडर दिनों के भीतर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा; अन्यथा, पुनर्विचार के लिए वापस भेजे गए मामले पर शहरी योजना आयोग या पड़ोस अपील आयोग द्वारा की गई कार्रवाई अंतिम मानी जाएगी। परिषद द्वारा अपनाए गए अवकाश कार्यक्रम के अनुसार, जिन कैलेंडर दिनों में परिषद का अवकाश रहेगा, उन्हें उन 21 कैलेंडर दिनों में शामिल नहीं किया जाएगा, जिनके भीतर परिषद को कार्रवाई करना अनिवार्य है।

धारा 3. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 552 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 552. पड़ोस अपील आयोग। क्षेत्रीय-सोजन-असोम।

परिषद एक अध्यादेश पारित करेगी, जिसके तहत कम से कम सात सदस्यों वाले एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो शहरी योजना विभाग द्वारा किए गए अर्ध-न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध अपीलों पर विचार करेगा। सदस्यों की नियुक्ति और उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शहरी योजना आयोग के सदस्यों के समान होगी, सिवाय इसके कि आयुक्तों की नियुक्तियाँ अध्यादेश द्वारा निर्धारित भौगोलिक या अन्य प्रतिनिधित्व संबंधी योग्यता आवश्यकताओं के अधीन होंगी। पड़ोस अपील आयोग एक अर्ध-न्यायिक एजेंसी है और उसे निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग इनके लिए करेगा:

(a) अध्यादेश द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए, अर्ध-न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई एवं उन पर निर्णय नए सिरे से करना; और

(b) अध्यादेश द्वारा इसे सौंपे गए अन्य मामलों की सुनवाई एवं उन पर निर्णय करना।

परिषद एक अध्यादेश पारित करेगी, जिसके तहत कम से कम पाँच अलग-अलग निकायों का गठन किया जाएगा, जिन्हें क्षेत्रीय योजना आयोगों के रूप में जाना जाएगा। अध्यादेश प्रत्येक क्षेत्रीय योजना आयोग द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाएँ निर्धारित करेगा और इन सीमाओं का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि नगर के सभी क्षेत्रों में किसी न किसी क्षेत्रीय योजना आयोग द्वारा सेवा प्रदान की जाए। प्रत्येक क्षेत्रीय योजना आयोग में पाँच सदस्य होंगे। शहरी योजना आयोग के सदस्यों की तरह ही सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सिवाय इसके कि क्षेत्रीय योजना आयोग द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र में निवास करना नियुक्ति के लिए एक योग्यता होगी। उपधारा (d) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, क्षेत्रीय योजना आयोग अर्ध-न्यायिक एजेंसियाँ हैं।

प्रत्येक क्षेत्रीय योजना आयोग को, क्षेत्रीय योजना आयोग द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र में स्थित संपत्ति से जुड़े मामलों के संबंध में, निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग इनके लिए करेगा:-

(a) उन अपीलों की सुनवाई करना और निर्णय लेना जहाँ यह आरोप लगाया गया हो कि किसी क्षेत्र निर्धारण प्रशासक द्वारा दिए गए किसी आदेश, आवश्यकता, निर्णय, व्याख्या या अन्य निर्धारण में त्रुटि या विवेकाधिकार का दुरुपयोग हुआ है:-

(b) किसी भी ऐसे मामले पर सुनवाई करना और निर्णय लेना जो सामान्यतः क्षेत्र निर्धारण प्रशासक की न्याय सीमा में आता हो, जब वह मामला क्षेत्रीय योजना आयोग की न्याय सीमा में स्थानांतरित कर दिया गया हो क्योंकि क्षेत्र निर्धारण प्रशासक अध्यादेश द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाई करने में विफल रहा हो;

(c) अध्यादेश द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सशर्त उपयोग परमिट और अन्य समान अर्ध-न्यायिक अनुमोदनों से संबंधित आवेदनों या अपीलों की सुनवाई करना और निर्णय लेना;

(d) धारा 562 के अनुसार शहरी योजना आयोग से प्राप्त क्षेत्र परिवर्तन या इसी प्रकार के मामलों के संबंध में अनुशंसाएँ करना; और

(e) अध्यादेश द्वारा इसे सौंपे गए अन्य मामलों की सुनवाई करना और निर्णय लेना।

धारा 4. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 555 की उपधारा (e) को, जो शहर की सामान्य योजना को अपनाने की प्रक्रियाओं से संबंधित है, निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(e) **अपनाने के लिए मतदान आवश्यक हैं।** यदि शहरी योजना आयोग और मेयर दोनों प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी देने की सिफारिश करते हैं, तो परिषद बहुमत से संशोधन को अपना सकती है। यदि शहरी योजना आयोग या मेयर प्रस्तावित संशोधन को अस्वीकार करने की अनुशंसा करते हैं, तो परिषद दो-तिहाई मतों से ही संशोधन को अपना सकती है। यदि शहरी योजना आयोग और मेयर दोनों ही प्रस्तावित संशोधन को अस्वीकार करने की अनुशंसा करते हैं, तो परिषद केवल तीन-चौथाई मतों से ही संशोधन को अपना सकती है। यदि परिषद किसी संशोधन में कोई बदलाव प्रस्तावित करती है, तो संशोधन पर आयोग और मेयर की सिफारिशें केवल उसी संशोधन पर लागू होंगी। यदि मेयर की अनुशंसा के 75 दिनों के भीतर परिषद ने कोई कार्यवाई नहीं की है और प्रस्तावित सामान्य योजना संशोधन को शहरी योजना आयोग और मेयर दोनों से अनुमोदन की अनुशंसा प्राप्त हो गई है, तो संशोधन को अनुमोदित मान लिया जाएगा।

धारा 5. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 560 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 560. सुनवाई और जाँच।

शहरी योजना आयोग और पुडोस अपील आयोग क्षेत्रीय-योजना-आयोग की ओर से सुनवाई करने के लिए योजना निदेशक या उनके नामित व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है। योजना निदेशक धारा 555 और 558 में उल्लिखित सभी मामलों के संबंध में, शहरी योजना आयोग के निर्देशानुसार, जाँच करेगा और अपनी रिपोर्ट शहरी योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

धारा 6. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 561 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 561. अर्ध-न्यायिक समीक्षा क्षेत्र निर्धारण प्रशासन कार्यालय।

शहरी योजना विभाग अर्ध-न्यायिक आवेदनों की स्वतंत्र समीक्षा और अनुमोदन, सशर्त अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार होगा। अर्ध-न्यायिक समीक्षा के कर्तव्यों का निर्वहन शहरी योजना विभाग के नामित कर्मचारी करेंगे, जिनमें अध्यादेश द्वारा अधिकृत, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, क्षेत्र निर्धारण प्रशासन कार्यालय, एक उपसलाहकार एजेंसी और सुनवाई अधिकारी शामिल होंगे। इन सभी की नियुक्ति चार्टर के लोक सेवा संबंधी प्रावधानों के अधीन योजना निदेशक द्वारा की जाएगी। अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नियमों और विनियमों के अधीन, शहरी योजना विभाग अर्ध-न्यायिक समीक्षा के लिए सभी आवेदनों की जाँच करेगा, उन पर सुनवाई करेगा और उनका निर्धारण करेगा, तथा अध्यादेश द्वारा निर्धारित क्षेत्र निर्धारण और भूमि उपयोग संबंधी निर्धारणों के संबंध में अन्य शक्तियों और कर्तव्यों का भी प्रयोग करेगा।

क्षेत्र निर्धारण प्रशासन कार्यालय के नाम से एक अर्ध-न्यायिक एजेंसी होगी। इस कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन परिषद द्वारा अधिकृत एक या अधिक क्षेत्र निर्धारण प्रशासकों द्वारा किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति चार्टर के लोक सेवा संबंधी प्रावधानों के अधीन योजना निदेशक द्वारा की जाएगी। यदि एक से अधिक क्षेत्र निर्धारण प्रशासक अधिकृत हैं, तो मुख्य क्षेत्र निर्धारण प्रशासक के पद का गठन किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति योजना निदेशक द्वारा की जाएगी और अन्य सहयोगी क्षेत्र निर्धारण प्रशासक होंगे। अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नियमों और विनियमों के अधीन, क्षेत्र निर्धारण प्रशासन कार्यालय क्षेत्र निर्धारण संबंधी अध्यादेशों के किसी भी विनियम और आवश्यकताओं से भिन्नता के लिए किए गए सभी आवेदनों की जाँच करेगा और उनका निर्धारण करेगा, तथा अध्यादेश द्वारा निर्धारित क्षेत्र निर्धारण और भूमि उपयोग के संबंध में अन्य शक्तियों और कर्तव्यों का भी प्रयोग करेगा।

परिषद अध्यादेश द्वारा ऐसी समय-सीमाएँ निर्धारित करेगी, जिनके भीतर शहरी योजना विभाग क्षेत्र निर्धारण प्रशासक को अपनी न्याय सीमा के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के मामले पर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय के भीतर क्षेत्र निर्धारण प्रशासक द्वारा कोई निर्धारण नहीं किया जाता है, तो आवेदक इस बात का अनुरोध कर सकता है कि मामले को अध्यादेश द्वारा निर्धारित पुडोस अपील आयोग क्षेत्रीय-योजना-आयोग या किसी अन्य बोर्ड की न्याय सीमा में स्थानांतरित कर दिया जाए।

मुख्य क्षेत्र निर्धारण प्रशासक अध्यादेश द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन ज़रूरी नियमों को अपना सकता है, जो ना तो उन अध्यादेशों के विरुद्ध हों और ना ही उनके असंगत हों। सभी-नियम और विनियम California सार्वजनिक रिकॉर्ड्स अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसरण में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

धारा 7. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 562 को निम्नानुसार निरस्त किया जाता है:

धारा 562. भिन्नताएँ।

परिषद निम्नलिखित के अधीन, अध्यादेश द्वारा भिन्नताएँ प्रदान करने की प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगी:

(a) प्रारंभिक सुनवाई एवं निर्धारण। धारा 564 में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, भिन्नताओं के लिए सभी आवेदनों की सुनवाई और उन पर निर्णय एक क्षेत्र निर्धारण प्रशासक द्वारा किया जाएगा।

(b) अपील प्रक्रिया। किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा क्षेत्र निर्धारण प्रशासक के भिन्नता संबंधी किसी भी प्रकार के निर्णय के विरुद्ध क्षेत्रीय योजना आयोग में अपील की जा सकती है। क्षेत्रीय योजना आयोग द्वारा भिन्नता की स्वीकृति प्रदान किए जाने के विरुद्ध अध्यादेश के अनुसार शहरी योजना आयोग या परिषद में

अपील की जा सकती है। क्षेत्रीय योजना आयोग द्वारा भिन्नता को अस्वीकार करने के निर्णय के विरुद्ध आगे कोई अपील नहीं की जा सकती। हालाँकि, क्षेत्रीय योजना आयोग की बहु-कार्रवाई धारा 245 के अनुसार परिषद की समीक्षा के अधीन है।

(c) भिन्नता स्वीकार करने के लिए निष्कर्ष। भिन्नता स्वीकार करने से पहले निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए:-

(1) यह कि क्षेत्र निर्धारण अध्यादेश के प्रावधानों के कड़ाई से लागू होने से व्यावहारिक कठिनाइयाँ या अनावश्यक परेशानियाँ उत्पन्न होंगी जो क्षेत्र निर्धारण के विनियमों के सामान्य उद्देश्यों और आशय के साथ असंगत हैं:-

(2) यह कि विषय संपत्ति पर ऐसी विशेष परिस्थितियाँ लागू होती हैं जैसे आकार, आकृति, स्थलाकृति, स्थान या परिवेश जो सामान्यतः उसी क्षेत्र और आसपास की अन्य संपत्ति पर लागू नहीं होती हैं:-

(3) यह कि भिन्नता उस महत्वपूर्ण संपत्ति अधिकार या उपयोग के संरक्षण और उपभोग के लिए आवश्यक है, जो सामान्यतः उसी क्षेत्र और आसपास की अन्य संपत्तियों को प्राप्त है, लेकिन विशेष परिस्थितियों तथा व्यावहारिक कठिनाइयों या अनावश्यक परेशानियों के कारण संबंधित संपत्ति के लिए अस्वीकार कर दी गई है:-

(4) यह कि भिन्नता प्रदान करना सार्वजनिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण रूप से हानिकारक नहीं होगा या उसी क्षेत्र या आसपास की अन्य संपत्ति या सुधारों के लिए हानिकारक नहीं होगा जिसमें संपत्ति स्थित है; और

(5) यह कि भिन्नता स्वीकार करने से सामान्य योजना के किसी भी तत्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसी भिन्नता की अनुमति देते समय ऐसी शर्तें शामिल की जा सकती हैं जो विशेषाधिकारों की असमानता को दूर करेंगी और जो लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण की रक्षा के लिए आवश्यक हैं तथा सामान्य योजना के उद्देश्यों और क्षेत्र निर्धारण के अध्यादेश के उद्देश्य और आशय के अनुपालन को सुनिश्चित करती हैं। किसी विशेष विशेषाधिकार प्रदान करने या उसी क्षेत्र और आसपास के अन्य संपत्तियों पर लागू प्रतिबंधों के साथ काफी हद तक असंगत उपयोग की अनुमति देने के लिए किसी भी प्रकार की भिन्नता का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि भिन्नता की आवश्यकता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई हों, तो क्षेत्र निर्धारण प्रशासक भिन्नता को अस्वीकार कर सकता है।

धारा 8. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 563 को निम्नानुसार निरस्त किया जाता है:

धारा 563. सशर्त उपयोग परमिट और अन्य अनुमोदन।

(a) उपखंड। पार्सल मानचित्रों, उपखंड मानचित्रों तथा राज्य उपखंड मानचित्र अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली अन्य स्वीकृतियों के अनुमोदन की प्रक्रिया अध्यादेश द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(b) सशर्त उपयोग परमिट और अन्य समान अर्ध-न्यायिक अनुमोदन। परिषद अध्यादेश द्वारा सशर्त उपयोग परमिट और इसी तरह की अर्ध-न्यायिक अनुमोदनों को प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित करेगी, जो निम्नलिखित के अधीन होगी:

(1) प्रारंभिक निर्धारण। सशर्त उपयोग परमिट और इसी तरह के अर्ध-न्यायिक भूमि उपयोग अनुमोदन के लिए आवेदनों की सुनवाई और उनका निर्णय अध्यादेश के अनुसार क्षेत्र निर्धारण प्रशासक या क्षेत्रीय योजना आयोग द्वारा किया जाएगा। हालाँकि, शहरी योजना आयोग ऐसे नियम और विनियम अपना सकता है, जो अध्यादेश द्वारा अनुमोदन के अधीन होंगे, जिनमें ऐसे अर्ध-न्यायिक अनुमोदनों के बग़ैर या श्रेणियों की पहचान की जाएगी, जिनका प्रभाव पूरे नगर पर पड़ता है और यह प्रावधान किया जाएगा कि ऐसे अनुमोदनों पर क्षेत्रीय योजना आयोग के बजाय शहरी योजना आयोग द्वारा सुनवाई की जाए और उनका निर्धारण किया जाए।

(2) अपील प्रक्रिया। किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा सशर्त उपयोग परमिट या इसी तरह की अर्ध-न्यायिक अनुमोदन के संबंध में क्षेत्र निर्धारण प्रशासक के निर्णय के विरुद्ध क्षेत्रीय योजना आयोग में अपील की जा सकती है। क्षेत्रीय योजना आयोग के निर्णयों के विरुद्ध, क्षेत्र निर्धारण प्रशासक के निर्णय के विरुद्ध अपील पर क्षेत्रीय योजना आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों को छोड़कर, अध्यादेश के अनुसार शहरी योजना आयोग या परिषद में अपील की जा सकती है। हालाँकि, सशर्त उपयोग परमिट और इसी तरह की अर्ध-न्यायिक अनुमोदनों की प्रक्रिया में किसी निर्णय लेने वाले अधिकारी या निकाय के निर्णय के विरुद्ध अपील का एक से अधिक स्तर शामिल नहीं हो सकता है। इस प्रतिबंध के प्रयोजनों के लिए:

(A) सुनवाई परीक्षाओं या अन्य विधियों का उपयोग, जिनके द्वारा निर्णय लेने वाले अधिकारी या निकाय को अनुशंसाएँ की जाती हैं, निर्णय लेने वाले अधिकारी या निकाय के निर्णय के विरुद्ध अपील को नहीं सेकता है।

(B) यदि परिषद अपीलिय निकाय के रूप में कार्य कर रही है, तो परिषद की कार्रवाई मेयर के अनुमोदन के अधीन हो सकती है और यदि अध्यादेश द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया हो, तो परिषद के दो-तिहाई मतों द्वारा मेयर की अस्वीकृति को रद्द किया जा सकता है।

(C) चार्टर की धारा 245 के तहत किसी कार्रवाई की परिषद द्वारा की गई समीक्षा को इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपील नहीं माना जाएगा।

(D) अपील पर लागू होने वाले प्रतिबंध किसी भी विधायी कार्रवाई पर लागू नहीं होते हैं।

धारा 9. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 564 को निम्नानुसार निरस्त किया जाता है:

धारा 564. एकाधिक अनुमोदन की आवश्यकता वाली परियोजनाएँ।

यदि किसी परियोजना के लिए क्षेत्र निर्धारण प्रशासक तथा क्षेत्रीय योजना आयोग या शहरी योजना आयोग, दोनों का अनुमोदन आवश्यक हो, तो वे अनुमोदन, जिन पर अन्यथा क्षेत्र निर्धारण प्रशासक द्वारा सुनवाई की जाती और उनका निर्धारण किया जाता, क्षेत्रीय योजना आयोग या शहरी योजना आयोग द्वारा सुनी जाएगी और उनका निर्धारण किया जाएगा, इनमें से वही आयोग इस कार्य के लिए सक्षम होगा, जिसकी न्याय सीमा में परियोजना के लिए आवश्यक अन्य अनुमोदन आते हैं। किसी ऐसी परियोजना के लिए अनुमोदन, जिसमें अर्ध-न्यायिक और विधायी दोनों प्रकार की कार्रवाइयों की आवश्यकता होती है, शहरी योजना आयोग द्वारा सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, सिवाय इसके कि धारा 565 में अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

धारा 10. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 565 को निम्नानुसार निरस्त किया जाता है:

धारा 565. क्षेत्रीय योजना आयोगों को विधायी प्राधिकार का प्रत्यायोजन।

शहरी योजना आयोग अध्यादेश द्वारा अनुमोदन के अधीन, ऐसे नियम और विनियम अपना सकता है जो उन परियोजनाओं के लिए विधायी कार्यों के वर्गों या श्रेणियों की पहचान करते हैं जिनका पूरे शहर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह प्रावधान कर सकता है कि उन परियोजनाओं पर कार्रवाई शहरी योजना आयोग के स्थान पर एक क्षेत्रीय योजना आयोग द्वारा की जाएगी।

धारा 11. विच्छेदनीयता। अगर इस चार्टर संशोधन या इसके किसी भी भाग की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश या अनुप्रयोग को सक्षम न्याय सीमा के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, तो चार्टर संशोधन की शेष धाराएं, उपधाराएं, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस चार्टर संशोधन के प्रावधान विच्छेदनीय हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाता यह घोषणा करते हैं कि यदि इस चार्टर संशोधन की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग को असंवैधानिक या अमान्य घोषित नहीं किया गया होता, तो वे इसकी सभी धाराओं, उपधाराओं, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों, भागों और अनुप्रयोगों को पारित कर देते।

क्या सिटी चार्टर में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं ताकि: पुलिस विभाग के महानिरीक्षक और अग्निशमन विभाग के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जा सके; नीतिशास्त्र आयुक्तों को कुछ निर्वाचित पदों के लिए पांच वर्षों तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सके; चुनाव प्रचार वित्त संबंधी उल्लंघनों के लिए दंड बढ़ाया जा सके; नगर परिषद की बैठक को वर्तमान में अनिवार्य तीन दिनों के बजाय कम से कम साप्ताहिक रूप से अनिवार्य बनाया जा सके; जनमत संग्रह याचिका पर हस्ताक्षर संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि की जा सके; और नैतिकता, चुनाव और शासन से संबंधित अन्य परिवर्तन किया जा सके?

निष्पक्ष सारांश

SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

सिटी चार्टर शहर की सरकार की संरचना, शक्तियों, कार्यों, प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। शहर की नैतिकता, चुनावों और शासन के संबंध में यह शहर सिटी चार्टर में विभिन्न परिवर्तन और स्पष्टीकरण प्रस्तावित कर रहा है।

इस विधेयक के तहत सिटी चार्टर में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:

- नीति आयोग के कार्यकारी निदेशक और आयुक्तों को अपने पद छोड़ने के बाद कम से कम पांच वर्षों के लिए शहर के किसी भी निर्वाचित पद या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला के शिक्षा बोर्ड के पद के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाएगा, जिससे शहर या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला के निर्वाचित पद के लिए चुनाव लड़ने पर पांच साल का सेवा-पश्चात प्रतिबंध लगाया जा सके;
- चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन अधिकतम मौद्रिक दंड बढ़ाकर \$15,000 किया जाएगा, जिसे मुद्रास्फीति के अनुसार प्रतिवर्ष समायोजित किया जाएगा या गलत तरीके से रिपोर्ट की गई अथवा अवैध रूप से दी गई, खर्च की गई, प्रदान की गई या प्राप्त की गई राशि के तीन गुना के बराबर, इनमें से जो भी अधिक हो, वह दंड लगाया जाएगा;
- नगर परिषद के समक्ष जनमत संग्रह याचिका प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षरों की संख्या को मेयर के पिछले चुनाव में डाले गए कुल वोटों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जो कि पहल याचिकाओं के लिए आवश्यक हस्ताक्षरों के प्रतिशत के बराबर होगी;
- पुलिस विभाग के महानिरीक्षक की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए, पुलिस आयुक्त बोर्ड के उस अधिकार को समाप्त किया जाएगा जिसके तहत वह महानिरीक्षक को जांच या लेखापरीक्षण शुरू करने या जारी रखने से मना कर सकता है;
- अग्निशमन विभाग के स्वतंत्र निर्धारक की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए, अग्निशमन आयुक्त बोर्ड के उस अधिकार को समाप्त किया जाएगा जिसके तहत वह स्वतंत्र निर्धारक को मूल्यांकन या लेखापरीक्षण शुरू करने या जारी रखने से मना कर सकता है;
- भाषा को स्पष्ट किया जाएगा ताकि यदि विभागीय शक्तियों के हस्तांतरण या समेकन से पुलिस विभाग या अग्निशमन विभाग का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण रूप से बदले या प्रभावित हो, तो ये विभाग ऐसे हस्तांतरण या समेकन से मुक्त रहें;
- यह अनिवार्य किया जाएगा कि नगर परिषद वर्तमान में अनिवार्य रूप से प्रति सप्ताह कम से कम तीन दिन के बजाय कम से कम साप्ताहिक रूप से नियमित बैठकें करे;

- आयुक्त बोर्ड की कार्रवाई को अंतिम रूप देने की समय-सीमा को चार्टर में वर्तमान में निर्धारित नगर परिषद के पाँच बैठक दिनों के बजाय 15 कैलेंडर दिन किया जाएगा, बशर्ते कि उन 15 दिनों के दौरान नगर परिषद का नियमित सत्र आयोजित हुआ हो;
- पुलिस आयुक्त बोर्ड द्वारा पुलिस प्रमुख को हटाने की कार्रवाई को अंतिम रूप देने से पहले नगर परिषद को कार्रवाई करने के लिए मिलने वाली समय-सीमा को चार्टर में वर्तमान में निर्धारित नगर परिषद के दस बैठक दिनों के बजाय 21 कैलेंडर दिन किया जाएगा, बशर्ते कि उन 21 दिनों के दौरान नगर परिषद का नियमित सत्र आयोजित हुआ हो;
- यह स्पष्ट किया जाएगा कि शहर अलग-अलग भाषाओं में शहरी सेवाएँ सुलभ कराने के लिए आवश्यक अध्यादेश और नीतियाँ अपनाएगा तथा उन्हें लागू रखेगा; और
- पड़ोस परिषदों से संबंधित प्रावधानों में कई तकनीकी और शब्दावली संबंधी परिवर्तन शामिल किए जाएँगे और यह स्पष्ट किया जाएगा कि पड़ोस परिषद के हितधारक की परिभाषा अध्यादेश द्वारा निर्धारित हो।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण

MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

यह सिटी चार्टर संशोधन शासन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में परिवर्तन करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: विभिन्न भाषाओं में शहरी सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करना; नियमित रूप से आयोजित की जाने वाली नगर परिषद की बैठकों की न्यूनतम संख्या कम करना; जनमत-संग्रह याचिका के लिए आवश्यक हस्ताक्षरों की संख्या बढ़ाना; चार्टर की धारा 470 को धारा 706 में निर्धारित चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी दंड के अनुरूप करना; नैतिकता आयुक्त को पद छोड़ने के बाद पाँच वर्षों तक कुछ निर्वाचित पदों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना; तथा यह स्पष्ट करना कि अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग का क्रमशः स्वतंत्र निर्धारक और महानिरीक्षक द्वारा मूल्यांकन या लेखापरीक्षण उनके संबंधित बोर्डों के निर्देश या निगरानी के बिना किया जा सकेगा। परिषद की बैठकों में कमी से अनुवाद और क्लोज्ड कैप्शनिंग सेवाओं में कमी आएगी, जिससे सामान्य कोष की लागत में बचत हो सकती है। अग्निशमन और पुलिस आयोगों में बदलाव के लिए नए जांचकर्ताओं की नियुक्ति, बाहरी लेखा परीक्षकों को बनाए रखने या मामलों की संख्या के आधार पर जांच कर्मचारियों का विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी लागतें आ सकती हैं जिनका इस समय निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अन्य प्रशासनिक परिवर्तनों से वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

चार्टर संशोधन EE के पक्ष में तर्क

विधेयक EE पर हॉ में मतदान करें Los Angeles के सिटी हॉल में नैतिकता, जवाबदेही, स्वतंत्र निगरानी और प्रभावी शासन को मजबूत करने के लिए।

विधेयक EE शहर की सरकार को जवाबदेह ठहराने वाले जिम्मेदार संस्थानों को मजबूत करता है। यह पुलिस विभाग के महानिरीक्षक और अग्निशमन विभाग के स्वतंत्र निर्धारक के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता है, जिससे शहर के दो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा विभागों की मजबूत स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित होती है। यह अभियान वित्तपोषण नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाकर उन्हें और सख्ती से लागू करता है और यह भी प्रावधान करता है कि नैतिकता आयुक्तों को कुछ निर्वाचित शहरी पदों के लिए चुनाव लड़ने से पहले पाँच साल तक इंतज़ार करना होगा।

विधेयक EE नगर परिषद के कामकाज के तरीके को भी आधुनिक बनाता है। वर्तमान में सिटी चार्टर के अनुसार परिषद को प्रत्येक सप्ताह कम से कम तीन दिन बैठक करनी होती है—यह एक असामान्य जनादेश है जो Los Angeles को अमेरिका के अन्य बड़े शहरों से अलग करता है और परिषद के सदस्यों के पास अपने-अपने जिलों में काम करने, सीधे मतदाताओं से मिलने, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने तथा पड़ोस की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध समय को सीमित करता है। विधेयक EE के तहत नियमित साप्ताहिक परिषद बैठकें अनिवार्य हैं, साथ ही आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें करने की अनुमति भी है, जिससे पूरे शहर के निवासियों की जरूरतों को पूरा करने वाले समय और स्थानों पर बैठकें करने में अधिक लचीलापन मिलता है और परिषद को जनता के कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करने की सुविधा मिलती है। Los Angeles लगभग चार मिलियन लोगों का शहर है, और प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए परिषद के सदस्यों को अपने समुदायों में काम करने, मतदाताओं की चिंताओं का समाधान करने और शहर भर में जटिल नीतिगत चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता होती है।

विधेयक EE जनमत संग्रह और चुनाव प्रक्रियाओं को भी अपडेट करता है और शहर की चार्टर समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किए गए अतिरिक्त सुधारों को आगे बढ़ाता है।

ये सभी सुधार मिलकर निगरानी को मजबूत करते हैं, नैतिक मानकों को बढ़ाते हैं और पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बनाए रखते हुए शहर की सरकार का आधुनिकीकरण करते हैं।

शहर के अधिक नैतिक, जवाबदेह और प्रभावी सरकार के लिए विधेयक EE पर हॉ में मतदान करें।

चार्टर संशोधन EE के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

TIM MCOSKER
परिषद सदस्य, जिला 15
City of LA

KATY YAROSLAVSKY
महिला पार्षद, जिला 5
City of LA

DIEGO ANDRADES
चार्टर सुधार आयुक्त

MARQUEECE HARRIS-DAWSON
परिषद सदस्य, जिला 8
City of LA

EUNISSES HERNANDEZ
परिषद सदस्य, जिला 1
City of LA

छपे हुए तर्क लेखकों की राय है और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर संशोधन EE के विरुद्ध तर्क

चार्टर संशोधन EE को एक नैतिक सुधार विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसमें Los Angeles नगर परिषद की बैठकों को सप्ताह में तीन बार से घटाकर सप्ताह में केवल एक बार करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसका मुख्य प्रभाव सार्वजनिक बैठकों की संख्या कम करना है, जहाँ निवासी कार्यवाही देख सकते हैं, सार्वजनिक टिप्पणी दे सकते हैं और निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं।

सिटी हॉल में वर्षों से चले आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों और नैतिक विफलताओं के बाद, Los Angeles को कम नहीं, बल्कि अधिक पारदर्शिता की जरूरत है। सार्वजनिक बैठकों की संख्या कम होने का मतलब है कि जनता की निगरानी के अवसर कम होंगे और महत्वपूर्ण निर्णयों को जनता की नजरों से दूर रहकर प्रभावित किए जाने की संभावना अधिक होगी।

San Fernando Valley में वर्तमान में नगर परिषद की बैठकें महीने में अधिकतम एक बार ही होती हैं। यदि विधेयक EE पारित हो जाता है, तो संभवतः ये बैठकें कम बार होंगी, जिससे वैली के निवासियों की अपने निर्वाचित अधिकारियों तक पहुँच और भी सीमित हो जाएगी।

संविधान सुधार से पारदर्शिता, सार्वजनिक पहुँच और जवाबदेही का विस्तार होना चाहिए, न कि उनमें कमी।

चार्टर संशोधन EE पर नहीं में मतदान करें।

चार्टर संशोधन EE के विरुद्ध तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

MONICA RODRIGUEZ

Los Angeles नगर महिला पार्षद, जिला 7

City of Los Angeles

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर संशोधन EE के विरुद्ध तर्क का खंडन

विधेयक EE पर हाँ में मतदान करें। अन्य सुधारों के अलावा, EE परिषद को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाता है। साथ ही, निर्वाचित प्रतिनिधियों तक पहुँच भी बढ़ाता है। EE के तहत परिषद का काम सप्ताह में एक बैठक में किया जा सकेगा, जिससे इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी अधिक पूर्वानुमानित और सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा, सप्ताह में एक ही बैठक में कामकाज होने से, परिषद के सदस्य समुदाय में अधिक समय बिता सकते हैं, और उन सेवाओं को प्रदान कर सकते हैं और वह काम कर सकते हैं जिसके लिए वे चुने गए थे।

विपक्ष द्वारा बैठकों की मनमानी संख्या के लिए दिया जाने वाला तर्क एक अप्रभावी, अक्षम और अपव्ययी प्रणाली को कायम रखता है। विपक्ष विधेयक EE के अतिरिक्त सुधारों को भी नजरअंदाज करता है: पुलिस और अग्निशमन विभागों की स्वतंत्र निगरानी, चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी उल्लंघनों के लिए बड़े हुए दंड और नैतिकता आयुक्तों के कुछ निर्वाचित पदों के लिए चुनाव लड़ने से पहले पाँच साल की अनिवार्य अवधि।

EE सार्वजनिक सार्वजनिक पहुँच और मजबूत स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करता है और नगर परिषद की एक पुरातन, मनमानी और फिजूलखर्ची वाली प्रथा को समाप्त करता है। **विधेयक EE पर हाँ में मतदान करें।**

चार्टर संशोधन EE के विरुद्ध तर्क के खंडन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

TIM MCOSKER
परिषद सदस्य, जिला 15
City of LA

KATY YAROSLAVSKY
महिला पार्षद, जिला 5
City of LA

MARQUEECE HARRIS-DAWSON
परिषद सदस्य, जिला 8
City of LA

DIEGO ANDRADES
चार्टर सुधार आयुक्त

छपे हुए तर्क लेखकों की राय है और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर या चार्टर की मौजूदा धाराओं में जोड़े गए नए प्रावधानों या भाषा को रेखांकित करके दिखाया गया है; चार्टर या चार्टर की मौजूदा धाराओं से हटाए गए शब्दों को कट्टर कर दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन EE (शहर की नैतिकता, चुनाव और शासन)

प्रस्तावित मतपत्र विधेयक का पाठ

धारा 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 103 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

शहर के प्रत्येक कार्यालय और विभाग तथा शहर के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिटी ऑफ़ Los Angeles के लोगों की ओर से अपने कार्यों को लगन और समर्पण के साथ करेंगे। शहर की सेवाएँ प्रदान करने और अपने कार्यों के निष्पादन में, सरकार बजटीय सीमाओं के भीतर दक्षता, सुगमता, जवाबदेही, गुणवत्ता, तकनीकी रूप से उन्नत विधियों के उपयोग और जनता की चिंताओं के प्रति तत्परता से कार्य करने के साथ-साथ उच्चतम स्तर की कार्यक्षमता प्राप्त करने का प्रयास करेगी। सरकार और उसके अधिकारियों के कार्य-निष्पादन के प्रत्येक विक्षेपण और समीक्षा में यह निर्धारित करने का प्रयास किया जाएगा कि क्या इन उच्च मानकों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, और यदि नहीं, तो सुधार के उपायों की अनुशंसा की जाएगी। शहर को यह सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेशों और नीतियों को अपनाना और बनाए रखना होगा कि उसके संचार, कार्यक्रम और सार्वजनिक सहभागिता उसके निवासियों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं में सुलभ हों, और यह कि प्रचार-प्रसार शहर के सांस्कृतिक और भाषाई समुदायों को प्रतिबिंबित करे।

धारा 2. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 242 को, जो नगर परिषद के कामकाज के संचालन से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 242. कामकाज का संचालन।

परिषद अपने सदस्यों के निर्वाचन और उनकी अर्हताओं के संबंध में एकमात्र निर्णायक निकाय होगी। परिषद और परिषद की समितियों की बैठकों और कार्यवाही के अभिलेख जनता के लिए खुले रहेंगे, सिवाय इसके कि कानून द्वारा अनुमत होने पर बंद सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। परिषद को अपने कामकाज को व्यवस्थित करने, अपनी कार्यवाही के नियम निर्धारित करने और अपनी बैठकों में व्यवस्था बनाए रखने का अनन्य अधिकार होगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

(a) परिषद की नियमित बैठकें कम-से-कम साप्ताहिक-प्रत्येक सप्ताह में कम-से-कम तीन दिन आयोजित की जाएँगी। बैठकें सिटी हॉल में या शहर में कहीं और आयोजित की जा सकती हैं। परिषद प्रस्ताव पारित करके ऐसी अवधि निर्धारित कर सकती है जिसके दौरान परिषद या उसकी समितियाँ अवकाश पर रहेंगी। परिषद और उसकी समितियाँ भी उचित सूचना देकर अलग-अलग विशेष बैठकें आयोजित कर सकती हैं।

(b) परिषद अध्यादेश या प्रस्ताव द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त संख्या में समितियों की स्थापना करेगी। परिषद और उसकी समितियों का यह कर्तव्य है कि वे शहर के कार्यों की पूरी जानकारी प्राप्त करें, ताकि शहर की सरकार के सभी कार्यों की निगरानी कर सकें और परिषद को ऐसी कोई भी जानकारी दे सके या अनुशंसा कर सकें, जो परिषद को उचित रूप से कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। समितियों को निरीक्षण का अधिकार होगा, लेकिन शहर की सरकार के विभिन्न कार्यों पर उनका कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होगा। शहर की सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी उन अधिकारियों में निहित होगी, जिन्हें चार्टर में उन कार्यों को करने के लिए नामित किया गया है। परिषद के

अध्यक्ष समितियों के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे और परिषद के प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक समिति में नियुक्त किया जाएगा।

धारा 3. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 245 के पहले पैराग्राफ को, जो नगर परिषद द्वारा बोर्ड की कार्यवाइयों पर वीटो किए जाने के समय से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 245. नगर परिषद द्वारा बोर्ड की कार्यवाइयों पर वीटो।

आयुक्त बोर्ड की कार्यवाइयाँ अगले 15 कैलेंडर दिनों भरिस्सद के पाँच बैठक दिनों की अवधि के समाप्त होने पर निर्णायक मानी जाएँगी, जिसके दौरान परिषद ने नियमित सत्र में बैठक की हो, जब तक कि परिषद उस अवधि के भीतर दो-तिहाई मत से उस कार्यवाइ को अपने समक्ष प्रस्तुत करने या उस कार्यवाइ की समीक्षा को अस्वीकार करने का निर्णय न ले। हालांकि, पुलिस आयुक्त बोर्ड द्वारा पुलिस प्रमुख को पद से हटाने से संबंधित किसी भी कार्यवाइ के मामले में, बोर्ड की कार्यवाइ के निर्णायक होने से पहले परिषद द्वारा कार्यवाइ किए जाने की अवधि 21 कैलेंडर दिनों बैठक के दस दिनों की होगी, जिसके दौरान परिषद ने नियमित सत्र में बैठक की हो।

धारा 4. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 461 की उपधारा (a) को, जो जनमत-संग्रह याचिकाओं से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(a) हस्ताक्षर के लिए प्रसारित जनमत-संग्रह याचिका में संबंधित अध्यादेश का पूरा पाठ शामिल होगा। याचिका पर हस्ताक्षरित सभी नाम अध्यादेश के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्राप्त किए गए होने चाहिए। इस समयावधि के बाहर लिए गए किसी भी हस्ताक्षर को याचिका की पर्याप्तता को निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा। परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के योग्य होने के लिए, जनमत-संग्रह याचिका पर शहर के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा ऐसे मतदाताओं की संख्या के बराबर हस्ताक्षर किए गए होने चाहिए, जो याचिका दाखिल किए जाने से पहले हुए पिछले आम नगरपालिका चुनाव या प्राथमिक नामांकन चुनाव में मेयर के पद के सभी उम्मीदवारों को मिले कुल मतों की संख्या का 15% 40% हो।

धारा 5. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 470 की उपधारा (a) के उपखंड (2) के सबपैराग्राफ (A) को, जो शहर के चुनावी वित्त संबंधी कानूनों को लागू किए जाने से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(A) कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर या लापरवाही से इस धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह शहरी वकील या शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लाए गए दीवानी मुकदमे में उत्तरदायी होगा। जहाँ कोई विशिष्ट दीवानी दंड निर्धारित नहीं है, वहाँ किसी व्यक्ति को प्रत्येक उल्लंघन के लिए अधिकतम पंद्रह हजार डॉलर (\$15,000) प्रत्येक उल्लंघन के लिए दो हजार डॉलर (\$2,000), जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने के लिए वार्षिक रूप से समायोजित किया जाएगा या उस राशि की तीन गुनी राशि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिसे उस व्यक्ति ने गलत तरीके से रिपोर्ट किया हो या अवैध रूप से अंशदान, व्यय, प्रदान या प्राप्त किया हो।

धारा 6. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 514 की उपधारा (b) को, जो विभागों, कार्यालयों और बोर्डों की शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(b) अपवाद। इस धारा में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मेयर और परिषद की कार्य करने की शक्ति निम्नलिखित मामलों तक विस्तारित नहीं होगी:

(1) निर्वाचित पद;

- (2) स्वामित्व विभाग;
- (3) Los Angeles शहर की कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्रणाली;
- (4) अग्निशमन एवं पुलिस पेंशन विभाग;
- (5) शहरी नैतिकता आयोग;
- (6) धारा 1060 और 1070 में निहित अग्निशमन विभाग एवं पुलिस विभाग के अनुशासनात्मक कार्य; और
- (7) पुलिस विभाग एवं अग्निशमन विभाग, यदि शक्तियों का हस्तांतरण या समेकन इन विभागों के प्राथमिक उद्देश्य या स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता हो या उसे प्रभावित करता हो।
- (8) स्वतंत्र पुनर्संयोजन आयोग

धारा 7. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 523 को, जो अग्निशमन विभाग के स्वतंत्र निर्धारक से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 523. स्वतंत्र निर्धारक।

स्वतंत्र निर्धारक अग्निशमन आयुक्त बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और उसे अग्निशमन विभाग की जानकारी तक वही पहुंच प्राप्त होगी जो अग्निशमन आयुक्त बोर्ड को प्राप्त है। स्वतंत्र निर्धारक के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे:

- (a) अग्निशमन आयुक्त बोर्ड द्वारा स्थापित नियमों के तहत, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा, चाहे वे शपथ ग्रहण किए हुए हों या असैनिक हों, किए गए कदाचार की शिकायतों के निपटान का लेखा-परीक्षण करना, आकलन करना और समीक्षा करना;
- (b) बोर्ड के बहुमत से अनुरोधित कोई भी लेखा-परीक्षण करना या आकलन करना;
- (c) अग्निशमन आयुक्त बोर्ड को पूर्व सूचना देकर अग्निशमन विभाग या उसके किसी भी भाग का कोई भी आकलन या लेखा-परीक्षण शुरू करना तथा बोर्ड के बहुमत से स्वतंत्र निर्धारक को किसी आकलन या लेखा-परीक्षण को शुरू न करने या जारी न रखने का निर्देश देने के अधिकार के अधीन;
- (d) सभी संबंधित आकलनों और लेखा-परीक्षणों की स्थिति के बारे में बोर्ड को सूचित करते रहना; और
- (e) अपने अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण करना और उन्हें निर्देश जारी करना।

धारा 8. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 573 को, जो पुलिस विभाग के महानिरीक्षक से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 573. पुलिस महानिरीक्षक।

पुलिस महानिरीक्षक पुलिस आयुक्त बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे और उन्हें पुलिस विभाग की सूचनाओं तक वही पहुंच प्राप्त होगी जो पुलिस आयुक्त बोर्ड को प्राप्त है। पुलिस महानिरीक्षक के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे:

- (a) पुलिस आयुक्त बोर्ड द्वारा स्थापित नियमों के तहत, पुलिस अधिकारियों और असैनिक कर्मचारियों द्वारा कदाचार की शिकायतों के संबंध में पुलिस विभाग के कामकाज का लेखा-परीक्षण करना, निरीक्षण करना और पर्यवेक्षण करना तथा बोर्ड द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना;

(b) बोर्ड के बहुमत द्वारा अनुरोधित किसी भी लेखा-परीक्षण या निरीक्षण का संचालन करना;

(c) पुलिस आयुक्त बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस विभाग का कोई भी निरीक्षण या लेखा-परीक्षण शुरू करना तथा बोर्ड के बहुमत से पुलिस महानिरीक्षक को किसी निरीक्षण या लेखा-परीक्षण को शुरू न करने या जारी न रखने का निर्देश देने के अधिकार के अधीन;

(d) सभी संबंधित निरीक्षणों और लेखा-परीक्षणों की स्थिति के बारे में बोर्ड को सूचित करते रहना; और

(e) अपने अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण करना और उन्हें निर्देश जारी करना।

धारा 9. सिटी ऑफ Los Angeles के चार्टर की धारा 700 की उपधारा (d) को, जो शहरी नैतिकता आयोग से संबंधित है, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(d) अहर्ताएँ। आयोग का प्रत्येक सदस्य शहर का पंजीकृत मतदाता होगा। आयोग का कोई सदस्य या पूर्व सदस्य शहर के किसी भी कार्यालय या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला, शिक्षा बोर्ड कार्यालय के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है, जब तक कि आयुक्त की सेवा की अंतिम तिथि के कम से कम पांच साल बाद उस पद के लिए चुनाव आयोजित न किया जाए। आयोग का कोई भी कार्यकारी निदेशक या पूर्व कार्यकारी निदेशक शहर के किसी भी कार्यालय या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला, शिक्षा बोर्ड कार्यालय के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है, जब तक कि कार्यकारी निदेशक की सेवा की अंतिम तिथि के कम से कम पांच साल बाद उस पद के लिए चुनाव आयोजित न किया जाए। न तो आयोग का कोई सदस्य और न ही इसका कार्यकारी निदेशक शहर के किसी ऐसे कार्यालय या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला, शिक्षा बोर्ड कार्यालय के लिए चुनाव लड़ सकता है, जिसके संबंध में आयोग ने आयुक्त या कार्यकारी निदेशक के कार्यकाल के दौरान कोई निर्णय लिया हो, जब तक कि आयुक्त या कार्यकारी निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम दो साल बाद उस पद के लिए चुनाव आयोजित न किया जाए। अपने कार्यकाल के दौरान, न तो आयोग का कोई सदस्य और न ही इसका कार्यकारी निदेशक निम्नलिखित कार्य करेगा:

(1) कोई अन्य सार्वजनिक पद धारण करना;

(2) शहर के चुनाव अभियान में भाग लेना या योगदान देना;

(3) Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला, शिक्षा बोर्ड के किसी सदस्य के लिए चुनाव अभियान में भाग लेना या योगदान देना;

(4) किसी निर्वाचित पद के लिए चुनाव लड़ रहे शहर के किसी अधिकारी या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला, शिक्षा बोर्ड के किसी सदस्य के लिए भाग लेना या उसमें योगदान देना;

(5) सिटी ऑफ Los Angeles में लॉबिस्ट के रूप में पंजीकरण करने के लिए बाध्य व्यक्ति को नियुक्त करना और स्वयं ऐसे व्यक्ति के रूप में नियोजित होना;

(6) किसी ऐसे व्यवसाय में स्वामित्व हित रखना (सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के स्टॉक के अलावा) जिसका शहर के साथ अनुबंध हो या शहर से विवेकाधीन अनुमोदन चाहता हो; या किसी अनुबंध के तहत शहर को व्यक्तिगत रूप से भुगतानित सेवाएँ प्रदान करता हो;

(7) किसी राजनीतिक अभियान या शहर के पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित समिति को वेतन सहित सलाह या सेवाएँ प्रदान करना; या

(8) समितियों में योगदान देना ताकि व्यक्ति राजनीतिक सुधार अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अनुसार एक प्रमुख दाता के रूप में अर्हता प्राप्त कर सके।

धारा 10. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 700 की उपधारा (d) में किए गए संशोधन शहरी नैतिकता आयोग के केवल उस सदस्य या कार्यकारी निदेशक पर लागू होंगे, जिसकी सेवा की अंतिम तिथि इस चार्टर संशोधन की प्रभावी तिथि को या उसके बाद है।

धारा 11. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 900 से लेकर 914 को, जो पड़ोस परिषद से संबंधित हैं, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किए जाते हैं:

धारा 900. उद्देश्य।

सरकार में नागरिक निवासी-भागीदारी को और बढ़ावा देने और सरकार को स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, शहर-व्यापी पड़ोस परिषदों की एक प्रणाली तथा पड़ोस सशक्तिकरण विभाग की स्थापना की जाती है। पड़ोस परिषदों में समुदायों के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होंगे और उनकी भूमिका आस-पड़ोस से संबंधित विषयों पर सलाहकार के तौर पर होगी।

धारा 901. पड़ोस सशक्तिकरण विभाग।

पड़ोस सशक्तिकरण विभाग के कर्तव्य और जिम्मेदारी इस अनुच्छेद और चार्टर के अन्य प्रावधानों में निर्धारित किए गए हैं, ताकि धारा 905 के अनुसार अधिनियमित पड़ोस परिषदों की प्रणाली स्थापित करने वाले अध्यादेशों और विनियमों को लागू किया जा सके और उनकी निगरानी की जा सके। कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(a) पड़ोस परिषदों की एक ऐसी प्रणाली के गठन के लिए योजना तैयार करना, जिससे यह सुनिश्चित हो कि शहर का प्रत्येक भाग किसी पड़ोस परिषद की सीमा के अंतर्गत आता हो और उसे एक पड़ोस परिषद गठित करने का अवसर प्राप्त हो (योजना);

(b) योजना के अनुसार, मान्यता या प्रमाणन के लिए याचिकाएँ तैयार करने, ऐसी सीमाएँ निर्धारित करने जो समुदायों को विभाजित न करें, और स्वयं को संगठित करने में आस-पड़ोस की सहायता करना;

(c) मान्यता प्राप्त पड़ोस परिषदों के अनुरोध पर पड़ोस परिषद कांग्रेस की बैठकें आयोजित करना;

(d) पड़ोस परिषदों के बोर्ड सदस्यों मन्त्रिपरिषद् के निर्वाचन या चयन में पड़ोस परिषदों की सहायता करना;

(e) पड़ोस परिषदों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(f) पड़ोस परिषदों को संसाधनों को सहायता करने में सहायता करना, जिसमें कार्यालय, उपकरण और अन्य प्रकार की सहायता शामिल है, ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों, अन्य पड़ोस परिषदों और सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद कर सकें; और

(g) अध्यादेश द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

धारा 902. पड़ोस आयुक्त बोर्ड।

(a) सात आयुक्तों का एक बोर्ड होगा जिसे पड़ोस आयुक्त बोर्ड (बोर्ड) के नाम से जाना जाएगा। आयुक्तों की नियुक्ति मेयर द्वारा की जाएगी और वे अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों से होंगे, जैसा कि अध्यादेश द्वारा आगे निर्दिष्ट किया गया है। आयुक्तों की नियुक्ति और बर्खास्तगी अन्यथा धारा 502 के अनुसार होगी।

(b) बोर्ड नीति निर्धारण और नीति पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें अनुबंधों और पट्टों की मंजूरी और नियमों और विनियमों का प्रचार शामिल है, लेकिन वह दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(c) बोर्ड चार्टर की धारा 503 से लेकर 508 और 510 के अनुसार कार्य करेगा।

धारा 903. महाप्रबंधक।

(a) पड़ोस सशक्तिकरण विभाग का एक महाप्रबंधक होगा, जिसकी नियुक्ति मेयर द्वारा की जाएगी, और इसकी पुष्टि नगर परिषद द्वारा की जाएगी और इसे धारा 508 में दिए गए प्रावधान के अनुसार हटाया जा सकता है।

(b) महाप्रबंधक को धारा 510 में निर्धारित शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होंगे।

(c) महाप्रबंधक चार्टर के लोक सेवा प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी और उनके कर्तव्यों का निर्धारण करेगा।

धारा 904. पड़ोस परिषद योजना का विकास और रखरखाव

पड़ोस सशक्तिकरण विभाग निम्नलिखित के अनुरूप शहर-व्यापी पड़ोस परिषदों की एक प्रणाली के लिए योजना तैयार करेगा:

(a) पड़ोस सशक्तिकरण विभाग योजना के निर्माण में जनता से सुझाव मांगेगा।

(b) योजना में पड़ोस परिषद प्रणाली के लक्ष्यों, नीतियों और उद्देश्यों का विवरण होगा, और इसके मसौदा अध्यादेश प्रारूप (विनियम) में विशिष्ट नियम होंगे, जो अध्यादेश द्वारा अपनाए जाने पर योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त होंगे।

(c) विनियमों में वह विधि निर्धारित की जाएगी, जिसके द्वारा पड़ोस परिषदों की सीमाएँ निर्धारित की जाएँगी। सीमाओं के निर्धारण की प्रणाली यथासंभव अधिकतम सीमा तक आस-पड़ोस की सीमाओं को बनाए रखेगी, और जहाँ उपयुक्त हो, सामुदायिक नियोजन जिला सीमाओं पर विचार कर सकती है।

(d) विनियमों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहर के सभी क्षेत्रों को पड़ोस परिषदों को गठित करने का समान अवसर दिया जाए।

(e) विनियमों में पड़ोस परिषदों की मान्यता या प्रमाणन के लिए प्रक्रिया और मानदंड निर्धारित किए जाएँगे।

(f) यदि चयन की प्रक्रिया अन्यथा इस अनुच्छेद की आवश्यकताओं को पूरा करती हो, तो विनियमों में पड़ोस परिषदों के सदस्यों के चयन की विधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

(g) विनियमों में यह अपेक्षित होगा कि पड़ोस परिषद अपने कामकाज के संचालन के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाएँ अपनाएँ।

(h) मेयर और नगर परिषद इस अनुच्छेद की प्रभावी तिथि से 120 दिनों के भीतर पड़ोस सशक्तिकरण विभाग के गठन और महाप्रबंधक की नियुक्ति का प्रावधान करेंगे।

धारा 905. योजना का प्रारंभिक कार्यान्वयन।

पड़ोस सशक्तिकरण विभाग और आयोग की स्थापना के एक वर्ष के भीतर योजना का विकास पूरा करेगा और नगर परिषद और मेयर के समक्ष पड़ोस परिषदों की एक प्रणाली के लिए योजना और सभी आवश्यक विनियम प्रस्तुत करेगा। नगर परिषद विनियमों पर विचार करेगी और नगर परिषद के

समक्ष योजना प्रस्तुत किए जाने के छह महीने के भीतर, प्रस्तावित रूप में या नगर परिषद द्वारा संशोधित रूप में, धारा 904 में निर्धारित योजना की आवश्यकताओं के अनुरूप, विनियमों को लागू करने के लिए अध्यादेश अपना सकती है। यदि इस समयावधि के भीतर कार्यान्वयन अध्यादेशों को नहीं अपनाया जाता है, तो विनियम प्रभावी हो जाएंगे, और जहां तक कानून के साथ असंगत नहीं हैं, वे शहर के सभी विभागों और कार्यालयों पर बाध्यकारी होंगे।

धारा 906. पड़ोस परिषदों का प्रमाणीकरण।

(a) **उपनियम।** शहर से आधिकारिक प्रमाणन या मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक प्रत्येक पड़ोस परिषद को पड़ोस सशक्तिकरण विभाग के समक्ष एक संगठनात्मक योजना और उपनियम प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें कम-से-कम निम्नलिखित जानकारी दी गई हो:

- (1) वह विधि जिसके द्वारा उनके बोर्ड के सदस्य अधिकारस्थित चुने जाते हैं;
- (2) पड़ोस परिषद की सदस्यता अध्यादेश द्वारा परिभाषित सभी हितधारकों के लिए खुली होगी क्षेत्र में रहने वाले, काम करने वाले या संपत्ति के मालिक सभी व्यक्तियों (हितधारकों) के लिए खुली होगी;
- (3) इस बात को लेकर आश्वस्त करना कि पड़ोस परिषद के सदस्य अपने क्षेत्र के विविध हितों का प्रतिनिधित्व करें;
- (4) एक ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से पड़ोस परिषद नियमित रूप से हितधारकों के साथ संवाद करेगी;
- (5) इसके निधियों की वित्तीय जवाबदेही के लिए एक प्रणाली; और
- (6) इस बात की गारंटी कि सभी बैठकें खुली और सार्वजनिक होंगी, और जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक हितधारक को कामकाज के संचालन, विचार-विमर्श और निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति होगी।

(b) **प्रमाणीकरण और अनुमोदन के लिए याचिका।** पड़ोस परिषद योजना में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार प्रमाणन या मान्यता के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकती हैं।

धारा 907. अग्रिम सूचना और सुझाव देने के अवसर प्रारंभिक चेतनावनी प्रणाली।

विनियमों में नगर परिषद, नगर परिषद की समितियों तथा बोर्डों और आयोगों द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले पड़ोस परिषदों से सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ निर्धारित की जाएँगी। इन प्रक्रियाओं में, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं रहते हुए, जितनी जल्दी हो सके पड़ोस परिषदों को सूचना देना तथा निर्णय लिए जाने से पहले सुझाव देने का उचित अवसर प्रदान करना शामिल होगा। दी जाने वाली सूचनाओं में नगर परिषद, नगर परिषद समितियों और शहर के बोर्डों या आयोगों द्वारा विचार किए जाने वाले मामले शामिल होंगे।

धारा 908. पड़ोस परिषदों की शक्तियाँ।

लागू कानून के अधीन, नगर परिषद स्थानीय प्रयोजन के किसी विषय पर निर्णय लेने से पहले सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने का अपना अधिकार पड़ोस परिषदों को सौंप सकती है।

धारा 909. वार्षिक नगर बजट की प्राथमिकताएँ।

प्रत्येक पड़ोस परिषद शहर के बजट के लिए प्राथमिकताओं की वार्षिक सूची मेयर और नगर परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। मेयर प्रमाणित पड़ोस परिषदों को सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की सूचना देंगे, ताकि उनके सुझावों पर समय रहते विचार किया जा सके।

धारा 910. शहरी सेवाओं की निगरानी।

पड़ोसपुंमस्मिद्धेंप अपने-अपने क्षेत्रों में सिटी सेवाओं के वितरण की निगरानी करेंगी और संबंधित सिटी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें करेंगी, जो संबंधित अधिकारियों की उचित उपलब्धता के अधीन होंगी।

धारा 911. विनियोग।

मेयर और नगर परिषद इस अनुच्छेद की प्रभावी तिथि के बाद पहले दो वर्षों के लिए पड़ोस सशक्तिकरण विभाग तथा पड़ोसपुंमस्मिद्धेंप की स्थापना और कार्यप्रणाली के लिए धनराशि का विनियोजन करेंगे। अध्यादेश द्वारा स्थापित किए जाने वाले एक विशेष कोष में धनराशि आवंटित की जाएगी। मेयर और नगर परिषद इसके बाद विभाग और पड़ोसपुंमस्मिद्धेंप के लिए प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष से कम-से-कम एक वर्ष पहले धनराशि का विनियोजन करेंगे।

धारा 912. समीक्षा।

मेयर और नगर परिषद चार्टर को अपनाए जाने के सात वर्ष के भीतर, इस अनुच्छेद के प्रावधानों, इस अनुच्छेद के अनुसार अपनाए गए विनियमों तथा पड़ोसपुंमस्मिद्धेंप की प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अध्यादेश द्वारा निर्धारित अनुसार एक आयोग की गठन करेंगे। आयोग, जैसा उचित समझे, चार्टर या विनियमों में किए जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में नगर परिषद को अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगा।

धारा 913. शक्तियों का हस्तांतरण।

चार्टर के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, महापौर और नगर परिषद धारा 905 के तहत योजना के कार्यान्वयन के बाद पहले पांच वर्षों के दौरान धारा 514 के अनुसार पड़ोस सशक्तिकरण विभाग की शक्तियों, कर्तव्यों या कार्यों को किसी अन्य विभाग, कार्यालय या एजेंसी को हस्तांतरित नहीं करेगी।

धारा 914. अध्यादेशों का प्रभाव।

नगर परिषद धारा 904 में योजना के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप, किसी भी समय पड़ोसपुंमस्मिद्धेंप से संबंधित अध्यादेश अपना सकती है। ऐसे अध्यादेश, धारा 905 के अनुसार प्रभावी हुए किसी भी असंगत विनियम का स्थान लेंगे।

धारा 12. विच्छेदनीयता। अगर इस चार्टर संशोधन या इसके किसी भी भाग की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश या अनुप्रयोग को सक्षम न्याय सीमा के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, तो चार्टर संशोधन की शेष धाराएं, उपधाराएं, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस चार्टर संशोधन के प्रावधान विच्छेदनीय हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाता यह घोषणा करते हैं कि यदि इस चार्टर संशोधन की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग को असंवैधानिक या अमान्य घोषित नहीं किया गया होता, तो वे इसकी सभी धाराओं, उपधाराओं, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों, भागों और अनुप्रयोगों को पारित कर देते।

PRK शहरी मनोरंजन एवं पार्क विभाग का बजट।

चार्टर संशोधन PRK.

क्या सिटी चार्टर में संशोधन करके मनोरंजन और पार्क विभाग को आवंटित न्यूनतम बजट को दस वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर वर्तमान न्यूनतम बजट आवंटन का दोगुना किया जाना चाहिए, जिसमें राजकोषीय आपात स्थितियों के लिए अपवाद शामिल हों?

निष्पक्ष सारांश

SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

सामान्य कोष शहर का प्राथमिक परिचालन कोष है। सामान्य कोष से प्राप्त राजस्व का उपयोग पुलिस, अग्निशमन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, परिवहन, पुस्तकालय और पार्क जैसी शहरी सेवाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। सामान्य कोष का राजस्व करों, लाइसेंसों, परमिटों, शुल्कों, जुमाने और अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है।

सिटी चार्टर में सामान्य कोष से मनोरंजन और पार्क विभाग के लिए न्यूनतम बजट आवंटन निर्धारित किया गया है। यह न्यूनतम बजट शहर के करों के लिए निर्धारित सभी संपत्तियों के निर्धारित मूल्य के 0.0325% के बराबर की राशि है। सिटी चार्टर में निर्धारित वर्तमान आवंटन प्रतिशत की दर और उससे प्राप्त बजट आवंटन बढ़ती आबादी, विस्तारित पार्क व्यवस्था तथा रखरखाव और संचालन की बढ़ती लागत के अनुरूप नहीं बढ़ पाए हैं। इसके परिणामस्वरूप समय के साथ मनोरंजन एवं पार्क संबंधी सेवाओं में कमी आई है।

1996 में, मतदाताओं ने प्रस्ताव K को पारित करने की मंजूरी दी: LA के लिये किड्स प्रोग्राम (प्रस्ताव K) को मंजूरी मिली, जिसने एक शहरव्यापी मूल्यांकन तैयार किया जिसने पार्कों और मनोरंजक सुविधाओं के अधिग्रहण, विकास, सुधार और बहाली के लिए सालाना \$25 मिलियन का राजस्व उत्पन्न किया। प्रस्ताव K वित्तीय वर्ष 2026-27 में समाप्त हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप पार्कों और मनोरंजक सुविधाओं का समर्थन करने के लिए धन की कमी होगी।

इस विधेयक से मनोरंजन और पार्कों के लिए आवंटित सामान्य कोष की न्यूनतम राशि में वृद्धि होगी। इन अतिरिक्त संसाधनों से मनोरंजन एवं पार्कों की सेवाओं के स्तर को बहाल करने, पार्क संबंधी सुविधाओं में समानता की कमी को दूर करने तथा विभाग के संचालन और कार्यक्रमों की लागत वहन करने में सहायता मिलेगी। यह प्रतिशत वर्तमान 0.0325% से धीरे-धीरे बढ़ाकर शहर के करों के लिए निर्धारित सभी संपत्तियों के निर्धारित मूल्य का 0.065% किया जाएगा। यह वृद्धि दस वर्षों की अवधि में निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी:

- वित्तीय वर्ष 2026-2027 और उससे पहले: 0.0325%;
- वित्तीय वर्ष 2027-2028 में: 0.03575%;
- वित्तीय वर्ष 2028-2029 में: 0.039%;
- वित्तीय वर्ष 2029-2030 में: 0.04225%;
- वित्तीय वर्ष 2030-2031 में: 0.0455%;
- वित्तीय वर्ष 2031-2032 में: 0.04875%;
- वित्तीय वर्ष 2032-2033 में: 0.052%;
- वित्तीय वर्ष 2033-2034 में: 0.05525%;
- वित्तीय वर्ष 2034-2035 में: 0.0585%;
- वित्तीय वर्ष 2035-2036 में: 0.06175%;

- वित्तीय वर्ष 2036-2037 और उसके बाद: 0.065%

इस विधेयक से कोई नया कर नहीं लगेगा और न ही इससे शहर के राजस्व में कोई अतिरिक्त वृद्धि होगी। इससे मनोरंजन एवं पार्कों को सामान्य कोष से अधिक धनराशि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। परिणामस्वरूप, शहर की अन्य सेवाओं के लिए उपलब्ध सामान्य कोष के राजस्व की राशि कम हो जाएगी।

वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान, नगर परिषद इस विधेयक में आवश्यक रूप से बढ़ी हुई धनराशि को वित्तीय आपातकाल की अवधि के लिए 30 प्रतिशत तक कम कर सकती है। हालाँकि, मनोरंजन एवं पार्कों का न्यूनतम बजट आवंटन शहर के करों के लिए निर्धारित सभी संपत्तियों के निर्धारित मूल्य के वर्तमान 0.0325% से कम नहीं किया जा सकेगा।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण

MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

इस विधेयक से मनोरंजन एवं पार्क विभाग (RAP) के संपत्ति मूल्य आधारित विनियोग को दस वर्षों में 0.0325 से बढ़ाकर 0.065 प्रतिशत कर दिया गया है। संपत्ति के औसत मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, RAP का वित्त पोषण 2036-37 तक \$303 मिलियन से बढ़कर \$995 मिलियन हो जाएगा, और इस विधेयक के कारण अनुमानित वार्षिक वृद्धि इस प्रकार होगी: 2027-28 (\$32 मिलियन), 2028-29 (\$66 मिलियन), 2029-30 (\$105 मिलियन), 2030-31 (\$147 मिलियन), 2031-32 (\$193 मिलियन), 2032-33 (\$244 मिलियन), 2033-34 (\$299 मिलियन), 2034-35 (\$359 मिलियन), 2035-36 (\$426 मिलियन) और 2036-37 (\$497 मिलियन)। इस अवधि के दौरान सभी वृद्धि संपत्ति के वास्तविक निर्धारित मूल्य में होने वाली वृद्धि के अधीन होगी।

चूंकि इस विधेयक से कोई नया राजस्व प्राप्त नहीं होता है, इसलिए शहर को बढ़ी हुई धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक निर्माण और बेघर लोगों की सेवाओं सहित अन्य सेवाओं से संसाधनों का पुनर्वितरण करना होगा। शहर घोषित वित्तीय आपातकाल के दौरान अनिवार्य वृद्धि को निलंबित कर सकता है। कर्मचारी लाभ और अन्य संबंधित लागतों के लिए सामान्य कोष की प्रतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी RAP की ही रहेगी।

चार्टर संशोधन PRK के पक्ष में तर्क

चार्टर संशोधन PRK हमारे पार्कों, जल निकायों और समुद्र तटों को साफ रखेगा; पार्क से जुड़ी सुविधाओं की मरम्मत और रखरखाव करेगा; और करों में एक पैसा भी बढ़ाए बिना मनोरंजन केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक केंद्रों को खुला रखेगा।

LA का पार्क विभाग 500 से अधिक पार्क, 123 मनोरंजन केंद्र और वरिष्ठ नागरिक केंद्र और 52 स्विमिंग पूल संचालित करता है। ये वस्त्रों के लिए खेल खेलने और स्कूल के बाद व गर्मियों में सुरक्षित रहने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी सेवाएँ पाने और परिवारों के साथ मिलकर समय बिताने के किफायती स्थान हैं। पार्क और मनोरंजन केंद्र हिंसा की रोकथाम के कार्यक्रम चलाते हैं और जंगल की आग व अन्य आपात स्थितियों के दौरान सेवाएँ और आश्रय उपलब्ध कराते हैं।

ट्रस्ट फॉर पब्लिक लैंड की 2026 की ParkScore रैंकिंग में LA के पार्क अमेरिका के 100 सबसे बड़े शहरों में 93वें स्थान पर आ गए हैं। शहर के पार्कों के मूल्यांकन में पाया गया कि LA अपने पार्कों के लिए समान शहरों की तुलना में दो-तिहाई कम धनराशि आवंटित करता है। कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती के कारण पार्क कम सुरक्षित और कम साफ-सुथरे हो गए हैं। सुविधाओं की मरम्मत के लिए लगभग \$3 बिलियन की आवश्यकता है और स्विमिंग पूल, मनोरंजन केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक केंद्रों के खुलने का समय कम कर दिया गया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। Los Angeles के एक तिहाई निवासियों के घर से दस मिनट की पैदल दूरी के भीतर कोई पार्क नहीं है।

Los Angeles के निवासियों के लिए पार्क महत्वपूर्ण सेवाएँ हैं।

संरक्षित पार्कों के लिए धनराशि में 1937 के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई है और पार्कों को सीधे मिलने वाली धनराशि में 2009 के बाद से और भी कमी आई है।

PRK के तहत 10 वर्षों में पार्कों के लिए वित्त पोषण में वृद्धि की जाएगी, जिसमें वित्तीय आपात स्थितियों के लिए सुरक्षा प्रावधान शामिल होंगे।

PRK पार्कों, शौचालयों, स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाओं की सफाई और सुधार करेगा; पार्कों और रेंजरों के कार्यबल का पुनर्निर्माण करेगा; समुद्र तटों और तटीय जल की रक्षा करेगा; जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ नए पार्क बनाएगा; प्राकृतिक क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करेगा; और छायादार पेड़ों, जंगल की आग की रोकथाम और हमारे जल की रक्षा के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों में निवेश करेगा।

इससे स्विमिंग पूल, मनोरंजन केंद्र और वरिष्ठ नागरिक केंद्र खुले रहते हैं और यह सामुदायिक स्कूल पार्कों को सक्रिय रखता है।

इस धनराशि के लिए सख्त वित्तीय जवाबदेही अनिवार्य है और इसका इस्तेमाल केवल पात्र पार्क संबंधी उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसके तहत हर साल के खर्च की योजनाओं और रिपोर्टों की सार्वजनिक बैठकों में समीक्षा की जाएगी और उन्हें ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

PRK पर हॉ में मतदान करने के लिए समुदाय और पर्यावरण नेताओं के साथ जुड़े ताकि पार्कों को कर बढ़ाए बिना दुरुस्त किया जा सके।

चार्टर संशोधन PRK के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

MONICA RODRIGUEZ

परिषद सदस्य

City of Los Angeles

YSABEL JURADO

परिषद सदस्य

City of Los Angeles

IMELDA PADILLA

परिषद सदस्य

City of Los Angeles

KENNETH MEJIA

नियंत्रक

City of Los Angeles

FATHER GREGORY BOYLE

संस्थापक

Homeboy Industries

TEFARAI BAYNE

आयुक्त

LA Department of Recreation and Parks

BRUCE SAITO

संस्थापक

Conservation and Youth Workforce

विकास नेता

NICOLE CHASE

अध्यक्ष एवं CEO

Boys & Girls Club of San Fernando Valley

TORI KJER

कार्यकारी निदेशक

LA Neighborhood Land Trust

BRUCE REZNIK

कार्यकारी निदेशक

LA Waterkeeper

इस विधेयक के विरुद्ध कोई तर्क दाखिल नहीं किया गया था।

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर संशोधन PRK के पक्ष में तर्क का खंडन

चार्टर संशोधन PRK, करों में वृद्धि किए बिना, पार्कों में एक जिम्मेदार निवेश है। 10 वर्षों के दौरान, PRK पार्कों के लिए समर्पित धनराशि बढ़ाएगा और साथ ही खर्च किए गए हर डॉलर के लिए सख्त जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

पार्कों में निवेश करना एक अच्छा फैसला है।

पार्क, Los Angeles के निवासियों को स्वस्थ, सक्रिय और आपस में जुड़े रहने में मदद करते हैं। शारीरिक निष्क्रियता स्वास्थ्य देखभाल लागत का 12.6% हिस्सा है। शोध से पता चलता है कि जो समुदाय पार्कों में निवेश करते हैं, उनमें स्ट्रोक, हृदय रोग, मोटापा और मधुमेह की दर कम होती है। पार्क से जुड़े कार्यक्रमों पर खर्च किया गया प्रत्येक \$1 स्वास्थ्य देखभाल की लागत को \$11 तक कम कर देता है।

इसके अलावा, पार्कों के रखरखाव पर खर्च किया गया हर \$1 व्यापक आर्थिक लाभ के रूप में कम-से-कम \$3 का फायदा देता है। पिछले वर्ष Los Angeles में पर्यटन से \$35.1 बिलियन का खर्च हुआ, जिससे 224,000 से अधिक नौकरियों को समर्थन मिला। शहर के दोनों पार्क, Griffith Park और Venice Beach, हमारे सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से हैं।

PRK से स्थानीय स्तर पर अच्छे रोजगार सृजित होंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाए रखे जाएंगे, मनोरंजन और वरिष्ठ नागरिकों के केंद्र पूरी तरह से फिर से खुलेंगे, समुद्र तट साफ रहेंगे और पूरे शहर में शौचालयों की मरम्मत की जाएगी।

PRK पर हॉ में मतदान करें।

चार्टर संशोधन PRK के पक्ष में तर्क के खंडन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

MONICA RODRIGUEZ

LA नगर महिला पार्षद

JIMMY KIM

महाप्रबंधक

LA Department of Recreation and Parks

IMELDA PADILLA

LA नगर परिषद सदस्य

JON CHRISTENSEN

अस्थायी सहायक प्रोफेसर

UCLA

YSABEL JURADO

LA नगर परिषद सदस्य

AMBER MARTINEZ

अध्यक्ष एवं CEO

Los Angeles Parks Foundation

KENNETH MEJIA

LA शहरी नियंत्रक

DEBORAH COHEN, MD, MPH

जन स्वास्थ्य एवं निवारक चिकित्सा

LUIS A SANCHEZ

अध्यक्ष

LA Rec and Parks Board of Commissioners

MONA FIELD

भूतपूर्व अध्यक्ष

Greater Los Angeles League of Women Voters

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर या चार्टर के मौजूदा अनुभागों में जोड़े गए नए प्रावधानों या भाषा को रेखांकित करके दिखाया गया है; चार्टर या चार्टर के मौजूदा अनुभागों से मिटाए गए शब्दों को कट कर दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन PRK
(शहरी मनोरंजन एवं पार्क विभाग का बजट)

प्रस्तावित मतपत्र विधेयक का पाठ

धारा 1. Los Angeles शहर के चार्टर की धारा 593 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 593. वित्तीय सहायता।

(a) मनोरंजन एवं पार्क विभाग की वित्तीय सहायता के लिए, प्रतिवर्ष कोई वार्षिक राशि विनियोजित की जाएगी जो शहर करों के लिए मूल्यांकित सभी संपत्तियों के मूल्यांकित मूल्य के अनुसार निम्नलिखित प्रतिशत 0.0325% से कम नहीं होगी :-

वित्तीय वर्ष 2026-2027 और उससे पहले: 0.0325%

वित्तीय वर्ष 2027-2028: 0.03575%

वित्तीय वर्ष 2028-2029: 0.039%

वित्तीय वर्ष 2029-2030: 0.04225%

वित्तीय वर्ष 2030-2031: 0.0455%

वित्तीय वर्ष 2031-2032: 0.04875%

वित्तीय वर्ष 2032-2033: 0.052%

वित्तीय वर्ष 2033-2034: 0.05525%

वित्तीय वर्ष 2034-2035: 0.0585%

वित्तीय वर्ष 2035-2036: 0.06175%

वित्तीय वर्ष 2036-2037 और उसके बाद: 0.065%

(b) सामान्य निधि से अतिरिक्त विनियोजन किए जा सकते हैं।

(c) (a) या (b) से प्राप्त सभी धन, और साथ ही विभाग द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियाँ, मनोरंजन और पार्क निधि में जमा की जाएंगी।

(d) सामान्य निधि से मनोरंजन और पार्क निधि में विनियोजित निधियों के संबंध में धारा 342 में दिए गए प्रावधानों के सिवाए, मनोरंजन और पार्क निधि में मौजूद धन का उपयोग केवल मनोरंजन और पार्क विभाग की वित्तीय सहायता के लिए किया जाएगा।

(e) यदि सिटी काउंसिल दो-तिहाई मतों से संकल्प द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित करती है, तो उपधारा (a) के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय सहायता को ऐसी घोषणा के बाद शहर करों के लिए मूल्यांकित सभी संपत्तियों के निर्धारित मूल्य के उल्लिखित प्रतिशत की कुल राशि के तीस प्रतिशत (30%) तक कम किया जा सकता है और यह कमी वित्तीय आपातकाल की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी, बशर्ते कि किसी भी समय ऐसी कमी उपधारा (a) के अंतर्गत आवश्यक कुल वित्तीय सहायता को शहर करों के लिए मूल्यांकित सभी संपत्तियों के मूल्यांकित मूल्य के 0.0325% से कम न करे।

धारा 2. पृथक्करणीयता। अगर इस चार्टर संशोधन या इसके किसी भी भाग की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश या अनुप्रयोग को सक्षम न्याय सीमा के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, तो चार्टर संशोधन की शेष धाराएं,

उपधाराएं, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस चार्टर संशोधन के प्रावधान विच्छेदनीय हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाता यह घोषणा करते हैं कि यदि इस चार्टर संशोधन की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग को असंवैधानिक या अमान्य घोषित नहीं किया गया होता, तो वे इसकी सभी धाराओं, उपधाराओं, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों, भागों और अनुप्रयोगों को पारित कर देते।

PRT शहर के हवाई अड्डे, बंदरगाह और जल एवं विद्युत विभाग। चार्टर संशोधन PRT.

क्या सिटी चार्टर में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि: बंदरगाह विभाग को तटवर्ती सार्वजनिक पहुंच परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करना अनिवार्य हो; बंदरगाह विभाग के कुछ पट्टों और समझौतों के लिए कार्यबल पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देना अनिवार्य हो; कुछ पट्टों की अधिकतम अवधि बढ़ाई जाए; और हवाई अड्डा आयोग की संरचना से जुड़ी आवश्यकताओं में बदलाव किया जाए?

निष्पक्ष सारांश

SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

सिटी चार्टर की धारा 607 स्वामित्व आधारित प्रत्येक विभाग (हवाई अड्डा विभाग, बंदरगाह विभाग और जल एवं विद्युत विभाग) के लिए फ्रेंचाइजी, रियायतें, परमिट, लाइसेंस और पट्टों पर सीमाएँ निर्धारित करती है। धारा 607(a) में यह प्रावधान है कि नगर परिषद हवाई अड्डा विभाग और जल एवं विद्युत विभाग के लिए 50 वर्ष तक की और बंदरगाह विभाग के लिए 66 वर्ष तक की पट्टा अवधि को अधिकृत कर सकती है।

सिटी चार्टर की धारा 630 में यह प्रावधान है कि हवाई अड्डा आयुक्त बोर्ड में सात सदस्य होंगे, और उनमें से एक सदस्य Los Angeles अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में निवास करेगा और एक सदस्य Van Nuys हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में निवास करेगा। इन क्षेत्रों को अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया गया है।

सिटी चार्टर की धारा 651 में यह प्रावधान है कि बंदरगाह आयुक्त बोर्ड के पास बंदरगाह विभाग की संपत्तियों पर कब्जा, उनका प्रबंधन और उन पर नियंत्रण होगा। इसमें आगे यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि बंदरगाह आयुक्त बोर्ड के कब्जे, प्रबंधन और नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली भूमि और जल को बंदरगाह जिला के नाम से जाना जाएगा। सिटी चार्टर की धारा 651 सार्वजनिक उपयोग के लिए जलक्षेत्र को भी आरक्षित करती है, और बंदरगाह जिला की ज्वारीय भूमि और जलमग्न भूमि की बिक्री पर रोक लगाती है। सिटी चार्टर की धारा 652 में बंदरगाह आयुक्त बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसमें बंदरगाह जिला से संबंधित नियम और विनियम तय करने की शक्ति और कर्तव्य भी शामिल हैं।

राज्य कानून के अनुसार बंदरगाह जिला के भीतर कई विकास कार्यों के लिए तटीय विकास परमिट जरूरी है। इसमें निर्माण परियोजनाएँ और ऐसी परियोजनाएँ शामिल हैं जो किसी स्थल या जल में गतिविधि के स्तर या प्रकार को सार्थक रूप से बढ़ाती हैं या बदलती हैं, या जो उस तक सार्वजनिक पहुँच को बदलती हैं, भले ही कुछ भी निर्मित न हो।

इस विधेयक के तहत सिटी चार्टर में निम्नलिखित के लिए संशोधन किए जाएंगे:

- यदि नगर परिषद यह पाती है कि 30 वर्ष से अधिक की अवधि शहर के सर्वोत्तम हित में होगी, तो नगर परिषद को हवाई अड्डा विभाग और जल एवं विद्युत विभाग को 66 वर्ष तक की अवधि के लिए, या किसी भी संघीय या राज्य कानून द्वारा अनुमत अधिकतम अवधि के लिए, जो भी कम हो, पट्टे देने की अनुमति देने के लिए। सिटी चार्टर पहले से ही नगर परिषद को बंदरगाह विभाग के लिए 66 साल तक की अवधि के पट्टे अधिकृत करने की अनुमति देता है।
- हवाई अड्डा आयुक्त बोर्ड के लिए स्थानीय निवास संबंधी आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए, जिसके तहत यह अनिवार्य हो कि बोर्ड के सात सदस्यों में से तीन Los Angeles अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में और दो सदस्य Van Nuys हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में

निवास करें। इस विधेयक से नगर परिषद को अध्यादेश द्वारा इन क्षेत्रों को उपक्षेत्रों में विभाजित करने और आयुक्तों के निवास संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करने की अनुमति भी मिलेगी।

- बंदरगाह आयुक्त बोर्ड के लिए यह आवश्यक करने के लिए कि वह हर वर्ष बंदरगाह विभाग की परिचालन आय का एक हिस्सा जलतट पर सार्वजनिक पहुँच से संबंधित परियोजनाओं तथा जनता की सहभागिता से तैयार लोक सेवा परियोजनाओं के तहत विकसित अन्य जनहितकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवंटित करे। हर वर्ष आवंटित की जाने वाली राशि निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार बंदरगाह आयुक्त बोर्ड के पास होगा।
- पट्टे, पट्टे की अवधि बढ़ाने या पट्टे में संशोधन की मंजूरी चाहने वाले सभी आवेदकों के लिए, या बंदरगाह जिला के भीतर ऐसी संपत्ति के किसी प्रस्तावित विकास के लिए, जिसके लिए तटीय विकास परमिट आवश्यक है, कार्यबल प्रभाव संबंधी प्रकटीकरण का प्रस्तुतिकरण अनिवार्य करना। इस प्रकटीकरण में प्रस्तावित कार्रवाई से होने वाले अनुमानित कार्यबल प्रभावों का आकलन शामिल होगा, जिसमें रोजगार और आर्थिक प्रभाव भी शामिल हैं। बंदरगाह आयुक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, छोटे व्यवसायों और गैर-लाभकारी संगठनों को आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण प्रदान करने से छूट दी जा सकती है।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण

MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

इस विधेयक के तहत सिटी चार्टर में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

पट्टे की अवधि - Los Angeles वर्ल्ड एयरपोर्ट्स और जल एवं विद्युत विभाग के लिए पट्टे की अधिकतम अवधि 50 से बढ़ाकर 66 वर्ष कर दी गई है, जिससे वे बंदरगाह विभाग के अनुरूप हो गए हैं। यह संशोधन लागत के लिहाज से तटस्थ है।

एयरपोर्ट बोर्ड की संरचना - Los Angeles एयरपोर्ट LAX और Van Nuys एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों के लिए स्थानीय निवासियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः एक से बढ़ाकर तीन सदस्य और एक से बढ़ाकर दो सदस्य कर दिया गया है। यह संशोधन लागत के लिहाज से तटस्थ है।

बंदरगाह सार्वजनिक पहुँच निवेश योजना (PAIP) - यह बंदरगाह विभाग की वार्षिक कार्यप्रणाली को सहिताबद्ध करता है जिसके तहत वह अपने परिचालन आय का 10 प्रतिशत हिस्सा तटवर्ती परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए PAIP को आवंटित करता है। PAIP को ऐतिहासिक रूप से हर वर्ष लगभग \$28.6 मिलियन का आवंटन किया जाता रहा है।

कार्यबल पर प्रभाव - बंदरगाह जिला में पट्टे की मंजूरी, पट्टे की अवधि बढ़ाने, पट्टे में संशोधन करने या तटीय विकास परमिट की मंजूरी चाहने वाले सभी आवेदकों के लिए अपने खर्च पर कार्यबल प्रभाव संबंधी प्रकटीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य करना, जिसमें क्षेत्रीय आर्थिक और रोजगार संबंधी प्रभावों का आकलन किया जाएगा। यह संशोधन लागत के लिहाज से तटस्थ है।

विधेयक PRT पर हॉ में मतदान करें सामुदायिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने, स्थानीय निवेशों की रक्षा करने और Los Angeles के स्वामित्वाधीन विभागों से अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए।

East Los Angeles से लेकर Westside तक, बंदरगाह से लेकर वैली तक, प्रतिनिधित्व उन समुदायों के लिए बहुत मायने रखता है जिनकी हम सेवा करते हैं—और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो हमारे हवाई अड्डों और तटवर्ती क्षेत्रों के पास रहते और काम करते हैं।

विधेयक PRT यह सुनिश्चित करता है कि एयरपोर्ट के संचालन से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों को स्थानीय निर्णयों में अधिक सशक्त आवाज मिले। भौगोलिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले एयरपोर्ट कमिश्नरों की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने से, यह विधेयक विमान के शोर, यातायात और भीड़भाड़ से प्रभावित निवासियों को एयरपोर्ट आयोग में वह प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जिसके वे हकदार हैं।

Los Angeles बंदरगाह में, विधेयक PRT मौजूदा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को सिटी चार्टर में औपचारिक रूप से दर्ज करता है। यह इस आवश्यकता को संहिताबद्ध करता है कि लीज़ और समझौतों से स्थानीय रोज़गार और हमारे कार्यबल पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया जाए और उनका खुलासा किया जाए, ताकि ये प्रभाव सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया का हिस्सा बने रहें। यह चार्टर में मौजूदा निवेश योजनाओं को संहिताबद्ध करके तटवर्ती सार्वजनिक पट्टे में निवेश करने के लिए बंदरगाह की प्रतिबद्धता की भी रक्षा करता है। ये निवेश यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि देश के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक की मेजबानी करने वाले समुदाय हमारे तटवर्ती मेहनतकश लोगों के लाभों को साझा करना जारी रखें।

विधेयक PRT जल और विद्युत विभाग और Los Angeles वर्ल्ड एयरपोर्ट्स के लिए पट्टे देने के अधिकार को भी आधुनिक बनाता है, जिससे सार्वजनिक निगरानी बनाए रखते हुए जिम्मेदार दीर्घकालिक निवेश और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए अधिक लचीलापन मिलता है।

जिन समुदायों में हमारे हवाई अड्डे और बंदरगाह स्थित हैं, वे Los Angeles के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। वे प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता और स्थानीय निवेश के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता के हकदार हैं।

विधेयक PRT पर हॉ में मतदान करें—East Los Angeles से लेकर Westside तक, बंदरगाह से लेकर वैली तक, प्रतिनिधित्व और सामुदायिक जवाबदेही मायने रखती है।

चार्टर संशोधन PRT के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

TIM MCOSKER
परिषद सदस्य, जिला 15
City of LA

TRACI PARK
महिला पार्षद, जिला 11
City of LA

PAULA GEREZ
अध्यक्ष
Westchester/Playa Neighborhood Council

IMELDA PADILLA
महिला पार्षद, जिला 6
City of LA

GINA MARTINEZ
Wilmington सामुदायिक पक्षकार

DAVID YANOWITZ
Van Nuys सामुदायिक पक्षकार

इस विधेयक के विरुद्ध कोई तर्क दाखिल नहीं किया गया था।

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर या मौजूदा चार्टर धाराओं में जोड़े गए नए प्रावधान या भाषा को रेखांकित टाइप में दिखाया गया है; चार्टर या मौजूदा चार्टर धाराओं से मिटाए गए शब्दों को स्ट्राइकआउट टाइप में दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन PRT
(सिटी के हवाई अड्डे, बंदरगाह और जल एवं विद्युत विभाग)

प्रस्तावित मतपत्र विधेयक का पाठ

धारा 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 607 की उपधारा (a), जो स्वामित्व वाले विभागों के फ्रेंचाइजी, लूट, परमिट, लाइसेंस और पट्टों पर सीमाओं के बारे में है, को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(a) **लंबाई.** यह अवधि 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी या लागू संघीय या राज्य कानून द्वारा निर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी, जो भी कम हो। यदि परिषद यह पाती है कि किसी अवधि को 30 साल से लंबा करना सिटी के सर्वोत्तम हित में होगा, तो परिषद दो-तिहाई मतों से, मेयर की वीटो के अधीन, या वीटो को पार करके तीन-चौथाई मतों से, हवाई अड्डा विभाग और जल एवं विद्युत विभाग के लिए 50 साल तक की अवधि और हवाई अड्डा विभाग, हार्वर विभाग, और जल एवं विद्युत विभाग के लिए 66 साल तक की अवधि, या कोई भी संघीय या राज्य कानून द्वारा अनुमत अधिकतम अवधि, जो भी कम हो, को अधिकृत कर सकती है।

धारा 2. हवाई अड्डा आयुक्तों के बोर्ड की के संबंध में सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 630 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

हवाई अड्डा आयुक्तों के बोर्ड में सात सदस्य होंगे, जिन्हें धारा 502 के अनुसार नियुक्त किया और हटाया जाएगा। कम से कम तीन सदस्य स्क-सदस्य-उन्हें Los Angeles अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में निवास करना होगा और कम से कम दो सदस्य स्क-सदस्य-वे Van Nuys हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में निवास करेंगे, जैसा कि अध्यादेश द्वारा उन क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है। परिषद अध्यादेश द्वारा Los Angeles अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे और Van Nuys हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों को उपक्षेत्रों में विभाजित कर सकती है, और उन उपक्षेत्रों के बीच आयुक्त निवास संबंधी आवश्यकताएं स्थापित कर सकती है।

धारा 3. हार्वर विभाग की संपत्तियों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 651 में एक नई उपधारा (d) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(d) सार्वजनिक पहुंच निवेश योजना. हार्वर आयुक्त बोर्ड, हार्वर विभाग की परिचालन आय का एक हिस्सा सालाना तौर पर सार्वजनिक पहुंच परियोजनाओं और सार्वजनिक पहुंच निवेश योजना के हिस्से के रूप में जनता के सुझावों से विकसित अन्य सार्वजनिक सेवा परियोजनाओं और कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए आवंटित करेगा। हार्वर आयुक्त बोर्ड के पास California सार्वजनिक संसाधन संहिता की धारा 6005.6009.1 और 6306 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत अपने न्यासी कर्तव्यों के अनुरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक पहुंच निवेश योजना को आवंटित की जाने वाली उचित राशि निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार होगा।

धारा 4. हार्वर आयुक्त बोर्ड के संबंध में सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर की धारा 652 में एक नई उपधारा (g) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

धारा 652. बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य।

इस बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे:

(a) **नियम और विनियमन.** हार्बर जिला के रखरखाव, संचालन और उपयोग को नियंत्रित करने वाले सभी आवश्यक नियम और विनियम बनाएं और लागू करें, और उन नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए दंड लागू करें।

(b) **हार्बर यातायात.** हार्बर जिला में सभी जहाजों और जलयानों के संचालन, लंगर डालने, बांधने, खींचने और गोदी में लगाने को विनियमित और नियंत्रित करना।

(c) **हार्बर सुविधाओं पर नियंत्रण.** हार्बर जिला के संबंध में उपयोग की जाने वाली किसी भी रेलमार्ग, घाट, गोदाम या अन्य सुविधा, उपयोगिता, संरचना या सुधार के निर्माण, रखरखाव, संचालन और उपयोग को विनियमित और नियंत्रित करना।

(d) **निकर्षण.** हार्बर जिला में सभी प्रकार की ट्रेजिंग, फिलिंग और खुदाई को विनियमित और नियंत्रित करना।

(e) **दरें.** हार्बर की संपत्तियों के उपयोग, पायलट सेवाओं और टोइंग सेवाओं तथा विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सेवा के लिए दरें और शुल्क निर्धारित करना और वसूल करना।

(f) **हार्बर जिले का विकास.** विभागीय उद्देश्यों के लिए सभी सुधारों, उपयोगिताओं, संरचनाओं, जलयानों, सुविधाओं और सेवाओं का अधिग्रहण, प्रावधान, निर्माण, रखरखाव और संचालन करना तथा सिटी के नाम पर खरीद, पट्टा, अधिग्रहण या किसी अन्य माध्यम से किसी भी संपत्ति, चाहे वह अचल हो या चल, या उसमें किसी भी हित का अधिग्रहण और अधिग्रहण करना तथा हार्बर जिले में किसी भी सार्वजनिक भवन, संरचना या सुविधा के लिए स्थल का निर्धारण करना। अनुपयोगी घोषित करने की शक्ति का प्रयोग केवल परिषद के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

(g) **कार्यबल पर प्रभाव.** हार्बर जिला के भीतर किसी भी संपत्ति के प्रस्तावित विकास या पट्टे के अनुमोदन की मांग करने वाले सभी आवेदकों को, जिसके लिए तटीय विकास परमिट की आवश्यकता होती है, एक कार्यबल प्रभाव प्रकटीकरण प्रस्तुत करना होगा जिसमें अनुमानित कार्यबल प्रभावों का आकलन शामिल हो, जिसमें परिसर से जुड़े रोजगार पर संभावित प्रभाव और ग्रेटर Los Angeles क्षेत्र पर अनुमानित आर्थिक प्रभाव शामिल हो, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं, जहां तक ज्ञात हो। हार्बर आयुक्त बोर्ड द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार, छोटे व्यवसायों और गैर-लाभकारी संगठनों को आर्थिक प्रभाव विश्लेषण प्रदान करने से छूट दी जा सकती है। हार्बर आयुक्त बोर्ड इस उपधारा के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत खुलासों पर California सार्वजनिक संसाधन संहिता की धारा 6005, 6009.1 और 6306 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत बोर्ड के न्यासी कर्तव्यों के अनुरूप विचार करेगा।

धारा 5. **विच्छेदनीयता।** अगर इस अध्यादेश संशोधन या इसके किसी भी भाग की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश या अनुप्रयोग को सक्षम न्याय सीमा के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, तो अध्यादेश संशोधन की शेष धाराएं, उपधाराएं, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस अध्यादेश संशोधन के प्रावधान विच्छेदनीय हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाता यह घोषणा करते हैं कि यदि इस अध्यादेश संशोधन की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग को असंवैधानिक या अमान्य घोषित नहीं किया गया होता, तो वे इसकी सभी धाराओं, उपधाराओं, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों, भागों और अनुप्रयोगों को पारित कर देते।

क्या Los Angeles सिटी चार्टर में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा बोर्ड के चुनावों के लिए चुनावी वित्त के नियमों को स्पष्ट किया जा सके और अध्यादेश द्वारा इन नियमों में परिवर्तनों की अनुमति दी जा सके?

निष्पक्ष सारांश

SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

सिटी चार्टर की धारा 803 में चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला के शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान करना होगा। सिटी चार्टर की धाराएँ 470 और 471 तथा Los Angeles नगरपालिका की संहिता का अनुच्छेद 9.7, चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी नियम निर्धारित करते हैं, जिनका पालन मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान करना होगा। ये नियम 1974 के California राजनीतिक सुधार अधिनियम के पूरक हैं। चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी नियम शिक्षा बोर्ड और मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए समान हैं, लेकिन वे सिटी चार्टर के साथ-साथ Los Angeles नगरपालिका की संहिता के विभिन्न भागों में निहित हैं।

यह विधेयक शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी नियमों को स्पष्ट करेगा, जिसके लिए सिटी चार्टर में संशोधन करके चार्टर की धारा 803 में दोहराव वाली भाषा को हटाया जाएगा और शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों को मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जैसा कि सिटी चार्टर की धारा 470 और 471 और Los Angeles नगरपालिका की संहिता के अनुच्छेद 9.7 में निर्दिष्ट है। यह विधेयक मेयर पद के उम्मीदवारों पर लागू उन्हीं प्रावधानों को शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों पर भी लागू करेगा, लेकिन उन प्रावधानों को छोड़कर जो केवल शहर के निर्वाचित पदों, जैसे मेयर के पद, के उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। इसमें शहर के ठेकेदारों और लॉबिस्टों से प्राप्त चुनावी योगदान पर लागू सीमाएँ भी शामिल नहीं होंगी।

यदि यह संशोधन स्वीकृत हो जाता है, तो शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों और मेयर पद के उम्मीदवारों दोनों के लिए चुनाव प्रचार के मौजूदा नियम इस प्रकार होंगे:

- उम्मीदवारों और उनके दानदाताओं पर समय-समय पर समायोजित की जा सकने वाली योगदान सीमाएँ लागू होंगी। इन सीमाओं की आधार राशि किसी भी एक निर्वाचित पद के लिए \$1,000 होगी। हालांकि, उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनाव अभियान में व्यक्तित्व धनराशि देने पर कोई सीमा नहीं होगी;
- कोष और वित्तीय जवाबदेही संबंधी आवश्यकताएँ, जैसे प्रशिक्षण, दस्तावेज़ जमा करने की समय-सीमाएँ, सार्वजनिक प्रकटीकरण, निगरानी वाले चुनाव अभियान खाते और छोटे-मोटे खर्चों के लिए नकद राशि;
- योगदान और खर्च पर समय-सीमाएँ, जिनमें धन जुटाने की अवधि तथा उन अवधियों के दौरान प्राप्त धनराशि के अनुमत उपयोग शामिल हैं; और
- शहर नैतिकता आयोग की लेखापरीक्षण और जाँच संबंधी शक्तियाँ, जिनमें आपराधिक और दीवानी प्रवर्तन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

इस विधेयक के तहत अध्यादेश द्वारा अतिरिक्त प्रतिबंध या छूट निर्धारित की जा सकेगी।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण

MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

यह विधेयक Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला (LAUSD) शिक्षा बोर्ड के लिए चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करता है, जिसमें स्कूल बोर्ड के उम्मीदवारों पर भी वही प्रावधान लागू होते हैं जिनका पालन सिटी ऑफ़ Los Angeles के मेयर पद के उम्मीदवारों को करना होता है। LAUSD शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों पर योगदान और धन जुटाने से संबंधित कुछ प्रावधान (धाराएँ 470(c)(11) और 470(c)(12)), सार्वजनिक मिलान निधि से संबंधित प्रावधान (धारा 471) तथा अध्यादेश द्वारा दी गई अन्य छूटों से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस विधेयक से शहर की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

चार्टर संशोधन SC के पक्ष में तर्क

चार्टर संशोधन SC पर हॉ में मतदान करें

सिटी ऑफ़ Los Angeles, Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला (LAUSD) के शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए अभियान के वित्त संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य करता है - जैसे योगदान की सीमाएँ, दानदाताओं की जानकारी का खुलासा और शहरी नैतिकता आयोग द्वारा निगरानी। ये नियम LAUSD शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों पर उसी तरह लागू होते हैं जैसे वे शहर के अन्य निर्वाचित पदों के उम्मीदवारों पर लागू होते हैं।

अंतर नियमों में ही निहित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे नियम सिटी चार्टर में कहाँ दिखाई देते हैं। आज, शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों को नियंत्रित करने वाले नियम सिटी चार्टर के एक अलग खंड में निर्धारित किए गए हैं। वे चार्टर के उस खंड में नहीं बल्कि अपने आप में अलग से दिखाई देते हैं जो मेयर जैसे अन्य निर्वाचित पदों के उम्मीदवारों को नियंत्रित करता है।

चार्टर संशोधन SC एक सुशासन सुधार है जो चार्टर को सरल बनाता है और नौकरशाही की अनावश्यकता और निरर्थकता को कम करता है। यह शिक्षा बोर्ड के चुनावों के लिए अभियान के वित्त संबंधी दोहराव वाले प्रावधानों को समाप्त करता है और स्पष्ट करता है कि वे उम्मीदवार अभियान के उसी सामान्य वित्तीय ढांचे के अधीन हैं जो पहले से ही मेयर पद के उम्मीदवारों को नियंत्रित करता है।

यह सुशासन की दिशा में एक स्पष्ट सुधार है और इसी वजह से इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

चार्टर संशोधन SC पर हॉ में मतदान करें।

चार्टर संशोधन SC के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

ADRIN NAZARIAN

Los Angeles नगर परिषद सदस्य, जिला 2

NICK MELVOIN

LAUSD बोर्ड सदस्य

DIEGO ANDRADES

पूर्व चार्टर सुधार आयुक्त

CALIFORNIA COMMON CAUSE

LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF GREATER

LOS ANGELES

इस विधेयक के विरुद्ध कोई तर्क दाखिल नहीं किया गया था।

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर या मौजूदा चार्टर धाराओं में जोड़े गए नए प्रावधान या भाषा को रेखांकित टाइप में दिखाया गया है; चार्टर या मौजूदा चार्टर धाराओं से मिटाए गए शब्दों को स्ट्राइकआउट टाइप में दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन SC
(LAUSD चुनावों से संबंधित कैम्पेन वित्त नियम)

प्रस्तावित मतपत्र विधेयक का पाठ

धारा 1. शिक्षा मण्डल के सदस्यों के चुनाव के संबंध में Los Angeles शहर के चार्टर की धारा 803 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 803. बोर्ड सदस्यों का चुनाव।

Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला के शिक्षा मण्डल के सदस्यों का चुनाव चार्टर की धारा 400 से 440 और चार्टर के अनुरूप लागू अध्यादेशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मण्डल के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को कोई व्यक्ति कितना चंदा दे सकता है या उपलब्ध करा सकता है, इस पर सीमाएँ लगाकर राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षा मण्डल के उम्मीदवारों पर वही कैम्पेन वित्त प्रावधान लागू होंगे जो मेयर पद के उम्मीदवारों पर लागू होते हैं, जिनमें धारा 470 और धारा 470(c) या चार्टर की अन्य धाराओं के अनुसार अपनाए गए अध्यादेश शामिल हैं, सिवाय इसके कि शिक्षा मण्डल के उम्मीदवार धारा 470(c)(11) और 470(c)(12) में अंशदान और धन उगाहने से संबंधित प्रावधानों, धारा 471 में सार्वजनिक मैचिंग निधि से संबंधित प्रावधानों और अध्यादेश द्वारा अन्यथा छूट प्राप्त प्रावधानों के अधीन नहीं होंगे। शिक्षा मण्डल के सदस्यों के चुनाव पर निम्नलिखित कैम्पेन वित्त प्रावधान लागू होते हैं। यह धारा 1974 के राजनीतिक सुधार अधिनियम की पूरक है।

(a) परिभाषाएँ

(1) “आदेशित” का अर्थ निम्नलिखित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए इसे निम्नलिखित तरीके से माना जाएगा:-

(A) किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार की नियंत्रित समिति द्वारा आदेशित व्यय स्वतंत्र व्यय नहीं है और इसे व्यय का आदेश देने वाले उम्मीदवार या समिति को दिया गया अंशदान माना जाएगा। भुगतान को तब आदेशित माना जाता है यदि इसे इस प्रकार किया जाता है:-

(i) उम्मीदवार, समिति, या उम्मीदवार या समिति के एजेंट के अनुसंधान या सुझाव पर;

(iii) उम्मीदवार, समिति, या उम्मीदवार या समिति के एजेंट के साथ मिलकर, उनके सहयोग से, या उससे परामर्श करके; या

(iii) उम्मीदवार, समिति, या उम्मीदवार या समिति के एजेंट के बीच किसी भी व्यवस्था, समन्वय या निर्देश के तहत।

(B) निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यय का बिना किसी सीमा के आदेश दिया जाता है:-

(i) किसी उम्मीदवार द्वारा व्ययकर्ता द्वारा वित्तपोषित संचार के निर्माण या डिजाइन में सक्रिय भागीदारी या सहभागिता, जिसमें व्ययकर्ता और उम्मीदवार के बीच सामग्री के बारे में परामर्श शामिल है;

(ii) व्ययकर्ता द्वारा अनुसंध करना और/या उम्मीदवार द्वारा संचार में उपयोग के लिए विशेष रूप से सामग्री उपलब्ध करना या संचार में विशिष्ट सामग्री को शामिल करने के लिए उम्मीदवार की सहमति प्राप्त करना; या

(iii) संचार में प्रयुक्त किसी भी सामग्री की तैयारी के लिए उम्मीदवार के साथ व्यवस्था करना।

(C) यह खंडन योग्य धारणा है कि कोई व्यय आदेशित है, और इसलिए स्वतंत्र नहीं है, यदि:-

(i) यह प्रभावित उम्मीदवार के किसी भी एजेंट या उम्मीदवार की नियंत्रित समिति के सदस्य द्वारा या उसके माध्यम से वर्तमान कैम्पेन में उसकी भागीदारी के दौरान किया गया हो;-

(ii) जिस चुनावी चक्र के दौरान व्यय किया जाता है, उस दौरान व्ययकर्ता या व्ययकर्ता का एजेंट और जिस उम्मीदवार की ओर से व्यय किया जाता है, दोनों गैर-मंत्रालयी, कैम्पेन-संबंधी पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही व्यक्ति या संस्था को नियुक्त करते हैं (गैर-मंत्रालयी, कैम्पेन संबंधी पेशेवर सेवाओं में ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: मतदान या अन्य कैम्पेन अनुसंधान, मीडिया परामर्श या उत्पादन, प्रत्यक्ष मेल परामर्श और धन उगाहना);-

(iii) व्यय किसी ऐसे संचार को वित्तपोषित करता है जो प्रभावित उम्मीदवार, उसकी समिति या एजेंट द्वारा डिजाइन किए गए, निर्मित, भुगतान या वितरित किए गए प्रसारण, लिखित, ग्राफिक या अन्य प्रकार की कैम्पेन सामग्री की पूर्ण या पर्याप्त रूप से नकल, पुनरुत्पादन, पुनर्प्रकाशन, वितरण या प्रसार करता है;-

(iv) व्यय किसी उम्मीदवार की कैम्पेन योजनाओं, परियोजनाओं या आवश्यकताओं के बारे में ऐसी जानकारी पर आधारित है जो आम तौर पर जनता के लिए उपलब्ध नहीं है; या उस उम्मीदवार, समिति या उनके एजेंटों द्वारा व्ययकर्ता या व्ययकर्ता के एजेंट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई जानकारी पर इस व्यय या निहित समझ के साथ आधारित है कि व्यय पर विचार किया जा रहा था;-

(v) व्ययकर्ता या व्ययकर्ता का एजेंट, व्ययकर्ता द्वारा वित्तपोषित संचार की सामग्री, समय, स्थान, माध्यम, लक्षित दर्शक, वितरण की मात्रा या प्लेसमेंट की बारंबारता पर उस उम्मीदवार के साथ चर्चा या बातचीत करता है जिसके चुनाव या नामांकन की वकालत व्ययकर्ता द्वारा की जाती है या जिसके प्रतिद्वंद्वी की हार की वकालत व्ययकर्ता द्वारा की जाती है;-

(vi) जिस चुनावी चक्र के दौरान व्यय किया जाता है, उस दौरान व्ययकर्ता या व्ययकर्ता का एजेंट उम्मीदवार के कैम्पेन में किसी औपचारिक कार्यकारी, नीति-निर्माण या सलाहकार पद पर कार्यरत है या कार्य कर चुका है, या उस उम्मीदवार के नामांकन या पद के चुनाव के प्रसार से संबंधित रणनीतिक या नीति-निर्माण संबंधी चर्चाओं में भाग ले चुका है, और उम्मीदवार उस उम्मीदवार के रूप में उसी पद के लिए चुनाव लड़ रहा है जिसके नामांकन या चुनाव को व्यय प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत है;-

(vii) व्यय उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या उनके एजेंटों द्वारा उम्मीदवार की ओर से व्यय के लिए व्ययकर्ता या व्ययकर्ता के एजेंट से अनुसंध के बाद किया जाता है; या

(viii) व्यय उम्मीदवार और व्ययकर्ता या व्ययकर्ता के एजेंट द्वारा सह-प्रायोजित धन उगाहने वाले कार्यक्रमों या कैम्पेन की गतिविधियों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप किया जाता है।

(D) किसी व्यय को केवल तभी आदेशित नहीं माना जाएगा जब:-

(i) कोई व्ययकर्ता या व्ययकर्ता का एजेंट किसी उम्मीदवार का विधायी या नीतिगत पदों या व्ययकर्ता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर साक्षात्कार करता है या उम्मीदवार के साथ कैम्पेन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करता है, जैसे कि मंच, मतदान संबंधी जानकारी, कौन से संगठन उम्मीदवार का समर्थन करते हैं और कौन से संगठन उसके प्रतिद्वंद्वी का समर्थन करते हैं, या उन सलाहकारों की पहचान जिन्हें उम्मीदवार द्वारा नियुक्त करने की योजना रखता है, बशर्ते कि उस जानकारी के आधार पर बाद में व्यय करने से पहले, व्ययकर्ता या उसके एजेंट ने व्यय के संबंध में उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति या उनके एजेंटों के साथ संवाद न किया हो:-

(ii) व्ययकर्ता उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या उनके एजेंटों से एक फोटोग्राफ, जीवनी, स्थिति पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, या इसी तरह की सामग्री मांगता है और/या प्राप्त करता है और उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या उनके एजेंटों की पूर्व जानकारी, नियंत्रण या भामीदारी के बिना, बाद में उस जानकारी का उपयोग उम्मीदवार के समर्थन में या उसके प्रतिद्वंद्वी के विरोध में एक संचार तैयार करने के लिए करता है या उसे शामिल करता है:-

(iii) व्ययकर्ता ने उम्मीदवार को पूर्व में अंशदान दिया था:-

(iv) व्ययकर्ता उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या इनमें से किसी के भी एजेंट को इस धारा के उप-पैरा (C)(v) में उल्लिखित किसी भी मद पर चर्चा किए बिना, स्वतंत्र व्यय करने के इरादे के बारे में सूचित करता है:-

(v) व्यय करने वाले संगठन का कोई सदस्य प्रभावित उम्मीदवार के कैम्पेन के लिए स्वयंसेवी व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है या उसके लिए काम करता है, जब तक कि स्वयंसेवक या कैम्पेन कार्यकर्ता, व्ययकर्ता-संगठन की राजनीतिक कार्रवाई समिति की गतिविधियों में भी शामिल न हो या व्ययकर्ता-संगठन की ओर से भुगतान न करता हो, या इस धारा के उप-अनुच्छेद (C)(vi) में वर्णित क्षमताओं में से किसी एक में प्रभावित उम्मीदवार के कैम्पेन में सेवा कर रहा हो या कर चुका हो:-

(vi) व्यय राजनीतिक दल के नेताओं या उनके एजेंटों के अवांछित अनुरोध के जवाब में किया गया था कि समिति उम्मीदवार का "समर्थन" करे या उम्मीदवार से संबंधित व्यय करे;

(vii) व्यय से उम्मीदवार के मूल्यांकनों को तैयार करने या मतदाताओं तक प्रचार-प्रसार करने या राजनीतिक सर्वेक्षण करने की लागत का वित्तपोषण होता हो; या

(viii) व्ययकर्ता किसी ऐसे राजनीतिक सलाहकार या जनमत सर्वेक्षणकर्ता को नियुक्त करता है या उसके साथ अनुबंध में है जिसने पिछले वर्षों में किसी उम्मीदवार को सेवाएं प्रदान की हैं।

(2) "शिक्षा मण्डल कार्यालय" से तात्पर्य Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के शिक्षा मण्डल के सदस्य के कार्यालय से है।

(3) "उम्मीदवार या समिति एजेंट" से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जिसे उम्मीदवार की ओर से व्यय करने या व्यय करने के लिए अधिकृत करने का स्पष्ट या निहित अधिकार प्राप्त हो। ऐसी खंडन-

योग्य धारणा मौजूद होगी कि निम्नलिखित व्यक्तियों के पास यह अधिकार है: उम्मीदवार-नियंत्रित समिति के वर्तमान या पूर्व अधिकारी, कैम्पेन के कर्मचारी, कैम्पेन से मुआवजा या धन-वापसी प्राप्त करने वाले व्यक्ति, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे कैम्पेन संगठन के भीतर ऐसे पद पर रखा गया है जहां यह यथोचित रूप से प्रतीत होता है कि कैम्पेन संबंधी गतिविधियों के सामान्य क्रम में वह व्यय को अधिकृत कर सकता है। किसी उम्मीदवार का एजेंट ऐसा कोई भी व्यक्ति होता है जो किसी उम्मीदवार के कैम्पेन में सलाहकार, निर्णय लेने वाली या कार्यनीतिक भूमिका में सेवा कर रहा है या कर चुका है, चाहे उसे मुआवजा मिले या न मिले, जहां उस व्यक्ति के कर्तव्य और/या कार्य उम्मीदवार की कैम्पेन कार्यनीति, योजनाओं या जरूरतों के प्रत्यक्ष ज्ञान को दर्शाते हैं या इनकी आवश्यकता होती है।

(4) "चुनाव" से तात्पर्य किसी भी प्राथमिक नामांकन चुनाव, आम चुनाव, विशेष चुनाव और वापस बुलाने वाले चुनाव से है।

(5) "स्वतंत्र व्यय" से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे संचार के संबंध में किए गए व्यय से है जो व्यक्त रूप से किसी स्पष्ट रूप से पहचाने गए उम्मीदवार के चुनाव या हार की वकालत करता है; या, समग्र रूप से और संदर्भ में, किसी चुनाव में किसी विशेष परिणाम का स्पष्ट रूप से आग्रह करता है, लेकिन जो प्रभावित उम्मीदवार या समिति को या उसके आदेश पर नहीं किया जाता है।

(6) "ऋण" का अर्थ निम्नलिखित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए इसे निम्नलिखित तरीके से माना जाएगा:-

(A) ऋण को ऋण देने वाले और ऋण के गारंटर का अंशदान माना जाएगा और यह इस धारा की अंशदान की सीमाओं के अधीन होगा।

(B) किसी वाणिज्यिक ऋण देने वाली संस्था द्वारा व्यवसाय के नियमित क्रम में आम जनता के सदस्यों के लिए उपलब्ध समान शर्तों पर किसी उम्मीदवार को दिए गए ऋण की आय, जो प्रत्याभूत या गारंटीकृत हो, इस धारा की अंशदान सीमाओं के अर्थ में अंशदान नहीं मानी जाएगी।

(C) 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऋण का विस्तार (उपखंड (6)(B) में संदर्भित ऋणों के सिवाए) इस अनुच्छेद की अंशदान सीमाओं के अधीन है।

(7) "सदस्य संचार" से तात्पर्य सरकारी संहिता धारा 85312 के अनुसार किए गए भुगतानों से है।

(A) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, उम्मीदवारों द्वारा निर्देशित सदस्य संचार के लिए किए गए भुगतान, नियमित रूप से प्रकाशित न्यूज़लेटर या पत्रिका के लिए किए गए भुगतानों के सिवाए, जो केवल व्यक्तिगत सदस्यों तक सीमित हैं और नियमित न्यूज़लेटर या पत्रिका के प्रकाशन के लिए नियमित रूप से किए जाने वाले भुगतानों की राशि से अधिक नहीं हैं, इस अनुच्छेद में निहित अंशदान सीमा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए उस उम्मीदवार या उम्मीदवार नियंत्रित समिति को अंशदान माने जाएंगे।

(B) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, ऐसे सदस्य संचार जो किसी उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या उम्मीदवार या उम्मीदवार की नियंत्रित समिति के एजेंट द्वारा निर्देशित नहीं हैं, उम्मीदवार को अंशदान नहीं माने जाएंगे।

(C) ऐसे सदस्य संचार जो किसी उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या उम्मीदवार या उम्मीदवार की नियंत्रित समिति के एजेंट द्वारा निर्देशित नहीं हैं और नियमित रूप से प्रकाशित न्यूज़लेटर या पत्रिका के लिए भुगतान नहीं हैं जो केवल व्यक्तिगत सदस्यों तक सीमित हैं और नियमित न्यूज़लेटर या पत्रिका प्रकाशित करने के लिए नियमित रूप से किए गए भुगतानों की राशि से अधिक नहीं हैं, को व्यय माना जाता है और इन्हें उपधारा (8) के अनुसार रिपोर्ट करना आवश्यक है।

(8) "गैर-उम्मीदवार व्यय" से तात्पर्य स्वतंत्र व्यय और/या सदस्य संचार के ऐसे किसी भी संयोजन से है जो किसी उम्मीदवार द्वारा निर्देशित नहीं है।

(b) कैम्पेन में अंशदान संबंधी सीमाएँ-

(1) शिक्षा मण्डल के लिए कोई भी इच्छित उम्मीदवार, और ऐसे उम्मीदवार की ओर से कार्य करने वाली कोई भी समिति, ऐसे पद के लिए किसी भी चुनाव में उपयोग के लिए कोई भी अंशदान न तो मांगेगी और न ही स्वीकार करेगी, और न ही मंगवाएगी या स्वीकार करवाएगी, जब तक कि ऐसा उम्मीदवार शिक्षा मण्डल के किसी विशिष्ट पद के लिए उम्मीदवारी के संबंध में अंशदान मांगने और प्राप्त करने के इरादे की घोषणा दाखिल न कर दे। वह घोषणा शहर आचारसंहिता आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शहर आचारसंहिता आयोग के यहाँ दाखिल की जाएगी। चुनाव हो जाने के बाद, घोषणा अमान्य हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी एक चुनाव के लिए एक ही समय में फाइल में एक से अधिक घोषणापत्र नहीं हो सकते हैं। बहरहाल, कोई उम्मीदवार एक घोषणा को रद्द करने वाला फॉर्म दाखिल कर सकता है और उसके बाद एक नई घोषणा दाखिल कर सकता है।

(2) उम्मीदवार और उम्मीदवार की नियंत्रित समितियों के कोषाध्यक्ष शहर आचारसंहिता आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शहर आचारसंहिता आयोग के यहाँ शपथपूर्वक एक वक्तव्य दाखिल करेंगे कि उम्मीदवार और कोषाध्यक्षों ने धारा 803 को पढ़ और समझ लिया है। यह वक्तव्य अंशदान मांगने और प्राप्त करने के इरादे की घोषणा दाखिल करने के साथ ही दाखिल किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति शिक्षा मण्डल के किसी भी उम्मीदवार और उसकी नियंत्रित समिति को एक ही चुनाव के लिए कुल मिलाकर \$1,000 से अधिक का अंशदान नहीं देगा। शिक्षा मण्डल का कोई उम्मीदवार को एक ही चुनाव के लिए किसी भी व्यक्ति से \$1,000 से अधिक का कोई भी अंशदान स्वीकार नहीं करेगा। इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उद्देश्य किसी उम्मीदवार द्वारा शिक्षा मण्डल के लिए अपनी उम्मीदवारी हेतु अपने निजी कोष से अंशदान की जाने वाली राशि को सीमित करना हो।

(4) [निरस्त किया गया]-

(5) कोई भी व्यक्ति शिक्षा मण्डल के किसी पद के लिए एकल चुनाव के संबंध में ऐसा कोई अंशदान नहीं करेगा, जिससे उस व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे अंशदानों की कुल राशि उस चुनाव में मतपत्र पर दिखाई देने वाले शिक्षा मण्डल के पदों की संख्या के \$1,000 के गुणनफल के बराबर राशि से अधिक हो जाए, लेकिन उस चुनाव में शिक्षा मण्डल के सभी पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के संबंध में किसी भी स्थिति में \$2,000 से कम न हो; बशर्ते कि, इस उपप्रभाग (5) द्वारा किसी उम्मीदवार को अपने स्वयं के कैम्पेन के संबंध में अंशदान करने या व्यय की जाने वाली राशि पर कोई सीमा नहीं होगी।

(6) कोई भी व्यक्ति \$1,000 से अधिक का ऋण नहीं देगा, और न ही कोई व्यक्ति या उम्मीदवार शिक्षा मण्डल के चुनाव के संबंध में उपयोग के लिए इतनी राशि से अधिक का ऋण मांगेगा या स्वीकार करेगा। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति शिक्षा मण्डल के किसी पद के लिए चुनाव के संबंध में 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए कोई ऋण नहीं देगा, और न ही कोई व्यक्ति या उम्मीदवार ऐसा कोई ऋण मांगेगा या स्वीकार करेगा। किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार की नियंत्रित समितियों को दिए गए ऋणों की गणना उम्मीदवार पर लागू अंशदान सीमाओं के प्रति की जाएगी। किसी उम्मीदवार को व्यवसाय के नियमित क्रम में किसी लाइसेंस प्राप्त वित्तीय ऋण देने वाली संस्था से किसी भी राशि का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जब तक कि ऋण सजनीतिक उद्देश्यों के लिए न लिया गया हो। किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार की नियंत्रित समिति को दिया जाने वाला प्रत्येक ऋण लिखित समझौते द्वारा होगा, जिसे उम्मीदवार के या समिति के उस कैम्पेन विवरण के साथ दाखिल किया जाएगा, जिसमें पहली बार ऋण की सूचना दी जाती है। यह उपप्रभाग (6)

उम्मीदवार द्वारा अपने स्वयं के कैम्पेन के लिए, लिए गए ऋणों की राशि या अवधि को सीमित नहीं करेगा।

(7) इस धारा के अनुसार मांगे गए या स्वीकार किए गए किसी भी अंशदान का उपयोग केवल उम्मीदवार द्वारा अंशदान मांगने और प्राप्त करने के इरादे की घोषणा में उल्लेख किए गए पद के लिए उम्मीदवारी के संबंध में ही किया जाएगा। इस धारा के तहत किसी एक व्यक्ति के लिए मांगे गए या स्वीकार किए गए अंशदानों का उपयोग ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति की उम्मीदवारी के लिए नहीं किया जाएगा जो शिक्षा मण्डल के किसी अन्य पद के लिए चुनाव लड़ रहा हो या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के किसी भी मतपत्र प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में नहीं किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार, उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित समिति, या शिक्षा मण्डल का निर्वाचित सदस्य, अंशदान की गई राशि का उपयोग, पद के लिए चुनाव लड़ रहे किसी भी अन्य उम्मीदवार को या पद के लिए किसी उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करने वाली किसी समिति के लिए नहीं करेगा। बशर्ते, बहुरहाल किसी उम्मीदवार को अपने निजी धन से अपनी स्वयं की उम्मीदवारी, किसी अन्य उम्मीदवार की उम्मीदवारी या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के किसी भी मतपत्र प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में अंशदान करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

(c) **सीमाओं का समायोजन।** प्रत्येक चार वर्ष में, शहर आचारनीति आयोग इस बात की समीक्षा करेगा कि क्या इस धारा में निहित अंशदान सीमाओं को Los Angeles-Long Beach महानगरीय सांख्यिकी क्षेत्र के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। पहली समीक्षा वर्ष कैलेंडर वर्ष 2011 के अंत में शुरू होगी। यदि किसी भी समीक्षा अवधि के दौरान अंशदान सीमाओं को समायोजित नहीं किया जाता है, तो बाद की चार साल की समीक्षा अवधि में सीमाओं को समायोजित किया जा सकता है, जो पिछले समायोजन के बाद से CPI में हुई कुल वृद्धि तक हो सकता है। अंशदान सीमाओं में कोई भी परिवर्तन किसी भी ऐसे आगामी चुनाव के लिए प्रभावी होगा जिसके लिए उपधारा (g) में किए गए प्रावधान के अनुसार धन उगाहने की अवधि अभी तक शुरू नहीं हुई है। शहर आचारनीति आयोग प्रत्येक समीक्षा के बाद, 1 मार्च तक अपने निष्कर्षों सहित एक रिपोर्ट परिषद को भेजेगा। शहर आचारनीति आयोग द्वारा परिषद को अपनी रिपोर्ट भेजने के 60 दिनों के भीतर, परिषद इस मामले के संबंध में सार्वजनिक सुनवाई करेगी और रिपोर्ट को अनुमोदित करने या अस्वीकार करने के लिए कार्रवाई करेगी। अगर परिषद 60 दिन की अवधि के भीतर अस्वीकृत नहीं कर पाती है, तो रिपोर्ट को अनुमोदित करने या वीटो के लिए मेयर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और मेयर के वीटो को रद्द करने के लिए परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि मेयर द्वारा अनुमोदित किया जाता है, या यदि मेयर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, या यदि मेयर के वीटो को रद्द करते हुए परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो रिपोर्ट में उल्लेख की गई राशि इस धारा में उल्लिखित सभी दंडों और उपायों के अधीन, इस धारा पर लागू अंशदान सीमाओं के रूप में कानून का बल रखेगी।

(d) **नकद अंशदान और गुमनाम अंशदान।** कोई भी व्यक्ति \$25 से अधिक का नकद अंशदान नहीं देगा, और न ही कोई उम्मीदवार या समिति इतनी राशि से अधिक का नकद अंशदान मांगेगी या स्वीकार करेगी। किसी उम्मीदवार या समिति को एक ही चुनाव के संबंध में कुल मिलाकर \$200 से अधिक का गुमनाम अंशदान उस उम्मीदवार या समिति द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा जिसके लिए ऐसा अंशदान दिया गया था, लेकिन इसके बजाए, यह अतिरिक्त राशि तुरंत शहर कोषाध्यक्ष को शहर के सामान्य कोष में जमा करने के लिए दे दी जाएगी।

(e) **कैम्पेन अंशदान चेकिंग खाता।** शिक्षा मण्डल के किसी पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करने वाली प्रत्येक समिति द्वारा एक से अधिक कैम्पेन अंशदान चेकिंग खाता स्थापित नहीं किया जाएगा। यह खाता Los Angeles शहर में स्थित किसी बैंक या वचत एवं ऋण संस्था के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। ऐसा खाता खोलने पर, उम्मीदवार को कैम्पेन बैंक खाता खोलने के दस दिनों के भीतर शहर आचारनीति आयोग के यहाँ बैंक या वचत एवं ऋण संस्था का नाम और खाता संख्या दाखिल करनी होगी। ऐसे खाते से धनराशि का वितरण केवल उम्मीदवार, कोषाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष के नामित एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित चेकों के माध्यम से ही किया जाएगा। उम्मीदवार, कोषाध्यक्ष

या कोषाध्यक्ष का नामित एजेंट शिक्षा मण्डल के चुनाव के संबंध में प्राप्त सभी अंशदानों को कैम्पेन चेकिंग खाते में जमा कर देगा। उम्मीदवार, कोषाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष का नामित एजेंट शिक्षा मण्डल के चुनाव के लिए सारे कैम्पेन व्यय का भुगतान इस कैम्पेन चेकिंग खाते के धन से करेगा।

यदि किसी उम्मीदवार के पास अन्य नियंत्रित समितियाँ हैं और ऐसी समितियों के चेकिंग खाते हैं, तो उम्मीदवार को इन समितियों और बैंकों या बचत एवं ऋण संस्थानों के नाम और पते तथा ऐसे किसी भी खाते के खाता संख्या की लिखित सूचना शहर आचारनीति आयोग को देनी होगी। किसी भी उम्मीदवार को अंशदान मांगने और प्राप्त करने के इरादे की घोषणा दाखिल करने के साथ ही शहर आचारनीति आयोग को इन समितियों, बैंकों या बचत एवं ऋण संस्थानों और खाता संख्याओं के बारे में सूचित करना होगा। यदि इसके बाद समितियाँ गठित की जाती हैं या खाते खोले जाते हैं, तो उम्मीदवार को शहर आचारनीति आयोग के कार्यालय के खुलने के दिन के अगले नियमित कार्यदिवस पर शहर आचारनीति आयोग को सूचित करना होगा। किसी भी प्रकार का अंशदान उम्मीदवार या किसी भी अन्य व्यक्ति के निजी धन के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा।

इस उपधारा में बचत खातों या जमरशि के प्रमाणपत्र स्थापित करने पर रोक नहीं लगाई जाएगी, बशर्ते कि उनसे कोई कैम्पेन व्यय न किया जाए।

(f) कोषाध्यक्ष। शिक्षा मण्डल के चुनाव के लिए प्रचार समितियों वाले उम्मीदवार को प्रत्येक समिति के लिए एक कोषाध्यक्ष नियुक्त करना होगा। कोषाध्यक्ष या उसके नामित एजेंटों की अनुमति के बिना किसी समिति द्वारा या उसकी ओर से कोई व्यय नहीं किया जाएगा। कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में किसी समिति द्वारा या उसकी ओर से कोई अंशदान या व्यय स्वीकार नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार और कोषाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे भुगतानों को अनुमोदित और अधिकृत करें तथा ऐसे प्राधिकरणों, विस्तृत खातों, रिकॉर्डों, बिलों और रसीदों को सुरक्षित रखें।

(g) उम्मीदवारों और कोषाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण। शिक्षा मण्डल के प्रत्येक उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार की नियंत्रित समिति के प्रत्येक कोषाध्यक्ष को उस चुनाव से पहले शहर आचारनीति आयोग द्वारा संचालित या प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा जिसमें उम्मीदवार का नाम मतपत्र पर दिखाई देगा।

(h) जवाबदेही। कैम्पेन संबंधी विवरण तैयार करने के लिए उम्मीदवार और कोषाध्यक्ष को ऐसे विस्तृत खाते, रिकॉर्ड, बिल और रसीदें बनाई रखनी होंगी जो आवश्यक हों। उम्मीदवार और कोषाध्यक्ष, 1974 के यथासंशोधित राजनीतिक सुधार अधिनियम में उल्लेख की गई अवधियों के लिए विस्तृत खाते, रिकॉर्ड, बिल और रसीदें सुरक्षित रखेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार और समिति, इस धारा को लागू करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी भी लोक अधिकारी को मांग किए जाने पर, उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित प्रत्येक समिति के जाँच और वित्तीय खातों का विवरण और ऐसे विवरणों का समर्थन करने वाले सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगी।

(i) मामूली नकदी निधि। उपधारा (e) के होते हुए भी, एक उम्मीदवार, कैम्पेन कोषाध्यक्ष और कैम्पेन अंशदान चेकिंग खाते पर चेक जारी करने के लिए अधिकृत अन्य नामित एजेंट उम्मीदवार या चेकिंग खाता स्थापित करने वाली समिति को प्रति सप्ताह \$50 से कम की राशि का भुगतान कर सकते हैं, जिसका उपयोग उम्मीदवार या समिति द्वारा मामूली नकदी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

(j) कल्पित नाम अंशदान। किसी भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त रूप से कार्य करते हुए, उस नाम के सिवाए किसी अन्य नाम से कोई अंशदान नहीं दिया जाएगा जिसके द्वारा उनकी कानूनी उद्देश्यों के लिए पहचान की जाती है, न ही किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के नाम से कोई अंशदान दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की किसी भी चीज या उससे प्राप्त किसी भी चीज का अपने नाम से इस शर्त पर अंशदान नहीं करेगा कि उसका उपयोग अंशदान के रूप में किया जाए। यदि किसी उम्मीदवार या समिति के कोषाध्यक्ष को पता चलता है कि इस उपधारा के उल्लंघन में कोई अंशदान प्राप्त हुआ है, तो उम्मीदवार या कोषाध्यक्ष को इस उपधारा के उल्लंघन में प्राप्त राशि तुरंत शहर कोषाध्यक्ष को शहर के सामान्य कोष में जमा करने के लिए देनी होगी।

(k) **कैम्पेन व्यय - उम्मीदवार या समिति द्वारा अनियंत्रित।** ऐसे व्यक्ति या संगठन जो किसी उम्मीदवार या समिति के नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन जो किसी उम्मीदवार या समिति के पक्ष या विपक्ष में स्वतंत्र व्यय करते हैं, उन्हें प्रकाशित, प्रदर्शित या प्रसारित किसी भी सामग्री पर स्पष्ट रूप से यह इंगित करना होगा कि यह किसी उम्मीदवार या किसी उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित समिति द्वारा अधिकृत नहीं था।

(l) **वापस बुलाने संबंधी याचिका।** यदि किसी को वापस बुलाने संबंधी यानी रिकॉल के लिए याचिका दाखिल की जाती है, तो याचिका दाखिल करने वाली समिति या व्यक्ति उसी कैम्पेन प्रकटीकरण प्रावधानों के अधीन होंगे जो शिक्षा मण्डल के उम्मीदवारों पर लागू होते हैं।

(m) **माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता - रिकॉर्डों का प्रकटीकरण आवश्यक है।** ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी उम्मीदवार या समिति को शिक्षा मण्डल के पद के लिए कैम्पेन के संबंध में उपयोग हेतु माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है, वह जान-बूझकर शहर आचारनीति आयोग या इस धारा को लागू करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को उम्मीदवार या समिति द्वारा ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के भुगतान में किए गए किसी भी व्यय का विवरण और ऐसे विवरणों का समर्थन करने वाले रिकॉर्डों का खुलासा करने या इन्हें प्रकट करने से इनकार नहीं करेगा।

(n) **भुगतानों का समूहीकरण।** इस धारा में निहित अंशदान सीमाओं के प्रयोजनों के लिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय को समूहबद्ध किया जाएगा और इस धारा में निहित अंशदान सीमाओं और तब रिपोर्टिंग प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाएगा, यदि निचे सूचीबद्ध परिस्थितियों में से कोई भी लागू होती हो:-

(1) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा जो उसके अंशदान या व्यय गतिविधि को नियंत्रित करता है:-

(2) सरकारी संहिता धारा 82048.7 में परिभाषित प्रायोजित समिति से प्राप्त अंशदान और/या व्यय को उसके प्रायोजक संगठन से प्राप्त अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा:-

(3) किसी संस्था से प्राप्त अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसी अन्य संस्था से प्राप्त अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों के बहुमत में समान व्यक्ति हों:-

(4) किसी संस्था से प्राप्त अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसी अन्य संस्था से प्राप्त अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा, जिसमें अधिकारी समान हों या जिसके साथ वह अधिकारियों का बहुमत साझा करती हो। इस उपप्रभाग के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के केवल सदस्य के रूप में कार्य करता है:-

(5) किसी निगम या सीमित देयता कंपनी से प्राप्त अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसे अन्य निगम या सीमित देयता कंपनी से प्राप्त अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा, जिसमें समान बहुसंख्यक शेयरधारक और/या सदस्य हो या जो उस निगम या सीमित देयता कंपनी में मतदान अधिकारों का बहुमत रखती हो:-

(6) किसी निगम से प्राप्त अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसे मूल या सहायक निगम से प्राप्त अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा, बशर्ते कि कम से कम एक निगम का सार्वजनिक रूप से कारोबार न किया जाता हो:-

(7) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसे निगम, सीमित देयता कंपनी, फर्म, संयुक्त उद्यम, सिंडिकेट, व्यावसायिक ट्रस्ट, कंपनी या अन्य व्यावसायिक इकाई द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा, जिसका वर्णन निचे उपप्रभाग (8) या (9) में

नहीं किया गया है, जिसमें व्यक्ति 50% या उससे अधिक का निवेश रखता है या मतदान अधिकारों का बहुमत रखता है;

(8) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय को उस व्यक्ति के स्वामित्व वाले किसी भी एक स्वामित्व द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा; या

(9) किसी सामान्य साझेदार के अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसे सामान्य या सीमित साझेदारी के अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा जिसमें सामान्य साझेदार का 50% या उससे अधिक का निवेश है या जिसमें सामान्य साझेदार के पास मतदान अधिकारों का बहुमत है।

(o) **पारिवारिक अंशदान।** पति और पत्नी द्वारा किए गए अंशदान को अलग-अलग अंशदान माना जाएगा। अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किए गए अंशदान को उनके माता-पिता द्वारा किए गए अंशदान के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक माता/पिता को अनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा (प्रत्येक माता/पिता को आधा या कुल सशि एक अभिरक्षी माता/पिता को)।

(p) **अंशदानों की वापसी।** यदि अंशदान की गई सशि का लेन-देन नहीं किया जाता है, उसे जमा नहीं किया जाता है, या उसका उपयोग नहीं किया जाता है, और उसे प्राप्त के 14 दिनों के भीतर दाता को वापस नहीं किया जाता है, तो अंशदान को प्राप्त नहीं माना जाएगा।

(q) **इस पर प्रतिबंध कि अंशदान कब प्राप्त किया जा सकता है।** शिक्षा मण्डल के किसी भी उम्मीदवार या उस उम्मीदवार की नियंत्रित समिति को उस चुनाव की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले किसी भी प्रकार का अंशदान मांगने या स्वीकार करने या मंगवाने या स्वीकार करवाने की अनुमति नहीं है, जिसमें उम्मीदवार पद के लिए चुनाव लड़ रहा है। शिक्षा मण्डल के किसी भी उम्मीदवार या उसकी नियंत्रित समिति को चुनाव की तारीख के नौ महीने बाद किसी भी व्यक्ति से अपनी कैम्पेन समिति के लिए अंशदान मांगने या प्राप्त करने या मंगवाने या प्राप्त करवाने की अनुमति नहीं है। शिक्षा मण्डल के उम्मीदवार या उसकी नियंत्रित समिति द्वारा, चुनाव के बाद मांगे गए या प्राप्त किए गए या मंगवाए गए या प्राप्त करवाए गए अंशदान का उपयोग कैम्पेन के ऋण को चुकाने के लिए किया जाएगा।

(r) **कैम्पेन का प्रकीर्ण, रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड का रखरखाव।**

(1) यथासंशोधित सरकारी संहिता धारा 81000 से शुरू होकर, सजनीतिक सुधार अधिनियम के अनुसार, दाखिल किए जाने के लिए आवश्यक कैम्पेन विवरणों के अतिरिक्त, शिक्षा मण्डल के उम्मीदवारों, उनकी नियंत्रित समितियों और इन उम्मीदवारों का समर्थन या विरोध करने के लिए मुख्य रूप से गठित समितियों को चुनाव से पहले शुरूवार को एक पूर्व-चुनाव विवरण दाखिल करना होगा। इस विवरण की अंतिम तारीख चुनाव से पहले वाला बुधवार होगी और इसमें उस दिन तक होने वाली गतिविधियों और भुगतानों को शामिल किया जाएगा। शिक्षा मण्डल के उम्मीदवारों, उनकी नियंत्रित समितियों और मुख्य रूप से इन उम्मीदवारों का समर्थन या विरोध करने के लिए गठित समितियों को मार्च में आयोजित होने वाले प्राथमिक नामांकन चुनाव के संबंध में निम्नानुसार कैम्पेन विवरण भी दाखिल करने होंगे:

(A) चुनाव से पहले के वर्ष के 30 सितंबर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए 10 अक्टूबर तक विवरण दाखिल किया जाएगा।

(B) चुनाव से पहले के वर्ष के 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, चुनाव के वर्ष के 10 जनवरी तक 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए एक विवरण दाखिल किया जाएगा।

(2) शिक्षा मण्डल के किसी उम्मीदवार के कैम्पेन चेकिंग खाते में कोई अंशदान तब तक जमा नहीं किया जाएगा जब तक अंशदान प्राप्तकर्ता के रिकॉर्डों में अंशदानकर्ता का नाम, पता, व्यवसाय और नियोजन दर्ज न हो।

(3) प्रत्येक उम्मीदवार, और ऐसी प्रत्येक समिति जो किसी उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में स्वतंत्र व्यय या सदस्य संचार करती है, जो 200 से अधिक समान प्रचार सामग्री डाक से भेजती है या वितरित करती है, डाक या अन्य साहित्य की एक प्रति शहर आचारनीति आयोग को उसी समय भेजेगी जब डाक या अन्य प्रचार सामग्री डाकघर को दी जाती है या अन्यथा वितरित की जाती है। कैम्पेन के दौरान, आयोग इस प्रचार सामग्री के लिए केवल एक भंडार के रूप में कार्य करेगा और प्रचार सामग्री पर कोई निर्णय नहीं लेगा या टिप्पणी नहीं करेगा।

(4) शिक्षा मण्डल के लिए किसी भी उम्मीदवार और उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, जिन्हें शहर आचारनीति आयोग के यहाँ कैम्पेन विवरण दाखिल करना आवश्यक है, उम्मीदवार और/या समिति द्वारा शिक्षा मण्डल कार्यालय के चुनाव के संबंध में \$25,000 या उससे अधिक का अंशदान प्राप्त करने या व्यय करने के बाद, आयोग की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रणाली (EFS) का उपयोग करके उन कैम्पेन विवरणों को ऑनलाइन दाखिल करेंगे।

(A) जब किसी उम्मीदवार या समिति को ऑनलाइन कैम्पेन विवरण दाखिल करने की आवश्यकता होती है, तब वह उम्मीदवार या समिति तब तक ऑनलाइन विवरण दाखिल करना जारी रखेगी जब तक कि समिति आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं हो जाती। ऐसी समितियाँ और अन्य व्यक्ति जिन्हें इस उपधारा के तहत ऑनलाइन फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं।

(B) ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ऑनलाइन दाखिल करना आवश्यक है, वह California राजनीतिक सुधार अधिनियम और इस अनुच्छेद के अनुसार, प्रत्येक कैम्पेन विवरण की एक कागजी प्रति दाखिल करना तब तक जारी रखेगा, जब तक कि उस व्यक्ति को शहर आचारनीति आयोग के यहाँ कैम्पेन विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेखापरीक्षा और अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए कागजी प्रति, मूल कैम्पेन विवरण बनी रहेगी।

(C) California राजनीतिक सुधार अधिनियम या इस अनुच्छेद के अनुसार कागजी प्रति दाखिल करने में देरी के लिए लगाए जा सकने वाले देरी से दाखिल करने के किसी भी शुल्क के अतिरिक्त, इस उपधारा की ऑनलाइन दाखिल करने की आवश्यकता का पालन करने में विफल रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर इसके अतिरिक्त ऑनलाइन प्रति दाखिल करने में देरी करने के लिए, अंतिम तारीख के बाद दाखिल करने में देरी का प्रति दिन \$25 का अतिरिक्त देरी दंड लगाया जाएगा।

(D) ऑनलाइन दाखिल किए गए कैम्पेन विवरण में निहित जानकारी बही होगी जो उसी विवरण की कागजी प्रति में निहित है जो शहर आचारनीति आयोग के यहाँ दाखिल की जाती है।

(5) स्वतंत्र व्यय और गैर-निर्देशित सदस्य संचार के लिए भुगतान का खुलासा-

(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसमें कोई समिति भी शामिल है, जो शिक्षा मण्डल के किसी भी उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में \$1,000 या उससे अधिक का स्वतंत्र व्यय करता है या वहन करता है, या इस धारा द्वारा परिभाषित सदस्य संचार के लिए एक या अधिक भुगतान करता है, जिसका कुल योग शिक्षा मण्डल के किसी उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में \$1,000 या उससे अधिक है, तो उसे प्रत्येक बार एक या अधिक ऐसे भुगतान किए जाने पर, जो इस सीमा को पूरा करते हैं, 24 घंटे के भीतर प्रमाणित डाक, फैक्स या ईमेल द्वारा शहर आचारनीति आयोग को सूचित करना होगा।

(2) अधिसूचना में एक घोषणा होगी जिसमें व्यय द्वारा समर्थित या विरोध किए गए प्रत्येक उम्मीदवार, प्रत्येक उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में खर्च की गई सधि, क्या उम्मीदवार का समर्थन किया गया था या विरोध किया गया था, और इसका उल्लेख होगा कि व्यय उस उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्देशित नहीं था जिन्हें व्यय से लाभ हुआ था। यह घोषणा झूठी गवाही देने के दंड के अधीन की जाएगी और इस पर व्यय करने वाले व्यक्ति या अधिकारी तथा समूह के कोषाध्यक्ष

के हस्ताक्षर होंगे। इसके अतिरिक्त, भुगतान की तारीख और राशि, उस संचार के प्रकार का विवरण जिसके लिए भुगतान किया गया था या खर्च किया गया था, भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम और पता, भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम और पता, और मेल या विज्ञापन की एक प्रति, या कॉल, प्रसारण या विज्ञापन की स्क्रिप्ट या रिकॉर्डिंग की एक प्रति भी शहर आचारनीति आयोग को प्रदान की जाएगी। अधिसूचना में समिति द्वारा आयोग के भीतर दाखिल की गई पिछली कैम्पेन संबंधी खुलासा करने की अंतिम तारीख के बाद के दिन से या चालू कैलेंडर वर्ष के पहले दिन से, जो भी तारीख बाद में हो, प्राप्त \$100 या उससे अधिक के अंशदान का खुलासा भी शामिल होगा; हालांकि, प्राप्त अंशदानों, लेकिन Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के बाहर किसी भी अन्य उम्मीदवार के लिए निर्धारित अंशदान का खुलासा करना आवश्यक नहीं है। इस अधिसूचना में शिक्षा मण्डल के उम्मीदवारों या उनकी नियंत्रित समितियों को संबंधित व्यक्ति द्वारा चालू कैलेंडर वर्ष में दिए गए \$100 या उससे अधिक के अंशदान का खुलासा भी शामिल होगा।

(3) शहर आचारनीति आयोग के कर्मचारी प्रभावित रेस में सभी उम्मीदवारों को \$1,000 या उससे अधिक के स्वतंत्र व्यय और असमन्वित सदस्य संचार के भुगतान का नोटिस प्राप्त होने के एक कार्य दिवस के भीतर फोन, फैक्स या ई-मेल द्वारा सूचित करेंगे। अधिसूचना में हस्ताक्षरित घोषणापत्र में दर्शाए गए व्यय के संबंध में समर्थित या विरोध किए गए उम्मीदवार का उल्लेख होगा और इसमें व्यय करने वाले व्यक्ति या समूह द्वारा प्रदान किए गए संचार की एक प्रति शामिल होगी।

(4) उपप्रभाग (1) में अपेक्षित अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, किसी संगठन द्वारा अपने नियमित रूप से प्रकाशित न्यूजलेटर या पत्रिका के लिए किए गए भुगतान, यदि उसका वितरण संगठन के सदस्यों, कर्मचारियों, शैक्षिकारकों, अन्य संबद्ध व्यक्तियों और प्रकाशन का अनुसंधान करने या खरीदने वालों तक सीमित हो, तो उसकी रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं होगा।

(5) कोई भी समिति, जिसमें ऐसी उम्मीदवार नियंत्रित समिति और स्वतंत्र व्यय समिति शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो 1,000 या उससे अधिक रिकॉर्ड किए गए टेलीफोन कॉल या समान सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक या फैक्स प्रसारण के किसी भी अन्य रूप के लिए भुगतान करती है या वहन करती है, या जो शिक्षा मण्डल कार्यालय के लिए किसी भी उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में रेडियो या टेलीविजन विज्ञापन के लिए \$1,000 या उससे अधिक का व्यय करती या वहन करती है, तो वह प्रत्येक संचार के लिए उपयोग की गई स्क्रिप्ट या रिकॉर्डिंग की एक प्रति कॉल, प्रसारण या विज्ञापन के पहली बार किए जाने या प्रसारित होने के 24 घंटे के भीतर आचारनीति आयोग को भेजेगी।

(f) **सत्यापन।** इस धारा के अंतर्गत दाखिल की गई सभी घोषणाओं, रिपोर्टों और विवरणों पर दाखिलकर्ता द्वारा झूठी गवाही देने पर दंड के अधीन हस्ताक्षर किए जाएंगे और सत्यापन किया जाएगा। इस प्रावधान के अंतर्गत घोषणाओं, रिपोर्टों और विवरणों पर हस्ताक्षर करने वाले उम्मीदवार और किसी भी व्यक्ति को इन सभी घोषणाओं, रिपोर्टों और विवरणों की विषयवस्तु को पढ़ना, जानना और समझना होगा।

(g) **शहर आचारनीति आयोग के कर्तव्य।** शहर आचारनीति आयोग इस धारा के प्रावधानों का प्रशासन करेगा। इस धारा की शर्तों के तहत अपेक्षित अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, शहर आचारनीति आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा:

(1) शिक्षा मण्डल के पदों के लिए उम्मीदवारों और समितियों का समर्थन या विरोध करने वाले उम्मीदवारों और समितियों द्वारा दाखिल रिपोर्टों और विवरणों का ऑडिट और जांच करना, जैसा कि 1974 के राजनीतिक सुधार अधिनियम, यथासंशोधित, और चार्टर के अनुच्छेद VII और इस धारा के तहत आवश्यक है। शहर आचारनीति आयोग इस धारा के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति की पूरी तरह से जांच-पड़ताल करने के लिए जहां आवश्यक हो, जांचकर्ताओं को नियुक्त करेगा।

(2) चार्टर के अनुच्छेद VII के अनुसार, सरकारी संहिता की धारा 90002(c) के तहत इस धारा के प्रावधानों को लागू करना या लागू करवाना।

(3) इस धारा और लागू राज्य कानून के स्पष्ट उल्लंघनों की रिपोर्ट शहरी वकील या किसी अन्य उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसी को करना।

(v) प्रवर्तन-

(1) **आपराधिक प्रवर्तन** - जो कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर या स्वेच्छा से इस धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह अपराध का दोषी है। जो कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर या स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति से इस धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करवाता है, या जो इस धारा के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है या उसे उकसाता है, वह इस धारा के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। इस धारा के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई उल्लंघन होने की तारीख से चार साल के भीतर शुरू करनी होगी। इस धारा के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दोषसिद्धि की तारीख से चार साल की अवधि तक लॉबिस्ट या शहर के ठेकेदार के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय सजा सुनाने समय विशेष रूप से यह निर्धारित न कर दे कि यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, प्रतिवादी द्वारा दंड स्वीकार करने की याचिका को दोषसिद्धि माना जाएगा।

(2) नागरिक प्रवर्तन-

(A) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जान-बूझकर या लापरवाही से इस धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह शहरी वकील, शहर आचारनीति आयोग या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले की सीमाओं के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लाई गई सिविल कार्रवाई में प्रति उल्लंघन \$5,000 से कम की राशि या उस राशि के तीन गुना से अधिक राशि के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे व्यक्ति ठीक से रिपोर्ट करने में विफल रहा हो या गैरकानूनी रूप से अंशदान किया हो, दिया हो या प्राप्त किया हो।

(B) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जान-बूझकर या लापरवाही से इस धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कोई अंशदान करता है या प्राप्त करता है, या कोई व्यय करता है, तो वह शहरी वकील या शहर के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लाई गई सिविल कार्रवाई में अवैध अंशदान या व्यय की राशि की तीन गुना तक राशि के लिए उत्तरदायी होगा।

(C) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वे संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होंगे।

(D) शहरी वकील के सिवाए कोई भी व्यक्ति, इस उपधारा के अनुसार सिविल कार्रवाई दायर करने से पहले, कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए, शहर आचारनीति आयोग हेतु, शहर आचारनीति आयोग के यहाँ एक लिखित अनुरोध दायर करेगा। अनुरोध में उन आधारों का विवरण होगा जिनसे यह माना जा सके कि मुकदमा दायर करने का कोई कारण मौजूद है। शहर आचारनीति आयोग अनुरोध प्राप्त होने के 40 दिनों के भीतर जवाब देगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या वह सिविल कार्रवाई दायर करने का इरादा रखता है। यदि शहर आचारनीति आयोग सहमति व्यक्त करता है और उसके बाद 40 दिनों के भीतर मुकदमा दायर करता है, तो कोई अन्य कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि शहर आचारनीति आयोग द्वारा दायर की गई कार्रवाई पूर्वाग्रह के बिना खारिज न कर दी जाए।

(E) इस उपधारा के तहत किसी भी उल्लंघन के संबंध में गुण-दोष के आधार पर एक से अधिक निर्णय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समान उल्लंघन या उल्लंघनों के लिए लाई गई कार्रवाइयों को मुकदमे के प्रयोजन के लिए दायर किए जाने के समय के क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी कार्रवाइयों को तब खारिज कर दिया जाएगा जब किसी पूर्व में दायर कार्रवाई में फैसला सुनाया जा चुका हो या न्यायालय द्वारा समझौता अनुमोदित किया जा चुका हो। यदि वादी सावधानी और सद्भावना से कार्यवाही करने में विफल रहा है, तो न्यायालय किसी अन्य

कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लंबित कार्रवाई को खारिज कर सकता है। शहरी वकील या उसी उल्लंघन पर आधारित किसी अन्य कार्रवाई में किसी भी बादी द्वारा प्रस्ताव किए जाने पर इस कार्रवाई को खारिज किया जा सकता है।

(F) इस उपधारा के अधीन देयता की राशि निर्धारित करने में, न्यायालय उल्लंघन की गंभीरता और प्रतिवादी के दोष की मात्रा को ध्यान में रख सकता है। यदि किसी कार्रवाई में प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध निर्णय सुनाया जाता है, तो निजी बादी को बसूली गई राशि का 50% प्राप्त होगा। शेष 50% राशि शहर के सामान्य कोष में जमा कर दी जाएगी। यदि शहरी वकील या शहर आचारनीति आयोग द्वारा कोई कार्रवाई लाई जाती है, तो पूरी राशि सामान्य निधि में जमा कर दी जाएगी।

(G) इस धारा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोई भी सिविल कार्रवाई उल्लंघन होने की तारीख से चार साल से अधिक समय बाद दायर नहीं की जाएगी।

(H) Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसमें Los Angeles शहरी वकील शामिल है, इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने या इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा सहित के लिए मुकदमा कर सकता है। न्यायालय किसी एजेंसी के सिवाए किसी अन्य पक्ष को, जो इस अनुच्छेद द्वारा अधिकृत किसी भी सिविल कार्रवाई में बिजयी होता है, उसके मुकदमे की लागत, जिसमें वकील की उचित फीस भी शामिल है, प्रदान कर सकता है; बशर्ते कि Los Angeles शहर के विरुद्ध ऐसा कोई अवार्ड प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(w) चुनाव के परिणाम पर उल्लंघन का प्रभाव-

(1) यदि कोई उम्मीदवार इस धारा के किसी भी प्रावधान के आपराधिक उल्लंघन के लिए दोषी पाया जाता है, तो न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या उल्लंघन का चुनाव के परिणाम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यदि न्यायालय को ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रभाव मिलता है, तो:-

(A) यदि ऐसी दोषसिद्धि चुनाव की तारीख से पहले फाइनल हो जाती है, तो ऐसे उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों की गिनती नहीं की जाएगी, और चुनाव उस रस में अन्य उम्मीदवारों के लिए डाले गए वोटों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा;

(B) यदि ऐसी दोषसिद्धि चुनाव की तारीख के बाद फाइनल हो जाती है, और यदि ऐसे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया गया था, तो ऐसा उम्मीदवार पद ग्रहण नहीं करेगा, पद रिक्त माना जाएगा और उसे चार्टर में अन्यथा प्रदान किए गए अनुसार भरा जाएगा;

(C) यदि उम्मीदवार के पदभार ग्रहण करने के बाद ऐसी दोषसिद्धि फाइनल हो जाती है, तो उम्मीदवार को पद से हटा दिया जाएगा, पद रिक्त माना जाएगा और उसे चार्टर में अन्यथा दिए गए प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा; और

(D) इस प्रकार दोषी ठहराया गया व्यक्ति ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी भी निर्वाचित शहर कार्यालय या शिक्षा मण्डल के सदस्य के पद को धारण करने के लिए अपात्र होगा।

(2) शहर क्लर्क किसी भी उम्मीदवार को नामांकन या चुनाव का कोई भी प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसके चुनाव-पूर्व कैम्पेन विवरण, जैसा कि 1974 के यथासंशोधित राजनीतिक सुधार अधिनियम द्वारा आवश्यक है, या यदि कोई कैम्पेन कथन आवश्यक नहीं है, तो सरकारी संहिता की धारा 84205 के तहत अनुमत लिखित घोषणा, 1974 के राजनीतिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रारूप में और निर्धारित स्थान पर दाखिल नहीं कर दी जाती।

(x) देरी से दाखिल करने पर जुर्माना। यदि कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किसी भी समय सीमा के बाद कोई मूल विवरण या रिपोर्ट दाखिल करता है, तो वह इस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य दंड या उपचार के अतिरिक्त, विवरण या रिपोर्ट दाखिल होने तक समय सीमा के बाद प्रति दिन \$25 की राशि का भुगतान शहर आचारनीति आयोग को करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि आयोग निष्पक्ष आधार पर यह निर्धारित करता है कि देर से दाखिल करना जान-बूझकर नहीं था और दायित्व को लागू करने से अनुच्छेद के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो दायित्व को लागू करना आयोग के लिए आवश्यक नहीं है, सिवाय इसके कि यदि कोई विवरण या रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर दाखिल नहीं की जाती है तो किसी भी दायित्व को माफ नहीं किया जाएगा।

(y) पृथक्करणीयता। यदि इस धारा का कोई प्रावधान या भाग, या किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसका प्रयोग किसी न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है, तो इस धारा का शेष भाग या ऐसे प्रावधानों का उन व्यक्तियों या परिस्थितियों के सिवाय अन्य व्यक्तियों या परिस्थितियों पर प्रयोग, जिनके संबंध में इसे अमान्य घोषित किया गया है, प्रभावित नहीं होगा।

धारा 2. पृथक्करणीयता। अगर इस चार्टर संशोधन या इसके किसी भी भाग की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश या अनुप्रयोग को सक्षम न्यायक्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, तो चार्टर संशोधन की शेष धाराएं, उपधाराएं, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस चार्टर संशोधन के प्रावधान विच्छेदनीय हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाता यह घोषणा करते हैं कि यदि इस चार्टर संशोधन की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग को असंवैधानिक या अमान्य घोषित न किया गया होता, तो वे इसकी सभी धाराओं, उपधाराओं, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों, भागों और अनुप्रयोगों को पारित कर देते।

क्या Los Angeles अग्निशमन विभाग के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराने वाला यह अध्यादेश अपनाया जाए, जिसमें अग्निशमकों, पैरामेडिक्स और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वाहनों और उपकरणों की खरीद व रखरखाव, अग्निशमन केंद्रों का निर्माण और उन्नयन, तथा झाड़ियों की सफाई के लिए धन उपलब्ध कराया जाए; इसके लिए Los Angeles शहर में आधा प्रतिशत (0.5%) बिक्री कर लगाया जाए; वार्षिक ऑडिट और नागरिकों की एक निगरानी समिति का प्रावधान हो; तथा मतदाताओं द्वारा समाप्त किए जाने तक इससे हर वर्ष लगभग 345 मिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त हो?

निष्पक्ष सारांश

SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

नागरिकों द्वारा प्रायोजित यह मतपत्र पहल, यदि अनुमोदित हो जाती है, तो शहर को Los Angeles शहर में एक नया आधा प्रतिशत (0.5%) खुदरा लेनदेन और उपयोग कर (बिक्री कर) लगाने के लिए एक अध्यादेश अपनाना होगा। इस नए बिक्री कर से प्राप्त धनराशि का उपयोग Los Angeles अग्निशमन विभाग (LAFD) के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। शहर में वर्तमान बिक्री कर की दर 10.25% है। यह नया कर तब तक लागू रहेगा जब तक कि मतदाताओं द्वारा इसे रद्द नहीं कर दिया जाता, या यदि शहर के बजट संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता, जैसा कि पहल में निर्दिष्ट है।

वर्तमान में, LAFD को मुख्य रूप से शहर के सामान्य कोष से वित्त पोषित किया जाता है। सामान्य कोष शहर का मुख्य परिचालन कोष है और इसमें विभिन्न करों, परमिटों, शुल्कों, जर्मानों और अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व जमा होता है, जिसका उपयोग शहर अपने विवेक के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए कर सकता है। सामान्य कोष के संसाधन सीमित हैं और इसका उपयोग शहर के उन अधिकांश विभागों को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है जो जनता को सेवाएँ प्रदान करते हैं।

यदि इसे अपनाया जाता है, तो एक नए विशेष कोष में अतिरिक्त राजस्व जमा होगा। इन कोषों का उपयोग LAFD के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- दमकलकर्मियों, पैरामेडिक्स और LAFD के असैनिक कर्मचारियों की भर्ती करना और उन्हें बनाए रखना;
- अग्निशमन और बचाव कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाहनों की खरीदारी और रखरखाव करना, जैसे कि फायर ट्रक, फायर इंजन, एम्बुलेंस, विमान और हेलीकॉप्टर;
- अग्निशमन और बचाव सेवाओं में सहायता के लिए उपकरणों की खरीदारी और रखरखाव करना;
- अग्निशमन केंद्रों और आपातकालीन चिकित्सा सेवा सुविधाओं को बदलना, उनका उन्नयन करना या नए केंद्रों और सुविधाओं का निर्माण करना, जिनके निर्माण पर परियोजना श्रम समझौतों और प्रचलित मजदूरी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा;
- आपातकालीन संचार प्रणालियों की खरीदारी और रखरखाव; और
- झाड़ियों की सफाई और जंगल की आग से निपटने की तैयारियों में सुधार करना।

इस कर को वसूलने के लिए, शहर को अध्यादेश के लागू होने की तिथि से पहले के दस वर्षों के दौरान निर्धारित औसत प्रतिशत पर LAFD के विवेकाधीन बजट को बनाए रखना होगा। इस विधेयक के तहत बिक्री कर से प्राप्त राजस्व के व्यय की निगरानी के लिए एक नागरिक निगरानी समिति (COC) की स्थापना भी की जाएगी। COC में शहर के निवासियों में से चुने गए पाँच सदस्य होंगे। मेयर, अग्निशमन प्रमुख, शहर के नियंत्रक, शहर के प्रशासनिक अधिकारी और नगर परिषद की सार्वजनिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष में से प्रत्येक को COC में एक सदस्य नियुक्त करने का अधिकार होगा। COC को व्यय की समीक्षा करने और मेयर, अग्निशमन आयुक्त बोर्ड, नगर परिषद और जनता को कम से कम वार्षिक रूप से रिपोर्ट जारी करनी होगी।

मतदाताओं की स्वीकृति के बिना अध्यादेश में संशोधन करने का नगर परिषद का अधिकार केवल ऐसे संशोधनों तक सीमित होगा, जो अध्यादेश को लागू करने या उसका प्रशासन करने के लिए पूरी तरह आवश्यक हों; बिक्री कर की दर या अवधि में कोई बदलाव न करते हों; या अध्यादेश के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हों। परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी भी संशोधन के लिए 30 दिन की सार्वजनिक सूचना के बाद परिषद के दो-तिहाई सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होगी।

इस पहल के तहत प्रस्तावित आधा प्रतिशत बिक्री कर मतदाताओं की मंजूरी के लगभग 110 दिन बाद लागू किया जाएगा।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण

MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

इस विधेयक से शहर के बिक्री कर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी (10.25 से बढ़कर 10.75 प्रतिशत हो जाएगा)। यह विशेष रूप से Los Angeles अग्निशमन विभाग (LAFD) के संचालन और उसकी सेवाओं के समर्थन के लिए समर्पित एक विशेष कोष के लिए वार्षिक रूप से लगभग \$345 मिलियन राजस्व उत्पन्न करता है, जिसमें इसके मुख्य कार्य शामिल हैं: कर्मचारियों की भर्ती करना और उन्हें बनाए रखना; अग्निशमन वाहनों और उपकरणों की खरीदारी और रखरखाव करना; नए अग्निशमन केंद्रों का निर्माण और मौजूदा केंद्रों का उन्नयन; और, जंगल की आग से निपटने की तैयारी और झाड़ी प्रबंधन को बढ़ाना। राजस्व और व्यय की निगरानी एक नागरिक निगरानी समिति द्वारा की जाएगी और इसका वार्षिक लेखापरीक्षण किया जाएगा। इस विधेयक के तहत "प्रयासों के रखरखाव" की व्यवस्था लागू होगी, जिसके अनुसार शहर को LAFD को उस आधारभूत स्तर पर वित्त पोषित करना होगा जो विधेयक के लागू होने की तिथि से ठीक पहले के दस वित्तीय वर्षों के दौरान LAFD को दिए गए कुल विवेकाधीन वित्त पोषण के औसत प्रतिशत के बराबर हो। यदि इस स्तर की धनराशि उपलब्ध नहीं होती है, तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान कर नहीं लगाया जा सकता है।

जब भी आप 911 पर कॉल करते हैं, तो आप हमसे वहाँ मौजूद होने की उम्मीद करते हैं। इसलिए हम वैसा करते हैं।

Los Angeles अग्निशमन विभाग के अग्निशमकों और पैरामेडिक्स के रूप में, हमने इस शहर की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हम आपके सबसे बुरे दिनों में आपकी सहायता करते हैं: घर में आग लगना, दिल का दौरा पड़ना, कार दुर्घटनाएँ, खतरनाक पदार्थों से जुड़ी घटनाएँ, बचाव कार्य और तेजी से बिनाशकारी होती जा रही जंगल की आग। हर एक पल मायने रखता है और यही जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है।

लेकिन फिलहाल, दमकलकर्मियों, पैरामेडिक्स, उपकरणों और संसाधनों की कमी के कारण, आपातकाल के समय हमें पहुँचने में लगभग दोगुना समय लग रहा है। जब हमें देरी होती है, तो हम जानते हैं कि क्या हो सकता है। हमने आग को बेकाबू होते देखा है, उन मरीजों को बचाने के लिए संघर्ष किया है जिनकी जीवित रहने की संभावना हर गुजरते मिनट के साथ कम होती जा रही थी, और उन परिवारों के साथ खड़े रहे हैं जो जानते हैं कि तेज प्रतिक्रिया से परिणाम बदल सकता था।

यह देखने के लिए कि क्या LAFD (Los Angeles अग्निशमन विभाग) के अग्निशमक और पैरामेडिक्स समय पर आप तक पहुँच सकते हैं, FundLAFire.com पर जाएँ।

दशकों की उपेक्षा के बाद, हम LAFD की समस्याओं को ठीक करने के लिए सिटी हॉल पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए LAFD के अग्निशमकों और पैरामेडिक्स ने विधेयक FD लिखा: ताकि 911 आपातकालीन प्रतिक्रिया को तेज किया जा सके, जंगल की आग को रोका जा सके और हमारे समुदायों की रक्षा की जा सके।

911 आपातकालीन प्रतिक्रिया समय

LAFD की 911 पर आने वाली 80% से अधिक कॉलें चिकित्सा आपात स्थितियों से संबंधित होती हैं, जैसे कि दिल का दौरा, स्ट्रोक और कार दुर्घटनाएँ। किसी चिकित्सा आपात स्थिति में पैरामेडिक के पहुँचने का राष्ट्रीय मानक चार मिनट है; Los Angeles में, इसमें अक्सर लगभग दोगुना समय लगता है।

जब किसी व्यक्ति को दिल का दौरा आता है, तो अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति होने से पहले उनके पास केवल 4-6 मिनट का समय होता है। कर्मचारियों की कमी के कारण लगने वाले ये अतिरिक्त मिनट उन दुखद परिणामों को जन्म देते हैं जिनका बोझ हमें ढोना पड़ता है। इसीलिए हमने विधेयक FD लिखा।

विधेयक FD से LAFD को अधिक पैरामेडिक्स की भर्ती करने और 911 आपातकालीन प्रतिक्रिया समय को कम करने की अनुमति मिलेगी।

जंगल की आग से सुरक्षा

Los Angeles में जंगल की आग का खतरा अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर है। इस जोखिम को कम करने के लिए विधेयक FD अत्यंत महत्वपूर्ण है: इससे विभाग के झाड़ी सफाई और जंगल की आग की रोकथाम के कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण बढ़ाया जाएगा। साथ ही, पानी गिराने वाले हेलिकॉप्टरों को आधुनिक बनाया जाएगा, विशेष विमान खरीदे जाएंगे और इन आग की घटनाओं से निपटने के लिए आवश्यक अग्निशमकों की व्यवस्था की जाएगी।

2026 के शहर के लिए 1965 के LAFD संसाधन

1965 के बाद से LA की आबादी में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है; लेकिन अग्निशमकों या पैरामेडिक्स की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज शहर में पड़ोस के फायर स्टेशन की संख्या भी कम है, जिससे सालाना 500,000 सेवा अनुरोधों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना असंभव हो गया है।

विधेयक FD के तहत, LAFD कम से कम 1,000 अतिरिक्त अग्निशामकों और पैरामेडिक्स को भर्ती करने में सक्षम होगा ताकि जब आपको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब हम समय पर पहुँच सकें।

सभी धनराशियाँ LAFD को समर्पित हैं

विधेयक FD एक समर्पित, स्थानीय स्तर पर नियंत्रित वित्त पोषण का स्रोत प्रदान करता है, जिसके तहत 100% धनराशि LAFD की मुख्य सेवाओं पर खर्च की जानी अनिवार्य है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

यह धनराशि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने सभी संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं: बिना रुके एक आपात स्थिति से दूसरी आपात स्थिति में जा रहे हैं, शहर भर में गाड़ियाँ भेज रहे हैं क्योंकि सबसे नजदीकी गाड़ियाँ पहले से ही व्यस्त हैं और एम्बुलेंस की कमी हो रही है क्योंकि मांग कर्मचारियों की संख्या से कहीं अधिक है - और यह सब तब हो रहा है जब हमारे स्टेशन और उपकरण पुराने होते जा रहे हैं।

विधेयक FD के कर की धनराशि का इस्तेमाल कहाँ होता है?

कानून के अनुसार, इस धनराशि का 100% हिस्सा LAFD की मुख्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। इसमें योग्य अग्निशामकों और पैरामेडिक्स की भर्ती और उन्हें बनाए रखना, झाड़ियों की सफाई और जंगल की आग की रोकथाम के कार्यक्रमों को बढ़ाना और अग्निशामकों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना शामिल है। इसे एक समर्पित, सुरक्षित कोष में जमा किया जाता है और सिटी हॉल के राजनेताओं को कानूनी रूप से एक भी डॉलर कहीं और स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

विधेयक FD Los Angeles के अन्य कर विधेयकों से किस प्रकार अलग है?

क्योंकि विधेयक FD की संरचना अलग है। इससे एक अलग, सुरक्षित कोष का निर्माण होता है, जिसका उपयोग केवल LAFD के कर्मचारियों, वाहनों, उपकरणों और फायर स्टेशनों पर ही किया जा सकेगा। इसमें सार्वजनिक व्यय का खुलासा, स्वतंत्र वार्षिक लेखापरीक्षाएँ अनिवार्य हैं और इसकी निगरानी एक नागरिक निगरानी समिति द्वारा की जाती है। इस बात में कोई अस्पष्टता नहीं है कि पैसा कहाँ जाएगा, क्योंकि अध्यादेश इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है।

क्या विधेयक FD सिटी हॉल को LAFD के मौजूदा वित्तपोषण में कटौती करने से रोकता है?

विधेयक FD शहर के राजनेताओं और अधिकारियों को LAFD के लिए पहले से आवंटित किसी भी फंड को दूसरी जगह खर्च करने से रोकता है। विधेयक FD में प्रयास के रखरखाव की शर्त शामिल है: शहर को पिछले दस वर्षों के विवेकाधीन बजट में LAFD के औसत हिस्से के कम-से-कम बराबर स्तर पर LAFD के लिए वित्तपोषण जारी रखनी होगी। यदि शहर उस आधारभूत मानदंड को पूरा करने में विफल रहता है, तो उस वर्ष नए कर को वसूलने से उसे कानूनी रूप से रोक दिया जाता है। यह धनराशि मौजूदा LAFD संसाधनों की पूरक होनी चाहिए, न कि उनका प्रतिस्थापन।

विधेयक FD से करदाताओं को कितना खर्च उठाना पड़ेगा?

विधेयक FD एक आधा सेंट का विक्री कर है: \$10 की खरीदारी पर पाँच सेंट। उस पाँच सेंट के सिक्के का मतलब है कि जब आपका कोई प्रियजन 911 पर कॉल करेगा, तब मदद तेजी से पहुँचेगी।

विधेयक FD द्वारा LAFD के किन विशिष्ट कार्यक्रमों और उपकरणों को वित्त पोषित किया जाएगा?

911 आपातकालीन प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए अतिरिक्त अग्निशामकों और पैरामेडिक्स की भर्ती करना और झाड़ियों की सफाई और जंगल की आग की रोकथाम का विस्तार करना। 2025 में, जंगल की आग के कारण LA के करदाताओं को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे, उपकरणों, आपातकालीन प्रतिक्रिया और राजस्व के नुकसान के रूप में सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ; जंगल की आग को रोकने में उससे उबरने की तुलना में कहीं कम खर्च आता है। इस विधेयक से LAFD को राष्ट्रीय स्टाफिंग मानकों को पूरा करने, फायर स्टेशनों को अपग्रेड करने, अग्निरोगी कपड़े और रेडियो जैसे सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने और हमारी 911 संचार प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करने की अनुमति भी मिलती है।

विधेयक FD में कानून के तहत सीधे लागू होने वाली जवाबदेही की व्यवस्था है: स्वतंत्र लेखापरीक्षण, सार्वजनिक रिपोर्टिंग और नागरिक निगरानी, ताकि करदाताओं को पता रहे कि हर डॉलर कहाँ और कैसे खर्च किया जा रहा है। इसीलिए विधेयक FD को आपके स्थानीय अग्निशामकों और पैरामेडिक्स, आपातकालीन कक्ष के डॉक्टरों और छोटे व्यवसाय मालिकों का समर्थन प्राप्त है।

हर साल जब हम इंतज़ार करते हैं, तो इसका मतलब है एक और साल, जिसमें प्रतिक्रिया समय राष्ट्रीय मानक से लगभग दोगुना बना रहता है, और एक और साल, जिसमें अग्निशामकों और पैरामेडिक्स ऐसे शहर में सेवाएँ देने के लिए अपनी पूरी क्षमता से अधिक काम करते हैं, जिसकी आबादी और ज़रूरतें दशकों पहले ही उनकी क्षमता से कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। LA का विकास हुआ है। अब विकास करने की बारी LAFD की है।

Los Angeles में, यह सवाल नहीं है कि - आप अपने किसी प्रियजन के लिए 911 पर कॉल करेंगे या नहीं, बल्कि यह सवाल है कि - आप कब कॉल करेंगे।

जब आप विधेयक FD पर हाँ में मतदान करते हैं, तब आप ऐसी चीज में निवेश कर रहे होते हैं जिस पर हर निवासी निर्भर करता है, चाहे उन्हें आज इसका एहसास हो या नहीं, क्योंकि किसी दिन, जिस जीवन को हम बचाते हैं वह आपका हो सकता है।

LAFD के अग्निशामकों और पैरामेडिक्स, LAFD चीफ ऑफिसर्स एसोसिएशन, California के पेशेवर अग्निशामकों और अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक संघ के साथ मिलकर विधेयक FD पर हाँ में मतदान करें।

अधिक जानकारी के लिए, यहाँ जाएँ FundLAFire.com.

पहल अध्यादेश FD के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

DOUG COATES

अध्यक्ष

United Firefighters of LA City

JAIME MOORE

अग्निशामन प्रमुख

Los Angeles Fire Department

ERIC GONZALEZ

अग्निशामक

LAFD, Pacific Palisades

OMAR VELASQUEZ

अग्निशामक/पैरामेडिक

LAFD, Boyle Heights

LEON DUNN

कप्तान

LAFD, Skid Row

DAVID RILES

कप्तान

LAFD, Chatsworth

GERARDO PUGA

कप्तान

LAFD, Panorama City

MIRANDA MCOSKER

अग्निशामक

LAFD, Lincoln Heights

KIMBERLY HERRING

अग्निशामक/पैरामेडिक

LAFD, South Los Angeles

CHRIS MIYASATO

अग्निशामक

LAFD, Echo Park

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

विधेयक FD बिक्री कर में वृद्धि है। इससे बिक्री कर बढ़कर 10.75% हो जाएगा।

यदि विधेयक FD पारित हो जाता है, तो इससे सिटी ऑफ़ Los Angeles में बिक्री कर बढ़कर 10.75% हो जाएगा। बेघर लोगों के लिए (2024 में विधेयक A) और स्वास्थ्य देखभाल के लिए (जून में विधेयक ER) काउंटी बिक्री कर में वृद्धि के बाद यह दो वर्षों में बिक्री कर में तीसरी वृद्धि होगी। केवल विधेयक FD के कारण ही करदाताओं पर प्रति वर्ष लगभग \$345 मिलियन का बोझ पड़ेगा। L.A. की लगभग 4 मिलियन की आबादी से भाग देने पर, यह औसतन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अतिरिक्त बिक्री कर के रूप में \$86 से अधिक बैठता है, और चार सदस्यों वाले एक परिवार के लिए \$345 होता है। प्रत्येक वर्ष।

यह कर वृद्धि एक पहल अध्यादेश है, जिसका उद्देश्य कानूनी खामी का फायदा उठाना है।

राज्य के संविधान में कहा गया है कि विशेष कर, जिनके लिए धन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाता है, को पारित करने के लिए दो-तिहाई मतों – 66.67% – की आवश्यकता होती है। हालाँकि, अदालतों ने हाल ही में फैसला दिया है कि – अगर कोई विशेष कर नागरिकों की पहल के जरिए मतपत्र पर लाया जाता है, तो उसे पारित करने के लिए कम वोटों की जरूरत होती है – यानी केवल 50% से एक वोट अधिक। इस कर वृद्धि के समर्थकों ने इसे स्वयं लिखा, यह तय किया कि पैसा कहाँ जाएगा, हस्ताक्षर एकत्र किए और अब वे दो-तिहाई मतों की आवश्यकता के बिना बिक्री कर बढ़ा सकते हैं। यह सही नहीं है कि अदालतों ने कर बढ़ाना आसान बना दिया है।

यदि नवंबर में मतदाता प्रस्ताव 43 पारित कर देते हैं तो यह खामी दूर हो जाएगी।

पहल अध्यादेश FD एक विशेष कर है जो संविधान द्वारा आवश्यक 66.67% से कम वोटों के साथ पारित होने के लिए कानूनी खामी का फायदा उठा सकता है। यदि मतदाता नवंबर में प्रस्ताव 43 पारित कर देते हैं, तो यह खामी 1 जनवरी को बंद हो जाएगी और भविष्य में सभी विशेष करों को पारित करने के लिए दो-तिहाई मतों की आवश्यकता होगी।

शहर के नेताओं को करों में वृद्धि किए बिना अग्निशमन विभाग को पूरी तरह से वित्त पोषित करना चाहिए।

2025-26 के बजट वर्ष में, शहर का कुल सामान्य कोष राजस्व \$8.1 बिलियन से अधिक था। शहर की सबसे आवश्यक सेवाओं के खर्चों को पूरा करने के लिए बिक्री कर में वृद्धि की आवश्यकता क्यों है? बजट में ऐसी कौन सी चीज है जो अग्निशमन विभाग को पूरी तरह से वित्त पोषित करने से अधिक महत्वपूर्ण है?

बेघर लोगों की समस्या अग्निशमन विभाग के संसाधनों पर दबाव डालती है, बजट में इसका उल्लेख होना चाहिए।

2025-26 में, शहर ने बेघर लोगों की समस्या के समाधान के लिए सामान्य कोष से लगभग \$350 मिलियन खर्च किए। यह बेघरों के लिए शहर के कुल बजट का लगभग एक तिहाई हिस्सा था, जो लगभग \$1 बिलियन था। बेघरों के शिविरों से संबंधित आग लगने की घटनाओं की संख्या को देखते हुए, शहर करों में वृद्धि किए बिना, अग्निशमन विभाग को पूरी तरह से वित्त पोषित करने के लिए बेघरों के बजट का एक हिस्सा खर्च कर सकता है।

कन्वेंशन सेंटर के पुनर्निर्माण को अग्निशमन विभाग से अधिक प्राथमिकता क्यों दी जा रही है?

18 सितंबर 2025 को नगर परिषद को लिखे एक पत्र में, शहरी नियंत्रक ने चेतावनी दी कि कन्वेंशन सेंटर के \$2.7 बिलियन के अपग्रेड के लिए "अगले 28 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष सामान्य कोष से औसतन \$116 मिलियन की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी..." यह प्रति वर्ष \$116 मिलियन की राशि है जिसका उपयोग अग्निशमन की भर्ती के लिए किया जा सकता था।

बिक्री कर पहले से ही बहुत अधिक हैं, इसलिए इस पहल अध्यादेश FD पर 'नहीं' में मतदान करें।

आप कर के रूप में काफी भुगतान करते हैं। शहर पैसों की बर्बादी करता है। विधेयक FD पर 'नहीं' में मतदान करें।

पहल अध्यादेश FD के पक्ष में तर्क के खंडन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

HOWARD JARVIS TAXPAYERS ASSOCIATION

Jon Coupal

अध्यक्ष

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

पहल अध्यादेश FD पर 'नहीं' में मतदान करें। इससे बिक्री कर बढ़कर 10.75% हो जाएगा।

1 अक्टूबर से, सिटी ऑफ़ Los Angeles में बिक्री कर 10.25% हो जाएगा। यदि पहल अध्यादेश FD पारित हो जाता है, तो L.A. में बिक्री कर **10.75%** होगा। यह Los Angeles शहर के निवासियों के लिए दो वर्षों में तीसरी बार बिक्री कर में वृद्धि होगी, इससे पहले काउंटी द्वारा बेघरता (2024 में विधेयक A) और स्वास्थ्य देखभाल (जून में विधेयक ER) के लिए बिक्री कर में वृद्धि की गई थी।

पहल अध्यादेश FD में मतदाताओं द्वारा बंद किए जा सकने वाले संभावित कानूनी खामी का फायदा उठाने का प्रयास किया गया है।

California के संविधान के अनुसार, विशेष करों (जब धन किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाता है) को पारित होने के लिए दो-तिहाई मतदाताओं की मंजूरी आवश्यक है। हालांकि, 2017 से, राज्य की अदालतों ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव 13 संरक्षण में एक खामी निकाल ली है। न्यायाधीशों ने कुछ निर्धारित करों को कम वोटों के साथ पारित करने की अनुमति दी है, यदि उन्हें याचिकाओं पर हस्ताक्षर एकत्र करके मतपत्र पर लाया जाता है। नवंबर में होने वाले चुनाव में प्रस्ताव 43 के माध्यम से मतदाता इस खामी को दूर कर सकते हैं, जिससे विशेष करों को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत बहाल हो जाएगा। प्रस्ताव 43 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा। पहल अध्यादेश FD बिक्री कर वृद्धि दो-तिहाई मतदान की आवश्यकता से बचने के लिए कानूनी खामी का फायदा उठाएगी।

शहर के नेताओं को करों में वृद्धि किए बिना अग्निशमन विभाग को पूरी तरह से वित्त पोषित करना चाहिए।

अग्निशमन विभाग के लिए प्रतिवर्ष लगभग \$345 मिलियन जुटाने के लिए, पहल अध्यादेश FD **बिक्री कर में वृद्धि** है। 2025-26 के बजट वर्ष में, शहर का कुल सामान्य कोष राजस्व \$8.1 बिलियन से अधिक था। इस आवश्यक सेवा के लिए भुगतान करने का एकमात्र तरीका बिक्री कर में वृद्धि ही क्यों है? बजट में ऐसी कौन सी चीज है जो अग्निशमन विभाग को पूरी तरह से वित्त पोषित करने से अधिक महत्वपूर्ण है?

बेघर लोगों की समस्या अग्निशमन विभाग के संसाधनों पर दबाव डालती है, बजट में इसका उल्लेख होना चाहिए

2025-26 में, शहर ने बेघर लोगों की समस्या के समाधान के लिए सामान्य कोष से लगभग \$350 मिलियन खर्च किए। यह बेघरों के लिए शहर के कुल बजट का लगभग एक तिहाई हिस्सा था, जो लगभग \$1 बिलियन था। बेघरों के शिविरों से संबंधित आग लगने की घटनाओं की संख्या को देखते हुए, यह सवाल पूछना उचित है कि क्या बेघरों की समस्या पर खर्च होने वाले सामान्य कोष के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कर वृद्धि के बिना अग्निशमन विभाग पर खर्च किया जाना चाहिए।

शहर की खर्च संबंधी प्राथमिकताएं गैर-जिम्मेदाराना हैं

18 सितंबर 2025 को नगर परिषद को लिखे एक पत्र में, शहरी नियंत्रक ने कन्वेंशन सेंटर के \$2.7 बिलियन के अपग्रेड को मंजूरी देने के विरुद्ध चेतावनी दी। "यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो अनुमान है कि शहर को [वित्तीय वर्ष] 2029 से शुरू होने वाले अगले 28 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष सामान्य कोष से औसतन \$116 मिलियन की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। \$116 मिलियन लगभग 1,000 शहरी नौकरियों के बराबर है," नियंत्रक ने लिखा। उन्होंने अपने पत्र का समापन यह कहते हुए किया, "जब तक शहर अपने वित्त प्रबंधन के तरीके में मौलिक बदलाव करने में विफल रहता है और हमारे लगभग चार मिलियन निवासियों के लिए शहर की सेवाओं को अपर्याप्त रूप से वित्त पोषित करना जारी रखता है, तब तक हम इस समय इस परियोजना को शुरू करने की सिफारिश नहीं कर सकते।" नगर परिषद ने फिर भी इस खर्चीली परियोजना को मंजूरी दे दी। यह प्रति वर्ष \$116 मिलियन की राशि है जिसका उपयोग अग्निशमन की भर्ती के लिए किया जा सकता था।

बिक्री कर पहले से ही बहुत अधिक हैं, जो राज्य के कानून में निर्धारित सीमा से अधिक हैं

California के कानून के तहत स्थानीय बिक्री कर को राज्य के 7.25% बिक्री कर के अतिरिक्त कुल 2% तक सीमित किया गया है। हालांकि, राज्य के विधायक नियमित रूप से नए और उच्च बिक्री करों को सीमा से छूट देने के लिए नए कानून पारित करते रहते हैं। करदाताओं की यह महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है। California के निवासियों पर बिक्री कर का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो किसी तरह बड़ी हुई कीमतों का खर्च उठा रहे हैं।

पहल अध्यादेश FD पर 'नहीं' में मतदान करें

शहर की सरकार को उन पैसों को बर्बाद करने की छूट न दें जिन्हें सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकताओं पर खर्च किया जाना चाहिए। आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को पूरी तरह से वित्त पोषित करने से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं है। पहल अध्यादेश FD पर 'नहीं' में मतदान करें और शहर के नेताओं को अपनी प्राथमिकताओं को सही करने के लिए कहें।

पहल अध्यादेश FD के विरुद्ध तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

HOWARD JARVIS TAXPAYERS ASSOCIATION

Jon Coupal

अध्यक्ष

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

विरोधियों की एक बात सही है: सिटी हॉल को अग्निशमन विभाग को पूरी तरह से वित्त पोषित करना चाहिए। हम सहमत हैं। LAFD (Los Angeles अग्निशमन विभाग) के अग्निशमकों और पैरामेडिक्स के तौर पर, हम दशकों से सिटी हॉल में यह बात रखते आए हैं, चाहे उस दौरान किसी भी राजनीतिक विचारधारा के मेयर और परिषद रहे हों। ऐसा कभी नहीं होता है।

1960 के दशक से लेकर अब तक Los Angeles की आबादी में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है, यानी 1.4 मिलियन से अधिक निवासी बढ़ गए हैं, जबकि अग्निशमकों की संख्या में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है, और आज पड़ोस में स्थित अग्निशमन केंद्रों की संख्या उस समय की तुलना में कम है। यह कोई खराब बजट वर्ष नहीं है। इसका मतलब है कि सिटी हॉल ने 60 से अधिक वर्षों से LAFD को प्राथमिकता देने से इनकार कर दिया है। राजनीतिज्ञों के "अपनी प्राथमिकताओं को सही करने" का इंतजार करना एक ऐसी योजना है जिसे हम पहले ही आजमा चुके हैं। लोग इंतजार करते-करते मर गए।

इसीलिए LAFD के अग्निशमकों और पैरामेडिक्स ने विधेयक FD लिखा और इसीलिए इसे राजनेताओं ने नहीं बल्कि मतदाताओं ने मतपत्र पर रखा।

हम यह भी समझते हैं कि जीवन-यापन की लागत अधिक है। हम भी कर देते हैं। इसीलिए विधेयक FD आधा सेंट का है: \$10 की खरीदारी पर एक निकल। यदि विधेयक FD पारित भी हो जाता है, तब भी LA शहर में Long Beach, Santa Monica, Pasadena, Burbank और LA काउंटी के अधिकांश शहरों की तुलना में कर की दर कम होगी।

उस पाँच सेंट के सिक्के से ऐसी चीज खरीदी जा सकती है जो पीढ़ियों से किसी भी शहर के बजट में शामिल नहीं की गई है। कम से कम 1,000 अतिरिक्त अग्निशमक और पैरामेडिक्स, 911 पर त्वरित प्रतिक्रिया और जंगल की आग पर असल में रोकथाम: झाड़ियों की सफाई और पानी गिराने वाले आधुनिक हेलीकॉप्टर।

LAFD को आने वाली 80% से अधिक कॉल चिकित्सा आपात स्थिति से संबंधित होती हैं और अब एक पैरामेडिक को आप तक पहुँचने में चार मिनट के राष्ट्रीय मानक से लगभग दोगुना समय लगता है। दिल के दौरों में, मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाना 4 से 6 मिनट में शुरू हो जाता है। विरोधियों ने इसे ठीक करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

विरोधियों का कहना है कि शहर अन्य प्राथमिकताओं पर पैसा बर्बाद कर रहा है। हम फिर से सहमत हैं। इसीलिए विधेयक FD को हमने लिखा था - ताकि सिटी हॉल इसका एक पैसा भी न छू सके। कानून के तहत, 100% धनराशि एक सुरक्षित, समर्पित खाते में जमा होगी, जिसका इस्तेमाल केवल LAFD के अग्निशमकों और पैरामेडिक्स, उपकरणों और फायर स्टेशनों पर ही किया जा सकेगा। इसकी निगरानी स्वतंत्र वार्षिक लेखापरीक्षणों और सार्वजनिक खर्च संबंधी विवरणों के जरिए सुनिश्चित की जाएगी। और विधेयक FD में प्रयास के रखरखाव की गारंटी शामिल है: यदि सिटी हॉल बजट में LAFD के मौजूदा हिस्से में कटौती करता है, तो उसे यह कर वसूलने से कानूनी तौर पर रोक दिया जाएगा।

राजनेता इस पैसे को किसी और चीज में नहीं लगा सकते। यह शहर की अपनी बजट प्रक्रिया द्वारा अब तक दी गई जवाबदेही से कहीं अधिक है और यही वजह है कि विरोधियों को असली आपत्ति सिटी हॉल से है, आपके अग्निशमकों से नहीं।

विरोधियों का कहना है कि शहर के नेताओं को अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए। हम उन्हें 60 वर्षों से यही बताते आ रहे हैं। अब आपकी बारी है अपनी बात रखने की।

एक दिन आप निश्चित रूप से 911 पर कॉल करेंगे - आग लगने पर, दुर्घटना होने पर या आपके या आपके किसी प्रियजन से जुड़ी किसी चिकित्सा आपात स्थिति में। जब वह दिन आएगा, तब आपको हमारी तत्काल आवश्यकता होगी। और कुछ मायने नहीं रखता है। विधेयक FD हमें वहाँ तेजी से पहुँचने में मदद करता है।

विधेयक FD पर हाँ में मतदान करें।

पहल अध्यादेश FD के विरुद्ध तर्क के खंडन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

BRENT KNEISLER निरीक्षक LAFD Brush Clearance & Wildfire Prevention	LUCIA LIMA अग्निशामक LAFD, Watts
TANYA CRABBE अध्यक्ष Los Angeles Women in the Fire Service	JAVIER HONLES कप्तान LAFD, Encino
MARK MCLEAN अग्निशामक LAFD, San Pedro	GARY IZQUIERDO अग्निशामक/पैरामेडिक LAFD, Hollywood
ANGELO PITILLO अग्निशामक/पैरामेडिक LAFD, West Adams	KYLE CAWDREY अग्निशामक LAFD, Pico-Robertson
DAVID RILES कप्तान LAFD, Chatsworth	FERNANDO PIZANO अग्निशामक LAFD, North Hollywood

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

नगरपालिका की संहिता या नगरपालिका की संहिता की मौजूदा धाराओं में जोड़े गए नए प्रावधानों या भाषा को रेखांकित करके दिखाया गया है; नगरपालिका की संहिता या नगरपालिका की संहिता की मौजूदा धाराओं से हटाए गए शब्दों को कट कर दिखाया गया है।

पहल का अध्यादेश FD

LOS ANGELES अग्निशमन विभाग के लिए धन की व्यवस्था आधे प्रतिशत बिक्री कर के माध्यम से की जाएगी। पहल का अध्यादेश

प्रस्तावित अध्यादेश के तहत सिटी ऑफ़ Los Angeles में अतिरिक्त आधा प्रतिशत (0.5%) बिक्री कर लगाया जाएगा। कर से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग Los Angeles अग्निशमन विभाग (LAFD) को सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं: अग्निशमकों, पैरामेडिक्स और अन्य कर्मचारियों की भर्ती; वाहनों और उपकरणों की खरीद और रखरखाव; अग्निशमन केंद्रों और अन्य सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन; और झाड़ियों की सफाई। अध्यादेश में यह उल्लिखित किया गया है कि इसका उद्देश्य शहर द्वारा LAFD के लिए वर्तमान में किए जा रहे वित्तपोषण को प्रतिस्थापित करना नहीं, बल्कि उसमें अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान करना है; यह कि अतिरिक्त धनराशि को इसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक अलग खाते में रखा जाएगा; और यह कि यदि शहर LAFD के वित्तपोषण को ऐतिहासिक बजटीय स्तरों पर बनाए रखने में विफल रहती है, तो यह कर लागू नहीं किया जाएगा। इस अध्यादेश के तहत वार्षिक लेखा-परीक्षण अनिवार्य होगा और कर राजस्व के व्यय की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए एक नागरिक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस अध्यादेश के तहत, इस कर से प्राप्त धन से अग्निशमन केंद्र निर्माण और प्रतिस्थापन परियोजनाओं को परियोजना-श्रम समझौते के अधीन होना होगा और प्रचलित मजदूरी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

प्रस्तावित पहल अध्यादेश का पाठ

अध्यादेश संख्या _____

पहल याचिका द्वारा प्रस्तावित एक अध्यादेश, जिसके तहत Los Angeles नगरपालिका की संहिता के अध्याय II में अनुच्छेद 1.20 जोड़ा जाएगा और “Los Angeles अग्निशमन एवं आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया अध्यादेश” स्थापित किया जाएगा।

सिटी ऑफ़ LOS ANGELES के लोग निम्नानुसार आदेश देते हैं:

धारा 1. नाम

इस विधेयक को “Los Angeles अग्निशमन एवं आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया अध्यादेश” के नाम से जाना जाएगा।

धारा 2. Los Angeles नगरपालिका की संहिता के अध्याय II में अनुच्छेद 1.20 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

धारा 21.20.1 - शीर्षक।

इस लेख को “Los Angeles अग्निशमन एवं आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया अध्यादेश” (“अध्यादेश”) के नाम से जाना जाएगा। सिटी ऑफ़ Los Angeles को आगे से “शहर” कहा जाएगा। इस लेख के प्रयोजन के लिए, Los Angeles शहर अग्निशमन विभाग को आगे से “LAFD” के रूप में संदर्भित किया जाएगा। यह अध्यादेश शहर के निगमित क्षेत्र में लागू होगा।

धारा 21.20.2 - उद्देश्य।

इस अध्यादेश को अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाया गया है, और यह निर्देश दिया जाता है कि इसके प्रावधानों की व्याख्या उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाए:

- A. इस अध्यादेश में निर्धारित उद्देश्यों और उपयोगों के लिए LAFD के लिए फंड का एक पूरक स्रोत स्थापित करना।
- B. राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1.6 (धारा 7251 से शुरू) और राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1.7 की धारा 7285.91 के प्रावधानों के अनुसार खुदरा लेनदेन एवं उपयोग कर लगाने के लिए, जो सिटी ऑफ़ Los Angeles ("शहर") को इस कर अध्यादेश को अपनाने के लिए अधिकृत करता है, बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए चुनाव में इस उपाय पर मतदान करने वाले मतदाताओं का बहुमत कर लगाने को मंजूरी देने के लिए मतदान करे।
- C. यह अध्यादेश शहर के चार्टर के रूप में शहर के स्वशासन संबंधी अधिकार के तहत भी अपनाया जाता है (California का संविधान, अनुच्छेद XI, § 5), जो लागू कानून के अनुरूप स्थानीय उद्देश्यों के लिए नगरपालिका द्वारा कराधान की अनुमति देता है।
- D. खुदरा लेनदेन और उपयोग कर अध्यादेश को अपनाना जिसमें California राज्य के विक्री और उपयोग कर कानून के समान प्रावधान शामिल हों, बशर्ते कि वे प्रावधान राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1.6 में निहित आवश्यकताओं और सीमाओं के साथ असंगत न हों।
- E. ऐसा खुदरा लेनदेन एवं उपयोग कर अध्यादेश अपनाना, जो एक कर अधिरोपित करता हो और उसके लिए ऐसी व्यवस्था करता हो, जिसे California कर एवं शुल्क प्रशासन विभाग द्वारा शहर की ओर से इस प्रकार प्रशासित और संग्रहित किया जा सके कि वह व्यावहारिक रूप से यथासंभव पूरी तरह से California कर एवं शुल्क प्रशासन विभाग द्वारा California राज्य विक्री एवं उपयोग करों के प्रशासन और संग्रहण में अपनाई जाने वाली मौजूदा वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हो तथा उनसे न्यूनतम संभव विचलन की आवश्यकता हो।
- F. खुदरा लेनदेन और उपयोग कर अध्यादेश को इस प्रकार से लागू किया जा सके जो राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1.6 के प्रावधानों के साथ यथासंभव सुसंगत हो, लेनदेन और उपयोग करों के संग्रह की लागत को कम से कम करे, और साथ ही, इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत कराधान के अधीन व्यक्तियों पर अभिलेख-रखरखाव के बोझ को कम से कम करे।
- G. यह सुनिश्चित करना कि इस अध्यादेश द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग विशेष रूप से मतदाताओं द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और उपयोगों के लिए किया जाएगा, जो शहर के चार्टर, California के संविधान और लागू कानून के अनुरूप होगा, और यह कि ऐसे राजस्व वार्षिक स्वतंत्र लेखापरीक्षा और निरीक्षण के अधीन होंगे।

धारा 21.20.3 - राज्य के साथ अनुबंध।

प्रभावी होने की तिथि से पहले, शहर इस लेनदेन एवं उपयोग कर अध्यादेश के प्रशासन और संचालन से संबंधित सभी कार्य करने के लिए California कर एवं शुल्क प्रशासन विभाग के साथ एक अनुबंध करेगी; बशर्ते कि यदि शहर ने प्रभावी तिथि से पहले California कर एवं शुल्क प्रशासन विभाग के साथ अनुबंध नहीं किया है, तो भी वह ऐसा अनुबंध करेगी और ऐसी स्थिति में प्रभावी तिथि उस अनुबंध के निष्पादन के बाद आने वाली पहली कैलेंडर तिमाही का पहला दिन होगी।

धारा 21.20.4 - लेनदेन पर लगने वाले कर की दर।

मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति को खुदरा बेचने के विशेषाधिकार के लिए, शहर के निगमित क्षेत्र में सभी खुदरा विक्रेताओं पर इस अध्यादेश की प्रभावी तिथि से उक्त क्षेत्र में खुदरा बेची जाने वाली सभी मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति की बिक्री से किसी भी खुदरा विक्रेता द्वारा प्राप्त सकल प्रामियों पर 0.50 प्रतिशत (0.50%) की दर से कर लगाया जाता है।

धारा 21.20.5 - बिक्री का स्थान।

इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए, सभी खुदरा बिक्री खुदरा विक्रेता के व्यवसाय स्थल पर पूर्ण मानी जाएगी, जब तक कि बेची गई मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति खुदरा विक्रेता या उसके एजेंट द्वारा राज्य के बाहर के गंतव्य तक या राज्य के बाहर के गंतव्य तक वितरण के लिए किसी सामान्य वाहक को वितरित न कर दी जाए। ऐसी बिक्री से प्राप्त कुल राशि में डिलीवरी शुल्क शामिल होगा, जब ऐसे शुल्क राज्य बिक्री और उपयोग कर के अधीन हों, चाहे डिलीवरी किसी भी स्थान पर की गई हो। यदि किसी खुदरा विक्रेता का राज्य में कोई स्थायी व्यवसाय स्थल नहीं है या उसके एक से अधिक व्यवसाय स्थल हैं, तो वह स्थान या वे स्थान, जहाँ खुदरा बिक्री पूरी होती है, California कर एवं शुल्क प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित और अपनाए जाने वाले नियमों एवं विनियमों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

धारा 21.20.6 - उपयोग कर की दर।

इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से और उसके बाद उक्त क्षेत्र में भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग के लिए किसी भी खुदरा विक्रेता से खरीदी गई मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के शहर में भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग पर संपत्ति के विक्रय मूल्य के 0.50 प्रतिशत (0.50%) की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। बिक्री मूल्य में डिलीवरी शुल्क शामिल होगा, यदि ऐसे शुल्क राज्य बिक्री या उपयोग कर के अधीन हैं, चाहे डिलीवरी किसी भी स्थान पर की जाए।

धारा 21.20.7 - राज्य के कानून के प्रावधानों को अपनाना।

इस अध्यादेश में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा और राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1.6 के प्रावधानों के साथ असंगत होने की सीमा को छोड़कर, राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1 (धारा 6001 से शुरू) के सभी प्रावधानों को एतद्वारा अपनाया जाता है और इस अध्यादेश का हिस्सा बनाया जाता है मानो वे इसमें पूर्ण रूप से निर्धारित किए गए हों।

धारा 21.20.8 - राज्य के कानून को अपनाने और उपयोग करों के संग्रह पर सीमाएँ।

राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1 के प्रावधानों को अपनाते हुए:

- A. जहाँ कहीं भी California राज्य को कर लगाने वाली एजेंसी के रूप में नामित या संदर्भित किया गया हो, वहाँ इस शहर का नाम उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। हालाँकि, निम्नलिखित स्थितियों में प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा:
 1. "राज्य" शब्द का प्रयोग राज्य नियंत्रक, राज्य कोषाध्यक्ष, राज्य कोषागार या California राज्य के संविधान के शीर्षक के एक भाग के रूप में किया जाएगा;
 2. उस प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप, इस अध्यादेश के प्रशासन या संचालन से संबंधित कार्य करते समय, California कर एवं शुल्क प्रशासन विभाग द्वारा या उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बजाय, इस शहर या इसकी किसी एजेंसी, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा या उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा।

3. उन अनुभागों में, जिनमें California राज्य की बाहरी सीमाओं से संबंधित अनुभाग शामिल हैं, लेकिन आवश्यक रूप से इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जहां प्रतिस्थापन का परिणाम यह होगा:
 - a. कुछ मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति की बिक्री, भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग के संबंध में इस कर से छूट प्रदान करना, जो अन्यथा इस कर से छूट प्राप्त नहीं होगी, जबकि ऐसी बिक्री, भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग राजस्व एवं कराधान संहिता के भाग 1 के खंड 2 के प्रावधानों के तहत राज्य द्वारा कर के अधीन बनी रहती है, या;
 - b. कुछ ऐसी बिक्री, भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग से संबंधित मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति पर यह कर लगाया जाए, जिस पर उक्त संहिता के प्रावधान के तहत राज्य द्वारा कर नहीं लगाया जाएगा।
4. राजस्व एवं कराधान संहिता की धारा 6701, 6702 (उसके अंतिम वाक्य को छोड़कर), 6711, 6715, 6737, 6797 या 6828 के संदर्भ में।
- B. राजस्व एवं कराधान संहिता की धारा 6203 में "इस राज्य में व्यवसाय करने वाला खुदरा विक्रेता" वाक्यांश में और धारा 6203 में उस वाक्यांश की परिभाषा में "राज्य" शब्द के स्थान पर "शहर" शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
 1. "जिला में व्यवसाय करने वाला खुदरा विक्रेता" में कोई भी खुदरा विक्रेता शामिल होगा, जिसने पिछले कैलेंडर वर्ष या वर्तमान कैलेंडर वर्ष में, इस राज्य में या राज्य में वितरण के लिए खुदरा विक्रेता और खुदरा विक्रेता से संबंधित सभी व्यक्तियों द्वारा मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति की कुल संयुक्त बिक्री \$500,000.00 से अधिक की हो। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंधित माना जाएगा, यदि दोनों व्यक्ति संयुक्त राज्य संहिता के शीर्षक 26 की धारा 267(b) और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार एक-दूसरे से संबंधित हैं।

धारा 21.20.9 - परमित की आवश्यकता नहीं है।

यदि राजस्व एवं कराधान संहिता की धारा 6067 के तहत किसी खुदरा विक्रेता को विक्रेता का परमित जारी किया गया है, तो इस अध्यादेश के तहत अतिरिक्त लेनदेनकर्ता परमित की आवश्यकता नहीं होगी।

धारा 21.20.10 - छूट और अपवाद।

- A. लेनदेन कर और उपयोग कर की गणना के आधार से California राज्य द्वारा या किसी शहर, शहर एवं काउंटी, या काउंटी द्वारा ब्रैडली-बर्न्स यूनिफॉर्म लोकल सेल्स एंड यूज टैक्स कानून के तहत लगाए गए किसी भी बिक्री कर या उपयोग कर की राशि अथवा राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी लेनदेन या उपयोग कर की राशि को बाहर रखा जाएगा।
- B. निम्नलिखित सकल प्राप्तिओं को लेनदेन कर की राशि की गणना से छूट दी गई है:
 1. ईंधन या पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा, मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति की बिक्री, उन विमानों के संचालकों को की जाती है जिनका उपयोग या उपभोग मुख्य रूप से उस काउंटी के बाहर किया जाना है जिसमें बिक्री की जाती है और सीधे और विशेष रूप से ऐसे विमानों का उपयोग व्यक्तियों या संपत्ति के सामान्य वाहक के रूप में इस राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी विदेशी सरकार के कानूनों के अधिकार के तहत किया जाता है।
 2. ऐसी संपत्ति की बिक्री, जिसका उपयोग शहर के बाहर किया जाना है और जिसे बिक्री अनुबंध के अनुसार शहर के बाहर किसी स्थान पर भेजा जाता है, चाहे खुदरा विक्रेता या

उसके एजेंट द्वारा ऐसे स्थान तक पहुँचाकर, अथवा खुदरा विक्रेता द्वारा किसी ऐसे वाहक को सौंपकर जो उस स्थान पर माल प्राप्तकर्ता को भेजे। इस पराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, शहर के बाहर किसी स्थान पर डिलीवरी करना ही शर्त पूरी करना मानी जाएगी:

- a. वाहनों (वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर) के संबंध में, जो वाहन संहिता के खंड 3 के अध्याय 1 (धारा 4000 से शुरू) के अनुसार पंजीकरण के अधीन हैं, सार्वजनिक उपयोगिता संहिता की धारा 21411 के अनुपालन में लाइसेंस प्राप्त विमान, तथा वाहन संहिता के खंड 3.5 (धारा 9840 से शुरू) के तहत पंजीकृत दस्तावेज़रहित जलयानों के संबंध में, शहर के बाहर के पते पर पंजीकरण कराकर और क्रेता द्वारा झूठी गवाही के दंड के अधीन हस्ताक्षरित घोषणा द्वारा, जिसमें कहा गया हो कि उक्त पता वास्तव में उसका प्रमुख निवास स्थान है; और
 - b. वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में, सिटी के बाहर स्थित किसी व्यावसायिक स्थल पर पंजीकरण कराकर और क्रेता द्वारा झूठी गवाही के दंड के अधीन हस्ताक्षरित घोषणा द्वारा, जिसमें यह कहा गया हो कि वाहन उक्त पते से संचालित किया जाएगा।
3. यदि विक्रेता इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से पहले किए गए अनुबंध के अनुसार एक निश्चित मूल्य पर संपत्ति उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है, तो मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति की बिक्री।
 4. किसी मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति का पट्टा, जो ऐसी संपत्ति की निरंतर बिक्री है, किसी भी अवधि के लिए जिसके लिए पट्टेदार इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से पहले पट्टे द्वारा निर्धारित राशि के लिए संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए बाध्य है।
 5. इस उपधारा के पैराग्राफ (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए, मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति की बिक्री या पट्टा किसी भी अवधि के लिए किसी अनुबंध या पट्टे के अनुसार बाध्य नहीं माना जाएगा जिसके लिए अनुबंध या पट्टे के किसी भी पक्ष को नोटिस पर अनुबंध या पट्टे को समाप्त करने का बिना शर्त अधिकार है, चाहे ऐसे अधिकार का प्रयोग किया गया हो या नहीं।
- C. इस अध्यादेश द्वारा लगाए गए उपयोग कर से शहर में मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग को निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाती है:
1. जिसकी बिक्री से प्राप्त कुल आय पर किसी राज्य द्वारा प्रशासित लेनदेन और उपयोग कर अध्यादेश के तहत लेनदेन कर लगाया गया हो।
 2. ईंधन या पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, जो विमान के संचालकों द्वारा खरीदे गए हों और ऐसे संचालकों द्वारा राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी विदेशी सरकार के कानूनों के अनुसार जारी किए गए सार्वजनिक सुविधा और आवश्यकता के प्रमाणपत्र के तहत, किराए या पारिश्रमिक के लिए व्यक्तियों या संपत्ति के सामान्य वाहक के रूप में ऐसे विमान के उपयोग में सीधे और विशेष रूप से उपयोग या उपभोग किए जाते हों। यह छूट California राज्य के राजस्व एवं कराधान संहिता की धारा 6366 और 6366.1 में प्रदान की गई छूटों के अतिरिक्त है।
 3. यदि क्रेता इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से पहले किए गए अनुबंध के अनुसार एक निश्चित मूल्य पर संपत्ति खरीदने के लिए बाध्य है।
 4. यदि मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति पर कब्जा या उस पर किसी अधिकार अथवा शक्ति का प्रयोग ऐसे पट्टे के तहत होता है, जो उक्त संपत्ति की किसी निश्चित अवधि के लिए निरंतर खरीद

माना जाता है और जिसके लिए पट्टेदार इस अध्यादेश की प्रभावी तिथि से पहले किए गए पट्टे के अनुसार निर्धारित राशि का भुगतान करके संपत्ति को पट्टे पर लेने के लिए बाध्य है।

5. इस उपधारा के पैराग्राफ (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए, मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति का भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग, अथवा उस पर कब्जा या किसी अधिकार या शक्ति का प्रयोग, किसी अनुबंध या पट्टे के तहत उस अवधि के लिए बाध्यकारी नहीं माना जाएगा, जिसके लिए अनुबंध या पट्टे का कोई भी पक्ष, सूचना देकर, अनुबंध या पट्टे को बिना किसी शर्त के समाप्त करने का अधिकार रखता हो, चाहे उस अधिकार का प्रयोग किया गया हो या नहीं।
 6. जैसा कि पैराग्राफ (7) में उल्लिखित है, उसे छोड़कर, शहर में व्यवसाय करने वाले किसी खुदरा विक्रेता को मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के क्रेता से उपयोग कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि खुदरा विक्रेता उस संपत्ति को शहर में भेजता या पहुँचाता न हो या संपत्ति की बिक्री करने में शहर के भीतर भाग नहीं लेता हो, जिसमें शहर में खुदरा विक्रेता के किसी व्यवसाय स्थल पर या खुदरा विक्रेता के अधिकार के अधीन शहर में किसी प्रतिनिधि, एजेंट, प्रचारक, विक्रय प्रतिनिधि, सहायक कंपनी या व्यक्ति के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऑर्डर माँगना या प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
 7. "शहर में व्यवसाय करने वाला खुदरा विक्रेता" में निम्नलिखित में से किसी भी वस्तु का खुदरा विक्रेता भी शामिल होगा: वाहन संहिता के खंड 3 के अध्याय 1 (धारा 4000 से शुरू) के अनुसार पंजीकरण के अधीन वाहन, सार्वजनिक उपयोगिता संहिता की धारा 21411 के अनुपालन में लाइसेंस प्राप्त विमान, या वाहन संहिता के खंड 3.5 (धारा 9840 से शुरू) के तहत पंजीकृत अनधिकृत पोत। उस खुदरा विक्रेता को ऐसे किसी भी खरीदार से उपयोग कर वसूलना होगा जो शहर में किसी पते पर वाहन, पोत या विमान का पंजीकरण या लाइसेंस कराता है।
- D. इस अध्यादेश के अंतर्गत उपयोग कर के अधीन कोई भी व्यक्ति, राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1.6 के अनुसार लेनदेन कर लगाने वाले जिले या लेनदेन कर के लिए उत्तरदायी खुदरा विक्रेता को भुगतान किए गए किसी भी लेनदेन कर या लेनदेन कर की प्रतिपूर्ति को उस कर के विरुद्ध क्रेडिट कर सकता है, जो उस संपत्ति की बिक्री से संबंधित है जिसका भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग उपयोग कर के अधीन है।

धारा 21.20.11 - संशोधन।

इस अध्यादेश के प्रभावी होने की तिथि के बाद राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1 में विक्रय एवं उपयोग करों से संबंधित सभी संशोधन, जो राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1.6 और भाग 1.7 के साथ असंगत नहीं हैं, और राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1.6 और भाग 1.7 में किए गए सभी संशोधन स्वतः ही इस अध्यादेश का हिस्सा बन जाएंगे, बशर्ते कि ऐसा कोई संशोधन इस अध्यादेश द्वारा लगाए गए कर की दर को प्रभावित न करे।

धारा 21.20.12 - संग्रह पर रोक लगाना निषिद्ध है।

किसी भी न्यायालय में राज्य या शहर के विरुद्ध, या राज्य या शहर के किसी अधिकारी के विरुद्ध, इस अध्यादेश या राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1.6 के तहत किसी भी कर या कर की किसी भी राशि के संग्रह को रोकने या उस पर रोक लगाने के लिए न तो कोई निषेधाज्ञा या परमादेश जारी किया जाएगा और न ही अन्य कानूनी या न्यायसंगत प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

धारा 21.20.13 – कर का उद्देश्य और उपयोग।

- A. इस अध्यादेश द्वारा अधिकृत विशेष कर का उद्देश्य LAFD के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विशेष कर से उत्पन्न सभी राजस्व का उपयोग LAFD के मुख्य कार्यों को समर्थन देने वाले उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित प्राथमिकताएँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: शहर की अग्नि सुरक्षा और बचाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अग्निशमकों और पैरामेडिक्स तथा LAFD के असैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उन्हें बनाए रखना; अग्निशमन और बचाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वाहनों, जैसे दमकल ट्रक, दमकल इंजन, एम्बुलेंस, विमान और हेलीकॉप्टर की खरीदारी करना और उनका रखरखाव करना; अग्निशमन और बचाव सेवाओं के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीदारी करना और उनका रखरखाव रखना; सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अग्निशमन केंद्रों और EMS सुविधाओं को बदलना, उन्नत करना और उनका निर्माण करना; आपातकालीन संचार प्रणालियों की खरीदारी करना और उनका रखरखाव रखना; तथा झाड़ी सफाई और जंगल की आग से निपटने की तैयारी में सुधार करना।
- B. इस अध्यादेश के अंतर्गत लगाए गए कर से प्राप्त सभी धनराशि एक विशेष फंड या खाते में जमा की जाएगी और इसका उपयोग केवल इस अध्यादेश द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। अप्रयुक्त शेष राशि फंड या खाते में बनी रहेगी और पूरी तरह से खर्च होने तक आगामी वित्तीय वर्षों में अधिकृत उपयोगों के लिए उपलब्ध रहेगी।

धारा 21.20.14 - नागरिक निगरानी समिति।

- A. समिति का गठन किया गया। इस अध्यादेश के तहत जमा किए गए राजस्व के व्यय की निगरानी के लिए शहर में एतद्वारा एक नागरिक निगरानी समिति का गठन किया जाता है और यह समिति जनता, अग्निशमन आयुक्त बोर्ड, नगर परिषद और मेयर को रिपोर्ट प्रदान करेगी।
- B. सदस्यों का चयन। समिति में पांच सदस्य होंगे। समिति के एक सदस्य की नियुक्ति निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रत्येक द्वारा की जाएगी: (1) मेयर, (2) LAFD अग्निशमन प्रमुख, (3) शहर के नियंत्रक, (4) शहर के प्रशासनिक अधिकारी और (5) नगर परिषद जन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष। नागरिक निगरानी समिति के सदस्य शहर के निवासी होने चाहिए और वे शहर के वर्तमान कर्मचारी, अधिकारी, ठेकेदार या विक्रेता नहीं होने चाहिए। पूर्व कर्मचारी, अधिकारी या विक्रेता समिति में सेवा देने के पात्र होंगे, बशर्ते कि शहरी वकील द्वारा निर्धारित हितों का कोई टकराव न हो।

पहली बार नियुक्त की गई समिति के सदस्यों में से, मेयर LAFD अग्निशमन प्रमुख, शहर के नियंत्रक, शहर के प्रशासनिक अधिकारी और नगर परिषद जन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सदस्यों को तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। कोई भी सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक समय तक सेवा नहीं दे सकता है।

- C. उद्देश्य एवं न्याय सीमा। नागरिक निगरानी समिति इस अध्यादेश के अनुसार जमा किए गए राजस्व के व्यय की समीक्षा केवल यह निर्धारित करने के लिए करेगी कि क्या ऐसे धन का उपयोग धारा 21.20.13 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया है और कम से कम वार्षिक रूप से मेयर, नगर परिषद, अग्निशमन आयुक्त बोर्ड और जनता को अपने निष्कर्षों पर रिपोर्ट जारी करेगी। समिति के सदस्य स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किए गए वार्षिक वित्तीय या प्रदर्शन लेखा-परीक्षणों की समीक्षा भी कर सकते हैं। समिति अपनी निगरानी को विशेष रूप से इस अध्यादेश के तहत उत्पन्न राजस्व तक ही सीमित रखेगी। अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व नागरिक निगरानी समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा।

पर्यवेक्षण प्रक्रिया की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, समिति के सदस्य अनुबंध, परियोजना प्रबंधन, या LAFD प्रबंधन या वित्तपोषण के किसी अन्य पहलू में औपचारिक भूमिका नहीं निभाएंगे।

समिति को व्यय प्राथमिकताओं, समय-सारणी, परियोजना विवरण, वित्तपोषण स्रोत निर्णयों, वित्तपोषण योजनाओं या कर दर अनुमानों पर निर्णय लेने का दायित्व नहीं सौंपा गया है। यह समिति केवल सलाहकार की भूमिका में ही कार्य करेगी। इस अध्यादेश के अनुसार समिति को सौंपी गई न्याय सीमा के अलावा कोई अन्य न्याय सीमा नहीं होगी।

मेयर या उनके द्वारा नामित व्यक्ति समिति को अपने दायित्वों को पूरा करने या अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करने के लिए आवश्यक कोई भी उचित प्रशासनिक या तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

- D. बैठकें। नागरिक निगरानी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तीन बार (या अनुमोदित या संशोधित उपनियमों में अन्यथा निर्धारित अनुसार) बैठक करेगी, जिसकी विशिष्ट बैठक की तिथियां समिति के सदस्यों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। नागरिक निगरानी समिति की बैठकें ब्राउन अधिनियम के अधीन हैं। बैठकों का एजेंडा तैयार किया जाएगा और उनमें नागरिक भाग ले सकेंगे। समिति की कार्यवाही का विवरण और रिपोर्ट सार्वजनिक अभिलेख का हिस्सा हैं और इन्हें शहर द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। आवश्यकतानुसार समिति द्वारा अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। समिति के सभी सदस्यों को अपनी पहली नियमित समिति बैठक में भाग लेने से पहले प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण सत्र में भाग लेना होगा।

समिति के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी नियमित बैठकों में उपस्थित रहें। लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहने पर समिति के सदस्य को नियुक्त करने वाले शहर के अधिकारी के विवेकानुसार समिति से हटाया जा सकता है।

- E. समिति के संचालन और वित्तपोषण। नागरिक निगरानी समिति समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए सदस्यों का चयन करेगी। मेयर या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा एक शहरी कर्मचारी को सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सचिव प्रत्येक बैठक में एजेंडा तैयार करने, उसे प्रकाशित करने और वितरित करने तथा बैठक का विवरण लिखने के लिए जिम्मेदार होगा। अनुमोदित कार्यवृत्त सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। समिति के निर्णयों, दृष्टिकोणों, निष्कर्षों और प्रक्रियाओं के लिए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से मतदान आवश्यक होगा। किसी भी बैठक को आधिकारिक रूप देने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या तीन होगी। नागरिक निगरानी समिति के चल रहे खर्चों का भुगतान इस अध्यादेश द्वारा अधिकृत विशेष कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग करके किया जाएगा।
- F. रिक्तियाँ। समिति के सदस्यों को बार-बार अनुपस्थित रहने (इस अनुभाग के उपधारा डी देखें), कदाचार करने, इस अनुभाग में निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने में विफल रहने या सदस्य के कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थता या अनिच्छा के कारण, उन्हें नियुक्त करने वाले शहर के अधिकारी द्वारा समिति से हटाया जा सकता है। किसी के पद से हटाए जाने, इस्तीफा देने या मृत्यु होने की स्थिति में, जिस शहर के अधिकारी ने उस समिति सदस्य को नियुक्त किया था जिसकी सीट खाली हो गई है, वह रिक्त सीट को भरने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा।
- G. विविध। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में विशेष रूप से उल्लिखित मदों को छोड़कर, समिति बहुमत से मतदान करके अपनी स्वयं की मानक प्रक्रियाएँ और उपनियम तैयार कर सकती है और अपना सकती है। सभी नागरिक निगरानी समिति की प्रक्रियाएँ और उपनियम नगर परिषद और मेयर

द्वारा समीक्षा और अनुमोदन के अधीन रहेंगे। नागरिक निगरानी समिति की रिपोर्ट और लेखा-परीक्षण नगर परिषद और मेयर की समीक्षा और अनुमोदन के अधीन होती हैं।

- H. अवधि। नागरिक निगरानी समिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि मेयर की मंजूरी के अधीन, नगर परिषद द्वारा समिति को भंग करने के लिए मतदान नहीं हो जाता। इस अध्यादेश के लागू होने के पहले 10 वर्षों के भीतर इस संगठन को भंग नहीं किया जा सकता है।

धारा 21.20.15 - राजकोषीय जवाबदेही संबंधी प्रावधान।

इस विशेष प्रयोजन राजस्व स्रोत से प्राप्त राशि और उसके उपयोग के तरीके को एक स्वतंत्र प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार द्वारा शहर के वित्तीय संचालन के वार्षिक लेखापरीक्षण में शामिल किया जाएगा। इस वार्षिक लेखापरीक्षण का खर्च इस अध्यादेश द्वारा अधिकृत विशेष कर से प्राप्त राजस्व से वहन किया जाएगा।

धारा 21.20.16 - कर की अवधि।

इस अध्यादेश द्वारा लगाए गए कर को वसूलने का अधिकार मतदाताओं द्वारा निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

धारा 21.20.17 - विच्छेदनीयता।

यदि इस अध्यादेश का कोई प्रावधान, धारा, उपधारा, पैराग्राफ, वाक्य, वाक्यांश या शब्द सक्षम न्याय सीमा के किसी अंतिम निर्णय द्वारा या किसी पूर्वव्यापी विधान द्वारा अमान्य, अवैध या असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तो ऐसी असंवैधानिकता, अवैधता या अमान्यता केवल ऐसे प्रावधान, धारा, उपधारा, पैराग्राफ, वाक्य, वाक्यांश या शब्द को ही प्रभावित करेगी और शेष प्रावधानों, धाराओं, उपधाराओं, पैराग्राफों, वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को या किसी अन्य व्यक्ति या परिस्थिति पर इस अध्यादेश के लागू होने को प्रभावित या बाधित नहीं करेगी, और इस उद्देश्य के लिए, इसके प्रावधान विच्छेदनीय हैं। एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि शहर के लोगों का आशय यह है कि यदि ऐसा असंवैधानिक, अवैध या अमान्य प्रावधान, धारा, उपधारा, पैराग्राफ, वाक्य, वाक्यांश या शब्द इसमें शामिल न किया गया होता, तब भी यह अध्यादेश अपनाया गया होता।

धारा 21.20.18 - संशोधन।

नगर परिषद को इस अध्यादेश में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो। किसी संशोधन को जनता के मतदान के बिना तभी अधिनियमित किया जा सकता है जब: (1) अध्यादेश को लागू करना या प्रशासित करना बेहद आवश्यक हो; (2) इससे कर की राशि, दर या अवधि में परिवर्तन नहीं होता हो; (3) यह इस अध्यादेश के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता हो; और (4) इसे कम से कम 30 दिनों की सार्वजनिक सूचना और समीक्षा के बाद नगर परिषद के सभी सदस्यों के दो-तिहाई मतों द्वारा अनुमोदित किया जाता हो।

धारा 21.20.19 - वित्तीय प्रतिबद्धता का निर्वाह (MOE)।

- A. शहर के लोगों का आशय है कि इस अध्यादेश के तहत जमा किए गए राजस्व का उपयोग LAFD सेवाओं के लिए शहर द्वारा किए जा रहे वर्तमान व्ययों के स्थान पर करने के बजाय उन्हें बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, शहर को इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से ठीक पहले के दस वित्तीय वर्षों के दौरान LAFD को कुल विवेकाधीन बजट निधि का औसत प्रतिशत कम से कम बनाए रखना होगा ("संदर्भ अवधि")। संदर्भ अवधि इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से निर्धारित की जाएगी और बाद के वर्षों में इसकी पुनर्गणना घटाकर नहीं की जाएगी।

- B. यदि किसी भी समय, शहर इस धारा द्वारा प्रदान किए गए वित्त पोषण के स्तर को पूरा करने के लिए बजट बनाने में विफल रहता है, तो शहर उस वित्तीय वर्ष के दौरान इस अध्यादेश के अनुसार स्थापित विशेष कर नहीं लगाएगा और न ही वसूल करेगा।
- C. पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, शहर बजट प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वित्तीय प्रतिबद्धता के निर्वहन की शर्तों के अनुपालन को वार्षिक रूप से प्रमाणित करेगा, और ऐसा प्रमाण पत्र जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- D. इस धारा की कोई भी बात शहर को संदर्भ अवधि के औसत प्रतिशत से अधिक LAFD के लिए सामान्य निधि से सहायता राशि बढ़ाने से नहीं रोकेगी।

धारा 21.20.20 – नए निर्माण और स्थानीय भर्ती के अवसर।

- A. इस अध्यादेश से वित्तपोषण प्राप्त करने वाले सभी नए अग्निशमन केंद्रों के निर्माण और प्रतिस्थापन अग्निशमन केंद्रों की परियोजनाएँ सिटी ऑफ़ Los Angeles के लोक निर्माण विभाग के प्रभावी परियोजना श्रम समझौते ("लोक निर्माण विभाग PLA (परियोजना श्रम समझौता)") के अधीन होंगी। नगर परिषद अपने विवेकानुसार, इस अध्यादेश से वित्तपोषण प्राप्त करने वाली अन्य निर्माण, पुनर्वास और प्रतिस्थापन परियोजनाओं को लोक निर्माण विभाग PLA के अंतर्गत शामिल कर सकती है।
- B. यदि नगर परिषद द्वारा किसी विशिष्ट परियोजना श्रम समझौते ("PLA") को उन अग्निशमन सुविधाओं के निर्माण, पुनर्वास और प्रतिस्थापन परियोजनाओं पर लागू करने के लिए अनुमोदित किया जाता है जिन्हें अध्यादेश से धन प्राप्त होता है, तो ऐसी अग्निशमन सुविधाओं की परियोजनाओं पर निर्माण, पुनर्वास और प्रतिस्थापन कार्य करने वाले ठेकेदारों को लोक निर्माण विभाग के PLA के बजाय उस विशिष्ट PLA का पालन करना होगा।
- C. इस अध्यादेश से वित्त पोषण प्राप्त करने वाली किसी भी अग्निशमन केंद्र निर्माण, पुनर्वास और प्रतिस्थापन परियोजना को सार्वजनिक कार्य माना जाएगा जिसके लिए California की श्रम संहिता के अनुरूप प्रचलित मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
- D. इस अध्यादेश से वित्त पोषण प्राप्त करने वाली LAFD की परियोजनाओं के लिए, नगर परिषद Los Angeles शहर के स्थानीय निवासियों के लिए निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक कार्यबल विकास कार्यक्रम स्थापित करने की आवश्यकता निर्धारित कर सकती है। ऐसे किसी भी कार्यक्रम में प्रशिक्षुता और पूर्व-प्रशिक्षुता कार्यक्रमों, रोजगार मेलों तथा कार्यबल विकास की अन्य पहलों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि LAFD की परियोजनाएँ शहर के निवासियों के लिए मध्यम वर्ग के अच्छे रोजगार सृजित करें।

धारा 3. परस्पर विरोधी विधेयक।

यह विधेयक लेनदेन और उपयोग करों को नियंत्रित करने वाले राज्य कानून की सीमाओं के भीतर संचालित होने के लिए बनाया गया है। यदि यह विधेयक और उसी मतपत्र पर प्रस्तुत किया गया शहर का कोई अन्य विधेयक, दोनों लेनदेन एवं उपयोग कर अधिरोपित करते हैं, और ऐसे विधेयकों को संयुक्त रूप से अपनाए जाने पर शहर के भीतर लागू कुल जिला कर दर California राजस्व एवं कराधान संहिता की धारा 7251.1 या उसके स्थान पर लागू किसी उत्तरवर्ती विधान द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाएगी, तो इस सीमा तक इस उपाय के प्रावधानों को ऐसे अन्य विधेयक(विधेयकों) के साथ परस्पर विरोधी माना जाएगा।

California की संविधान के अनुच्छेद 11, धारा 10(b) के अनुसार, यदि यह विधेयक और कोई परस्पर विरोधी विधेयक एक ही चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, तो अधिक संख्या में सकारात्मक वोट प्राप्त करने वाला विधेयक परस्पर विरोधी भागों के संबंध में सभी मामलों में प्रभावी होगा। यदि इस विधेयक

को पक्ष में बहुमत प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसे किसी अन्य विरोधी विधेयक की तुलना में कम मत प्राप्त होते हैं, तो यह विधेयक उस सीमा तक प्रभावी होगा, जहाँ तक यह वैधानिक सीमा से अधिक हुए बिना या प्रभावी विधेयक के साथ विरोध उत्पन्न किए बिना प्रभावी हो सकता है।

धारा 4. प्रभावी तिथि; लागू होने की तिथि।

यह अध्यादेश नगर परिषद या अन्य शासी निकाय द्वारा यह प्रमाणित किए जाने के दस (10) दिन बाद प्रभावी होगा कि इस अध्यादेश को इस अध्यादेश को लागू करने वाले उपाय के चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस अध्यादेश के तहत लगाए गए लेनदेन और उपयोग कर, इस अध्यादेश को अपनाने के एक सौ दस (110) दिनों से अधिक समय बाद शुरू होने वाली पहली कैलेंडर तिमाही के पहले दिन से लागू होंगे ("प्रभावी तिथि") या जैसा कि कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किया गया है।

धारा 5. कानूनी बचाव।

यदि मतदाताओं के साधारण बहुमत से इस अध्यादेश को अनुमोदित किया जाता है, और उसके बाद सक्षम न्याय सीमा में इसे चुनौती दी जाती है, तो शहर इस अध्यादेश का बचाव सक्षम न्याय सीमा में करेगा। शहर के लोग मतदाताओं के साधारण बहुमत से इस अध्यादेश को अनुमोदित करके यह घोषणा करते हैं कि इस अध्यादेश के प्रस्तावक (प्रस्तावकों) का इस अध्यादेश की वैधता या कार्यान्वयन को संवैधानिक या वैधानिक चुनौतियों से बचाने में प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत हित है। यदि नगर इस अध्यादेश का बचाव करने में विफल रहता है, या नगर किसी भी सक्षम न्याय सीमा में इस अध्यादेश के विरुद्ध किसी प्रतिकूल निर्णय के पूर्ण या आंशिक रूप से अपील करने में विफल रहता है, तो इस अध्यादेश के प्रस्तावक (प्रस्तावकों) को किसी भी सक्षम न्याय सीमा में इस अध्यादेश की वैधता और कार्यान्वयन का बचाव करके अपने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत हित का दावा करने का अधिकार होगा और इस अध्यादेश के माध्यम से शहर की जनता द्वारा उन्हें नगर की जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया जाएगा, और शहर प्रस्तावक (प्रस्तावकों) को वकील के उचित शुल्क की क्षतिपूर्ति करेगा।

धारा 6. संहिताकरण; क्रमांकन; गैर-महत्वपूर्ण संपादन।

यदि इस अध्यादेश को मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो यह अध्यादेश सिटी ऑफ़ Los Angeles के नगरपालिका की संहिता में संहिताबद्ध किया जाएगा। इस अध्यादेश में निर्धारित अध्याय, अनुच्छेद और धारा की संख्याएँ केवल संदर्भ के लिए हैं और शहरी क्लर्क को इस अध्यादेश को प्रभावी बनाने के लिए, इसकी विषयवस्तु में कोई परिवर्तन किए बिना, वैकल्पिक अध्याय, अनुच्छेद और धारा की संख्याएँ निर्धारित करने तथा आवश्यकतानुसार गैर-मूलभूत स्वरूपण, मुद्रण संबंधी और क्रॉस-रेफरेंस संबंधी सुधार करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

मतदाता अधिकार पत्र

आपके पास निम्नलिखित अधिकार हैं

1. यदि आप पंजीकृत मतदाता हैं, तो मतदान करने का अधिकार। आप मतदान करने के लिए पात्र हैं यदि आप:
 - ★ कैलिफोर्निया में रह रहे अमरीका के निवासी हैं
 - ★ कम-से-कम 18 वर्ष के हैं
 - ★ वहाँ पंजीकृत हैं जहाँ आप वर्तमान में रहते हैं
 - ★ वर्तमान में एक अपराध की सजा के लिए एक राज्य या संघीय जेल में अवधि की सजा नहीं काट रहे हैं
 - ★ आपको वर्तमान में किसी अदालत द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया गया हो
2. यदि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, तो मतदान करने का अधिकार, चाहे ही आपका नाम सूची में नहीं है। आप अनंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करेंगे। आपकी वोट को गिना जाएगा यदि चुनाव अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आप मतदान करने के लिए पात्र हैं।
3. मतदान करने का अधिकार यदि आप मतदान समाप्त हो जाने के बाद भी कतर में हों।
4. गुप्त मत देने का अधिकार किसी के द्वारा आपको परेशान किए बिना या आपको यह बताए बिना कि मतदान कैसे करना है।
5. यदि आपने कोई गलती कर दी है, तो नया मतपत्र प्राप्त करने का अधिकार, यदि आपने पहले ही अपना मतपत्र डाल न दिया हो। आप निम्नलिखित कर सकते हैं:
मतदान केन्द्र में किसी चुनाव अधिकारी से नया मतपत्र देने के लिए कहना
अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र को किसी चुनाव कार्यालय में, या अपने मतदान केन्द्र पर नए डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र से बदलना, या
एक अनंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करना।
6. अपना मतदान करने के लिए अपने द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आपके नियोक्ता या यूनियन के प्रतिनिधि के सिवाए।
7. अपना भरा हुआ डाक द्वारा-मतदान मतपत्र कैलिफोर्निया में किसी भी मतदान स्थल पर छोड़ने का अधिकार।
8. अंग्रेज़ी के सिवाए किसी अन्य भाषा में चुनाव सामग्री प्राप्त करने का अधिकार यदि आपके मतदान क्षेत्र में पर्याप्त व्यक्ति वह भाषा बोलते हैं।
9. चुनाव अधिकारियों से चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछने और चुनाव प्रक्रिया देखने का अधिकार। आप जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, यदि वह आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, तो उसे उत्तर के लिए आपको सही व्यक्ति के पास अवश्य भेजना चाहिए। यदि आप रुकावट डालते हैं, तो वह आपको उत्तर देना बंद कर सकता है।
10. किसी अवैध या धोखाधड़ी वाली चुनाव गतिविधि के बारे में किसी चुनाव अधिकारी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय को सूचित करने का अधिकार

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी भी अधिकारों से मना किया गया है, तो (800) 345-VOTE (8683) पर राजकीय सचिव की गुप्त एवं शुल्क मुक्त मतदाता हॉटलाइन पर कॉल करें।

 वेब पर www.sos.ca.gov

 फोन द्वारा (800) 345-VOTE (8683)

 ई-मेल द्वारा elections@sos.ca.gov

मतदाता अभिगम्यता जानकारी



अभिगम्यता और अन्य सहायक उपकरण
(800) 815-2666, विकल्प 4 (LA काउंटी हॉटलाइन)

LA काउंटी मतदान केंद्र व्हीलचेयर अभिगम्यता और/या कर्वसाइड मतदान प्रदान करते हैं। मतदान केंद्र के अंदर आपको अपने मतदान के अनुभव में सहायता के लिए उपकरण मिल सकते हैं।



ऑडियो रिकॉर्डिंग (213) 978-0444

आपकी सहायता के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ऑडियो उपकरण उपलब्ध हैं।

इस पुस्तिका में शामिल विधेयकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग अंग्रेजी, अर्मेनियाई, चीनी, फ़ारसी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियाई, रूसी, स्पेनिश, तागालोग, थाई और वियतनामी में उपलब्ध हैं। ये रिकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट clerk.lacity.gov/elections/multilingual-services पर और निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं:

Braille Institute Library
741 North Vermont Avenue
Los Angeles, CA 90029
(323) 660-3880

Central Library
630 West 5th Street
Los Angeles, CA 90071
(213) 228-7000

ऑडियो रिकॉर्डिंग की एक कॉपी का अनुरोध मतदाता हमारे कार्यालय से कर सकते हैं:

Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012



TTD फ़ोन नंबर (562) 462-2259

जिन मतदाताओं को सुनने में समस्या हो उनके लिए एक TTD फ़ोन नंबर प्रदान किया जाता है।



भाषा संबंधी सहायता (213) 978-0444

सिटी मतदान की सामग्रियों को अर्मेनियाई, चीनी, फ़ारसी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियाई, रूसी, स्पेनिश, तागालोग, थाई और वियतनामी भाषा में भी प्रदान करता है।

आपका शहर। आपकी आवाज़। आपका पड़ोस परिषद!

क्या आप सड़क के गड्ढों के बारे में कुछ करना चाहते हैं? क्या आपके पास सामुदायिक सौंदर्यीकरण पहल के लिए कोई विचार है? क्या आप अपने समुदाय से जुड़ने के सार्थक तरीके खोज रहे हैं?

अपने पड़ोस परिषद में सक्रिय रूप से भाग लें!

पड़ोस परिषदें आपके समुदाय के लोगों से बनी होती हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं कि Los Angeles शहर आपके आस-पड़ोस की ज़रूरतों, चुनौतियों और उम्मीदों के प्रति उत्तरदायी हो। निर्वाचित स्वयंसेवी सलाहकार निकायों के रूप में, पड़ोस परिषदें **सिटी हॉल में आपकी आवाज़** के तौर पर कार्य करती हैं।

पड़ोस परिषदें Los Angeles शहर की सरकार में निम्नलिखित कार्य करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं:

- शहर के नेताओं को सलाह देकर और स्थानीय मुद्दों पर आवाज़ उठाकर,
- सामुदायिक एवं पूंजीगत सुधार परियोजनाओं के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करके,
- शहर की सेवाओं जैसे सड़क और फुटपाथ की मरम्मत, सार्वजनिक सुरक्षा और कचरा संग्रहण आदि की निगरानी करके और उन पर सिफारिशें देकर,
- अपने समुदाय में कार्यक्रमों, परियोजनाओं और पहलों के लिए वित्तपोषण करके,
- और अधिक!

Los Angeles में 99 पड़ोस परिषदें हैं।

देश के सबसे बड़े जमीनी स्तर के नागरिक सहभागिता मॉडल के रूप में माना जाने वाला, इनमें से प्रत्येक परिषद पड़ोस में रहने वाले, काम करने वाले, अध्ययन करने वाले, पूजा करने वाले, किसी संपत्ति या व्यवसाय के मालिक या स्वयंसेवा करने वाले Los Angeles के हर एक निवासी की सेवा करता है।

आज ही जुड़ें

2027 में पड़ोस परिषद के चुनाव होंगे। Los Angeles के एक निवासी के रूप में, आप अपने पड़ोस परिषद में सीट के लिए चुनाव लड़कर और इस महत्वपूर्ण चुनाव में मतदाता बनकर एक सामुदायिक नेता बन सकते हैं।

अपने पड़ोस परिषद का पता लगाने और 2027 में होने वाले पड़ोस परिषद के चुनावों के बारे में जानने के लिए www.99NCs.com पर जाएं, या पड़ोस सशक्तिकरण विभाग से EmpowerLA@LACity.org या (213) 978-1551 पर संपर्क करें।

